

¹[271च. आय-कर की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या उस उपधारा के परंतुकों की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा :]

²[परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित आय की विवरणी को और उसके संबंध में लागू नहीं होगी।]

³[271चक. ⁴[वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण] देने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन ⁴[वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण] देने की अपेक्षा की गई है, ⁴[ऐसा विवरण] उसकी उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा:

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति, धारा 285खक की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ⁴[विवरण] देने में असफल रहता है, वहां वह उस दिन के, जिसको ⁴[विवरण] देने के लिए ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, ठीक बाद के दिन से आरंभ होने वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में, पांच सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।]

⁵[271चकक. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति—यदि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे उस धारा के अधीन कोई विवरण देने की अपेक्षा की जाती है, उस विवरण में गलत जानकारी देता है, और जहां,—

(क) गलती, धारा 285खक की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहने के कारण हुई है या उस व्यक्ति की ओर से जानबूझकर की गई है; या

(ख) व्यक्ति को, वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने के समय गलती का पता चलता है किन्तु वह विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है; या

(ग) व्यक्ति को गलती के बारे में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने के पश्चात् पता चलता है और वह धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित करने और सही सूचना देने में असफल रहता है,

वहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।]

⁶[271चकख. किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने के लिए शास्ति—यदि कोई पात्र विनिधान निधि, जिससे धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित कोई विवरण या कोई जानकारी या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा विवरण या जानकारी या दस्तावेज या उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहती है, तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी निधि, शास्ति के रूप में, पांच लाख रुपए की राशि का संदाय करेगी।]

⁷[271चख. सीमांत फायदों की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई नियोजक, जिससे धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में सीमांत फायदे की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा नियोजक, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिनके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।]

⁸[271छ. धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई ⁹[अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोई जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी ¹⁰[या धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी] या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए ⁹[अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।]

¹ 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 102 द्वारा (1-6-2002 से) प्रतिस्थापित।

² 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 36 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 58 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 71 द्वारा अंतःस्थापित।

⁶ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 73 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 59 द्वारा अंतःस्थापित।

⁸ 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 91 द्वारा (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

⁹ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 102 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁰ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 72 द्वारा अंतःस्थापित।

¹[271छक. धारा 285क के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई भारतीय समुत्थान, जिससे धारा 285क के अधीन कोई जानकारी या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो ऐसा आय-कर प्राधिकारी, जो उक्त धारा के अधीन विहित किया जाए, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा भारतीय समुत्थान,—

(i) ऐसे संव्यवहार के, जिसके संबंध में ऐसी असफलता हुई है, मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की राशि का, यदि ऐसे संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के संबंध में प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित करने का है;

(ii) किसी अन्य मामले में पांच लाख रुपए की राशि का,

शास्ति के रूप में, संदाय करेगा ।]

²[271छख. धारा 286 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता या गलत रिपोर्ट देने के लिए शास्ति—(1) यदि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जिससे रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट दिया जाना अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो उस धारा के अधीन विहित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विहित प्राधिकारी कहा गया है), यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व शास्ति के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करेगा,—

(क) प्रत्येक दिन, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, के लिए पांच हजार रुपए, यदि असफलता की अवधि एक मास से अधिक नहीं है; या

(ख) प्रत्येक दिन के लिए पन्द्रह हजार रुपए जब असफलता एक मास की अवधि के आगे बनी रहती है ।

(2) यदि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी, निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, जो उस दिन से जब सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो, के तुरंत पश्चात् के दिन से प्रारंभ होगी, शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की राशि की संदाय करेगा ।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट असफलता, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए आदेश के अस्तित्व पर तामील होने के पश्चात् जारी रहती है, तो उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विहित प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व प्रत्येक दिन के लिए जब ऐसे आदेश की तामील की तारीख से आरंभ होने वाली, ऐसी असफलता बनी रहती है, शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

(4) जहां धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार दी गई रिपोर्ट में गलत सूचना उपलब्ध कराता है और जहां—

(क) अस्तित्व के पास रिपोर्ट फाइल करते समय गलती का ज्ञान हो किंतु वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में असफल रहता है; या

(ख) अस्तित्व को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् गलती का पता लगे और वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में और ऐसा पता चलने के पन्द्रह दिनों के भीतर सही रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहता है; या

(ग) अस्तित्व, धारा 286 की उपधारा (6) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के उत्तर में, गलत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करता है,

तो विहित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा ।]

³[271ज. विवरण आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति—(1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ⁴[निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति शास्ति के रूप में संदाय करेगा] यदि वह—

(क) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या परिदत्त कराने में असफल रहता है; या

(ख) उस विवरण में, जो धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन परिदत्त किया जाना या कराया जाना अपेक्षित है, गलत जानकारी प्रस्तुत करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति ऐसी राशि की होगी, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

¹ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 74 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 104 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 103 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट असफलता के लिए कोई शास्ति ऐसी दशा में उद्गृहीत नहीं की जाएगी, यदि वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि काटे गए या संगृहीत किए गए कर का ऐसी फीस और ब्याज के साथ, यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने के पश्चात् उसने धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट विवरण, ऐसे विवरण को परिदत्त करने या परिदत्त कराने संबंधी विहित समय से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व परिदत्त कर दिया था या परिदत्त करा दिया था।

(4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत किए गए कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है।]

¹[271अ. धारा 195 के अधीन जानकारी देने में असफलता के लिए या गलत जानकारी देने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी जानकारी देने में असफल रहता है या गलत जानकारी देता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में एक लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा।]

²[271ब. रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति— इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह पता चलता है कि किसी लेखापाल या किसी वाणिज्यिक बैंककार या किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन प्रस्तुत किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में ऐसी गलत जानकारी प्रस्तुत की है, तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), यथास्थिति, ऐसे लेखापाल या वाणिज्यिक बैंककार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को यह निदेश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखापाल” से धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई लेखापाल अभिप्रेत है;

(ख) “वाणिज्यिक बैंककार” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग 1 का वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है;

(ग) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” से धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खंड (णकक) में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।]

3* * * * *

⁴[272क. प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) जो अपने निर्धारण के किसी विषय से संबंधित किसी मामले का सत्य कथन करने के लिए वैध रूप में आबद्ध है, किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने से किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान अपने द्वारा किए गए किसी ऐसे कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा जिसकी कोई आय-कर प्राधिकारी उससे वैध रूप से हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करे; या

(ग) जिसको धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन कोई समन, किसी निश्चित स्थान और समय पर साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए अथवा कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश करने के लिए जारी किया गया है, उस स्थान या समय पर हाजिर होने अथवा लेखा पुस्तकें या दस्तावेजें पेश करने में ⁵[लोप करेगा; या]

⁶[घ) धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है.]

तो वह शास्ति के रूप में, प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए ⁷[दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा]।

(2) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) धारा 94 की उपधारा (6) के अधीन जारी की गई सूचना का अनुपालन करने में;

(ख) धारा 176 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित अपने कारबार या वृत्ति को बंद करने की सूचना देने में; या

¹ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 75 द्वारा अन्तःस्थापित।

² 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 87 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि की धारा 109 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 272 का लोप किया गया।

⁴ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 110 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

⁵ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 105 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 105 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁷ 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 92 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) धारा 133 या धारा 206 या ¹*** या धारा 206ग] या धारा 285ख में उल्लिखित विवरणियां, कथन या विशिष्टियां सम्यक् समय के भीतर देने में; या

(घ) धारा 134 में निर्दिष्ट किसी रजिस्टर का या ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का निरीक्षण अनुज्ञात करने में अथवा ऐसे रजिस्टर या उसमें किसी प्रविष्टि की नकलें लेने के लिए अनुज्ञात करने में; या

²[(ड) आय की ऐसी विवरणी देने में जिसे देने के लिए उससे धारा 139 की उपधारा (4क) या उपधारा (4ग) के अधीन अपेक्षा की जाती है या उसे अनुज्ञात समय के भीतर और उन उपधाराओं के अधीन अपेक्षित रीति से देने में; या]

(च) धारा 197क में उल्लिखित घोषणा की प्रति का सम्यक् समय पर परिदान करने या कराने में; या

(छ) धारा 203 ²[या धारा 206ग] द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र देने में; या

(ज) धारा 226 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित कर की कटौती और संदाय करने में;

³[(झ) धारा 192 की उपधारा (2ग) की अपेक्षानुसार विवरण देने में;]

⁴[(ञ) धारा 206ग की उपधारा (1अ) में निर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति का सम्यक् समय पर परिदान करने या कराने में;]

⁵[(ट) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण की प्रति परिदत्त करने या परिदत्त कराने में;]

⁶[(ठ) धारा 206क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ⁷[ऐसी विवरणियां] परिदत्त करने या कराने में;]

⁸[(ड) कोई विवरण ऐसे समय के भीतर जो धारा 200 की उपधारा (2क) या धारा 206ग की उपधारा (3क) में विहित किया जाए, परिदत्त करने या परिदत्त कराने में;]

असफल रहेगा तो वह, शास्ति के रूप में, जो ⁹[ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा :]

¹⁰[परंतु ¹¹[धारा 197क में उल्लिखित घोषणा, धारा 203 द्वारा यथापेक्षित प्रमाणपत्र और] धारा 206 और धारा 206ग के अधीन विवरणी ¹²[धारा 200 की उपधारा (2क) या उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक या उपधारा (3क) के अधीन विवरणों] के संबंध में असफलता के लिए शास्ति की रकम, यथास्थिति, कटौती-योग्य या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी :]

¹³[परंतु यह और कि खंड (ट) में निर्दिष्ट असफलता के लिए इस धारा के अधीन कोई शास्ति उस दशा में उद्गृहीत नहीं की जाएगी, यदि ऐसी असफलता धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट ऐसे किसी विवरण के संबंध में है, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत किए गए कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है।]

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपणीय कोई शास्ति,—

(क) ऐसी दशा में जिसमें ऐसा उल्लंघन, असफलता या व्यतिक्रम, जिसकी बाबत ऐसी शास्ति अधिरोपणीय है, उपनिदेशक या उपायुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान होता है, ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा;

¹⁴[(कक) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आने वाले मामले की दशा में, आय-कर प्राधिकारी द्वारा जिसने उसमें निर्दिष्ट सूचना या निदेश जारी किया था;]

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (च) के अंतर्गत आने वाली दशा में, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा; और

(ग) किसी अन्य दशा में, उपनिदेशक या उपायुक्त द्वारा,

अधिरोपित की जाएगी।

¹ 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 55 द्वारा लोप किया गया।

² 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 103 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 92 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 56 द्वारा (1-4-2005 से) अंतःस्थापित।

⁶ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 60 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁸ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 76 द्वारा अंतःस्थापित।

⁹ 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 88 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁰ 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 68 द्वारा अंतःस्थापित।

¹¹ 1998 के अधिनियम सं० 2 की धारा 62 द्वारा अंतःस्थापित।

¹² 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹³ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 104 द्वारा अंतःस्थापित।

¹⁴ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 105 द्वारा अंतःस्थापित।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “आय-कर प्राधिकारी” के अंतर्गत महानिदेशक, निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक तब आता है जब वह धारा 131 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बातों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करता है।

¹[272कक. धारा 133ख के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति, ²*** धारा 133ख के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह, यथास्तिति, @ [उपायुक्त], @ [सहायक निदेशक] या @ [निर्धारण अधिकारी] द्वारा पारित आदेश पर शास्ति के रूप में इतनी राशि का संदाय करेगा जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।]

³[272ख. धारा 139क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में अपना स्थायी खाता संख्यांक का हवाला देने या उस धारा की उपधारा (5क) की अपेक्षानुसार ऐसा संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे किसी संख्यांक का हवाला देता है या संसूचना देता है, जो मिथ्या है, और जो उसकी जानकारी या विश्वास से मिथ्या है, या उसका यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव है, मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।]

⁴[272खख. धारा 203क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 203क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह @ [निर्धारण अधिकारी] द्वारा पारित आदेश पर शास्ति के रूप में उतनी राशि का संदाय करेगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा।]

⁵[(1क) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 203क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट चालानों या प्रमाणपत्रों या विवरणों या अन्य दस्तावेजों में, यथास्थिति, अपना ‘कर कटौती लेखा संख्यांक’ या ‘कर संग्रहण लेखा संख्यांक’ या ‘कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक’ उद्धृत करने की अपेक्षा की गई है, ऐसा संख्यांक उद्धृत करता है, जो मिथ्या है और जो उसकी जानकारी या विश्वास से मिथ्या है या जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह सही नहीं है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।]

(2) उपधारा (1) ⁵[या उपधारा (1क)] के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता।

⁶[272खखख. धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 206गक के उपबंधों का ⁷[1 अक्टूबर, 2004 के पूर्व अनुपालन करने में असफल रहता है] तो वह, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश पर, दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक, कि उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।]

⁸[273. अग्रिम कर का मिथ्या प्राक्कलन या उसके संदाय में असफलता—⁹[(1) यदि @ [निर्धारण अधिकारी] का किसी निर्धारण वर्ष के लिए नियमित निर्धारण से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी निर्धारिती ने अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ऐसा कथन दिया है जिसके बारे में वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह मिथ्या है, अथवा

¹ 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 35 द्वारा (13-5-1986 से) धारा 272कक अंतःस्थापित।

² 1986 के करधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 23 द्वारा (10-9-1986 से) लोप किया।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

³ 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 104 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 35 द्वारा (13-5-1986 से) धारा 272खख अंतःस्थापित।

⁵ 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 54 द्वारा (1-6-2006 से) अंतःस्थापित।

⁶ 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 105 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁸ 1969 के अधिनियम सं० 14 की धारा 22 द्वारा (1-4-1970 से) प्रतिस्थापित।

⁹ 1978 के अधिनियम सं० 29 की धारा 31 द्वारा (1-6-1978 से) प्रतिस्थापित।

(ख) कोई निर्धारिती अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार कथन देने में ¹*** असफल रहा है,

तो वह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति अपने द्वारा संदेय कर की रकम के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में ऐसी राशि संदत्त करेगा,—

(i) जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट दशा में, उतनी रकम से दस प्रतिशत से कम किन्तु ड्योढ़े से अधिक न होगी जितनी से निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अध्याय 17ग के उपबंधों के अधीन वस्तुतः संदत्त कर निम्नलिखित में से जो भी कम हो उससे कम पड़ता है, अर्थात् :—

(1) धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर का पचहत्तर प्रतिशत, अथवा

(2) वह रकम जो अग्रिम कर के रूप में संदेय होती यदि निर्धारिती ने धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण कथन दिया होता,

जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी है;

(ii) जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत के दस प्रतिशत से कम किन्तु ड्योढ़े से अधिक न होगी:]

²[परन्तु ऐसे निर्धारिती की दशा में जो कंपनी है, उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “पचहत्तर प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, दोनों पर जहां वे आते हैं, “तिरासी सही एक बटा तीन प्रतिशत” शब्द रखे गए हों।]

(2) यदि 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए या किसी पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्ष के लिए नियमित निर्धारण से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान @[निर्धारण अधिकारी] का समाधान हो जाता है कि—

³[(क) किसी निर्धारिती ने अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का धारा 209क की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन या धारा 212 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन ऐसा प्राक्कलन दिया है जिसके बारे में वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह मिथ्या है, अथवा]

⁴[(कक) किसी निर्धारिती ने ⁵[अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का धारा 209क की उपधारा (4) के अधीन] या धारा 212 की उपधारा (3क) के अधीन ऐसा प्राक्कलन दिया जिसके बारे में वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह मिथ्या है, अथवा]

(ख) कोई निर्धारिती अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का ³[धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ख)] के उपबंधों के अनुसार प्राक्कलन देने में ⁶*** असफल रहा है, अथवा

(ग) कोई निर्धारिती अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का ³[धारा 209क की उपधारा (4) या धारा 212 की उपधारा (3क)] के उपबंधों के अनुसार प्राक्कलन देने में ¹*** असफल रहा है,

तो वह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति अपने द्वारा संदेय कर की रकम के, यदि कोई हो, अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसी राशि संदत्त करेगा—

(i) जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट दशा में, उतनी रकम के दस प्रतिशत से कम और ड्योढ़े से अधिक न होगी, जितनी से निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अध्याय 17ग के उपबंधों के अधीन वस्तुतः संदत्त कर, निम्नलिखित में से जो भी कम हो उससे कम पड़ता है, अर्थात् :—

(1) धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर का पचहत्तर प्रतिशत, अथवा

³[(2) जहां निर्धारिती द्वारा धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कथन दिया गया था या जहां निर्धारिती को धारा 210 के अधीन सूचना दी गई थी वहां,

यथास्थिति, ऐसे कथन या सूचना के अधीन संदेय रकम;]

⁴[(िक) खण्ड (कक) में निर्दिष्ट दशा में, उतनी रकम के दस प्रतिशत से कम किन्तु ड्योढ़े से अधिक न होगी जितनी से निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अध्याय 17ग के उपबंधों के अधीन वस्तुतः संदत्त कर, धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम पड़ता है;]

¹ 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 24 और 25 द्वारा (10-9-1986 से) लोप किया गया।

² 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 33 द्वारा (1-9-1980 से) अंतःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

³ 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 31 द्वारा (1-6-1978 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 27 द्वारा (1-9-1977 से) अंतःस्थापित।

⁵ 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 31 द्वारा (1-6-1978 से) अंतःस्थापित।

⁶ 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 25 द्वारा (10-9-1986 से) लोप किया गया।

(ii) जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत के दस प्रतिशत से कम और ड्योढ़े से अधिक न होगी, तथा

¹[(iii) जो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दशा में उतनी रकम के दस प्रतिशत से कम किन्तु ड्योढ़े से अधिक न होगी जितनी से—

(क) जहां निर्धारिती ने धारा 209क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क) के अधीन कोई कथन या खण्ड (ख) के अधीन कोई प्राक्कलन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन कथन के बदले में कोई प्राक्कलन भेजा है वहां ऐसे कथन या प्राक्कलन के अनुसार संदेय कर; या

(ख) जहां निर्धारिती धारा 210 के अधीन उसे दी गई सूचना के अनुसार अग्रिम कर संदेय करने के लिए अपेक्षित था वहां ऐसी सूचना के अधीन संदेय कर,

धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम पड़ता है:]

²परन्तु ऐसे निर्धारिती की दशा में जो कंपनी है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “पचहत्तर प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर जहां भी वे आते हों “तिरासी सही एक बटा तीन प्रतिशत” शब्द रखे गए हों।]

³[स्पष्टीकरण ⁴[1]—खण्ड (िक) के प्रयोजनों के लिए @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा ⁵[यथास्थिति, धारा 209क की उपधारा (4) के ⁶[प्रथम परन्तुक] या धारा 212 की उपधारा (3क) के ⁶[प्रथम परन्तुक] के अधीन विस्तारित तारीख जहां निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्वर्ती वित्तीय वर्ष के बाद पड़ती है वहां निर्धारिती द्वारा संदत्त रकम भी उस वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में संदत्त कर समझी जाएगी।]

⁴[स्पष्टीकरण 2—जहां शास्ति के लिए दायी व्यक्ति कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत फर्म या अरजिस्ट्रीकृत फर्म है जिसका धारा 183 के खण्ड (ख) के अधीन निर्धारण किया गया है वहां, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अधिरोपणीय शास्ति वह रकम होगी जो उस फर्म पर इस प्रकार अधिरोपणीय होगी मानो वह फर्म कोई अरजिस्ट्रीकृत फर्म हो।]

⁷[(3) इस धारा के उपबन्ध 1 अप्रैल, 1988 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण को और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे, तथा इस धारा में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे तत्समय प्रवृत्त और सुसंगत निर्धारण वर्ष को लागू उपबंधों के प्रति निर्देश हैं।]

⁸[273क. कुछ दशाओं में शास्ति आदि के घटाने या अधित्यजन करने की शक्ति—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी @⁹*** आयुक्त] स्वविवेकानुसार, चाहे स्वप्रेरणा से या अन्यथा—

10* * *

(ii) किसी व्यक्ति पर ¹¹[धारा 270क या] धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन अधिरोपित या अधिरोपणीय शास्ति की रकम को घटा सकता है या उसका अधित्यजन कर सकता है; या

10* * *

यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने—

12* * *

(ख) खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, आय की विशिष्टियों को छिपाने या ऐसी आय के संबंध में दी गई विशिष्टियों की अशुद्धता के @ [निर्धारण अधिकारी] द्वारा पता लगाने से पूर्व, स्वेच्छा से और सद्भावपूर्वक ऐसी विशिष्टियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है;

12* * *

¹ 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 31 द्वारा (1-6-1978 से) प्रतिस्थापित।

² 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 30 द्वारा (1-9-1980 से) अंतःस्थापित।

³ 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 27 द्वारा (1-9-1977 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 49 द्वारा (1-4-1985 से) पुनःसंख्यांकित और स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

⁵ 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 31 द्वारा (1-6-1978 से) प्रतिस्थापित।

⁶ 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 25 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित।

⁷ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 112 द्वारा (1-4-1989 से) अन्तःस्थापित।

⁸ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 64 द्वारा (1-10-1975 से) अंतःस्थापित।

⁹ 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 36 द्वारा (1-6-1993 से) “मुख्य आयुक्त या” शब्दों का लोप किया गया।

¹⁰ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 51 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (i) और खण्ड (iii) का लोप किया गया।

¹¹ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 106 द्वारा अंतःस्थापित।

¹² 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 51 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (क) और खण्ड (ग) का लोप किया गया।

और 1[खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दशा में] अपनी आय के निर्धारण से संबंधित जांच में सहयोग भी किया है और सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश के परिणामस्वरूप संदेय किसी कर या ब्याज का या तो संदाय कर दिया है या संदाय करने के लिए समाधानप्रद इन्तजाम कर दिया है।

²[स्पष्टीकरण ³[(1)] ***]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस दशा में जिसमें विवरणी में उल्लिखित आय से निर्धारित आय का आधिक्य ऐसा है कि उसकी ⁴[धारा 270क या] धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबंध लागू नहीं हो तो, यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय का या उससे संबंधित विशिष्टियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है।

²[स्पष्टीकरण 2—***]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी—

⁵*

*

*

*

(ख) यदि ⁶[धारा 270क या] धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में आय की रकम जिसकी बाबत सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए शास्ति अधिरोपित की जाती है या अधिरोपणीय है या जहां ऐसा प्रकटन एक से अधिक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित है वहां, उन वर्षों के लिए ऐसी आय की रकम का योग पांच लाख रुपए की राशि से अधिक है,

तो उपधारा (1) के अधीन शास्ति को घटाने या उसका अधित्यजन करने वाला कोई आदेश ⁷[आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश किया गया है, चाहे ऐसा आदेश एक या अधिक निर्धारित वर्षों से संबंधित हो या नहीं, वहां वह व्यक्ति ऐसे आदेश के किए जाने के पश्चात् किसी भी समय किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में उक्त धारा के अधीन कोई राहत पाने का हकदार नहीं होगा :

⁸[परन्तु जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश 24 जुलाई, 1991 को या उसके पूर्व किया गया है वहां, यदि वह व्यक्ति उपधारा (4) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व किसी समय आवेदन करता है तो, अन्य निर्धारण वर्ष या वर्षों के संबंध में केवल एक बार अतिरिक्त राहत पाने का हकदार होगा।]

(4) @⁹***] आयुक्त को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि आयुक्त, किसी निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किसी शास्ति की रकम को घटा सकता है या उसका अधित्यजन कर सकता है अथवा ऐसी किसी रकम की वसूली के लिए कार्यवाहियों को रोक सकता है या उसका प्रशमन कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा न करने से निर्धारिती को वास्तव में कठिनाई होगी; और

(ii) निर्धारिती ने निर्धारण से संबंधित जांच में या उससे शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए कार्यवाही में सहयोग दिया है:

¹⁰[परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी शास्ति की रकम, या यदि ऐसा आवेदन एक से अधिक शास्ति से संबंधित है तो ऐसी शास्तियों की संकलित रकम, एक लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां ऐसी रकम को घटाने या उसका अधित्यजन करने वाला अथवा इस उपधारा के अधीन वसूली के लिए किसी कार्यवाही का प्रशमन करने वाला कोई आदेश ¹¹[आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]

¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 51 द्वारा (1-4-1989 से) “खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सभी दशाओं में” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 50 द्वारा (1-10-1984 से) अंतःस्थापित। परन्तु इस स्पष्टीकरण का 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 34 द्वारा (24-5-1985 से) लोप किया गया।

³ 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 50 द्वारा (1-10-1984 से) स्पष्टीकरण पुनःसंख्यांकित।

⁴ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 106 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 51 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (क) का लोप किया गया।

⁶ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 106 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁸ 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 69 द्वारा (27-9-1991 से) अंतःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

⁹ 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 36 द्वारा (1-6-1993 से) “मुख्य आयुक्त या” शब्दों का लोप किया गया।

¹⁰ 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 50 द्वारा (1-10-1984 से) अंतःस्थापित।

¹¹ 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 36 द्वारा (1-6-1993 से) प्रतिस्थापित।

¹[(4क) आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला उपधारा (4) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त उपधारा के अधीन आवेदन प्राप्त किया गया है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा:

परंतु आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि जहां कोई आवेदन 1 जून, 2016 को लंबित है, वहां आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पूर्व पारित किया जाएगा।]

(5) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]

²[(6) इस धारा के उपबंध ³[जैसा कि वह प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उसका संशोधन किए जाने के पूर्व थे] 1 अप्रैल, 1988 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण को और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे, तथा इस धारा में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे तत्समय प्रवृत्त और सुसंगत निर्धारण वर्ष को लागू उन उपबन्धों के प्रति निर्देश है।]

⁴[(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (4) के उपबंध [जैसे कि वे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 3) द्वारा संशोधन किए जाने के पूर्व थे], 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण के संबंध में शास्ति या ब्याज को घटाने या उसके अधित्यजन के मामले में इन उपांतरणों के साथ लागू होंगे कि उक्त उपधारा (1) के अधीन शक्ति आयुक्त द्वारा ही प्रयोक्तव्य होगी और आयुक्त, ऐसे मामलों में कार्रवाई करते समय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बजाय, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

⁵[273कक. शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति—(1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

(क) उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

⁶[(3क) आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त उपधारा के अधीन आवेदन प्राप्त किया गया है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा:

परंतु आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि जहां कोई आवेदन 1 जून, 2016 को लंबित है, वहां आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पहले पारित किया जाएगा।]

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

¹ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 106 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 113 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

³ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 51 द्वारा (1-4-1989 से) अन्तःस्थापित।

⁴ 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 36 द्वारा (1-6-1993 से) प्रतिस्थापित।

⁵ 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 53 द्वारा अंतःस्थापित।

⁶ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 107 द्वारा अंतःस्थापित।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती।

¹[273ख. कुछ दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना—कुछ दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ²[धारा 270 की उपधारा (1) का खण्ड (ख),] ³[धारा 271, धारा 271क, ⁴[धारा 271कक], धारा 271ख, ⁴[धारा 271खक], ⁵[धारा 271खख], ⁶[धारा 271ग, ⁴[धारा 271गक], धारा 271घ, धारा 271ङ, ⁷[धारा 271च], ⁸[धारा 271चक], ⁹[धारा 271चकख, धारा 271चख, धारा 271छ, धारा 271छक], ¹⁰[धारा 271छख] ¹¹[धारा 271ज], धारा 271झ, ¹²[धारा 271ज,] धारा 272क की उपधारा (1) का खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या उपधारा (2), धारा 272कक की उपधारा (1) या ¹³[धारा 272ख या] ¹⁴[¹⁵[धारा 272खख की उपधारा (1) या उपधारा (1क)] या धारा 272खख की उपधारा (1) या उपधारा (1क)] या धारा 273 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था।]

274. प्रक्रिया—(1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती की सुनवाई न हो गई हो या उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

¹⁶[(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश—

(क) जहां शास्ति दस हजार रुपए से अधिक है वहां आय-कर अधिकारी द्वारा,

(ख) जहां शास्ति बीस हजार रुपए से अधिक है वहां सहायक आयुक्त द्वारा,

उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]

¹⁷[(3) आय-कर प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देने पर उसकी एक प्रति तत्काल निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जब तक कि वह स्वयं निर्धारण अधिकारी नहीं है।]

¹⁸[275. शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन—¹⁹[(1)] इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश—

²⁰[(क) उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 ²¹[या धारा 246क] के अधीन उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को अपील का या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण को अपील का विषय है, उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है यह उस मास के अन्त से छह मास की जिसमें, यथास्थिति, ²²*** आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, इन कालावधियों में से जो भी बाद में समाप्त हो उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा :

¹ 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 26 द्वारा (10-9-1986 से) अन्तःस्थापित।

² 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 57 द्वारा (1-4-1989 से) अन्तःस्थापित।

³ 1987 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 114 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 94 द्वारा (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

⁵ 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 50 द्वारा (1-4-1990 से) अंतःस्थापित।

⁶ 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 55 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁷ 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 55 द्वारा अंतःस्थापित।

⁸ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 59 द्वारा (1-4-2005 से) प्रतिस्थापित।

⁹ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁰ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 108 द्वारा अंतःस्थापित।

¹¹ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 105 द्वारा अंतःस्थापित।

¹² 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 88 द्वारा अंतःस्थापित।

¹³ 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 106 द्वारा (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

¹⁴ 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 106 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁵ 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 55 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁶ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 115 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

¹⁷ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 115 द्वारा (1-4-1989 से) अन्तःस्थापित।

¹⁸ 1970 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित।

¹⁹ 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 26 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 275 को धारा 275 (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित।

²⁰ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 116 द्वारा (1-4-1989 से) उपखण्ड (क), (ख) और (ग) प्रतिस्थापित।

²¹ 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 70 द्वारा अंतःस्थापित।

²² 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 65 द्वारा लोप किया गया।

¹[परंतु उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील का विषय है और आयुक्त (अपील), ऐसी अपील को निपटाने का 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् आदेश पारित करता है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है, जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, समाप्ति से पूर्व या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आयुक्त (अपील) का आदेश, मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, अंत से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, पारित किया जाएगा;]

(ख) उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 263 ¹[या धारा 264] के अधीन पुनरीक्षण का विषय हैं, उस मास के अंत से छह मास की जिसमें ऐसा पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है, समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा;

(ग) किसी अन्य दशा में उस वित्तीय वर्ष की जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की है या उस मास के अंत से छह मास की, जिसमें शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, इन कालावधियों में से जो बाद में समाप्त हो उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।]

²[(1क) उस दशा में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण को अपील या धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय को अपील या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपील या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण की विषयवस्तु है और शास्ति अधिरोपण या उसमें वृद्धि या उसे कम करने या उसे रद्द करने या शास्ति अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का आदेश आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होने से पहले या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने से पहले पारित किया जाता है तो शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने या उसे रद्द करने या शास्ति अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का आदेश उस निर्धारण के आधार पर पारित किया जा सकेगा जो आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के ऐसे आदेश या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के आदेश को प्रभावी करते हुए पुनरीक्षित किया गया है :

परंतु शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने या रद्द करने या शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने का कोई आदेश,—

(क) निर्धारिती को सुने जाने या सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्;

(ख) उस मास के अंत से, जिसमें आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित कर दिया जाता है, छह मास की समाप्ति के पश्चात्,

ही पारित किया जाएगा:

परंतु यह और कि धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंध इस उपधारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने के आदेश के संबंध में लागू होंगे।]

³[(2) इस धारा के उपबंध, जैसे कि वे प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, 31 मार्च, 1989 को या उसके पूर्व शास्ति अधिरोपित करने के लिए आरंभ की गई किसी कार्यवाही को, और उसके संबंध में, लागू होंगे।]

⁴[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में—

(i) धारा 129 के परन्तुक के अधीन निर्धारिती को फिर से सुनवाई का अवसर देने में लगे समय का;

(ii) उस कालावधि का जिसके दौरान धारा 245ज के अधीन दी गई उन्मुक्ति प्रवृत्त रहती है; और

(iii) उस कालावधि का जिसके दौरान इस अध्याय के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण की कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोकी जाती है,

अपवर्जन किया जाएगा।]

¹ 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 96 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 26 द्वारा (1-4-1989 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1975 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 66 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित।

अध्याय 22

अपराध और अभियोजन

¹[275क. धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन—जो कोई धारा 132 ²[उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक में या] उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह कठिन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।]

³[275ख. धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता—यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।]

⁴[276. कर की बसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करना—जो कोई सम्पत्ति को या उसमें किसी हित को द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र के निष्पादन के उस सम्पत्ति या उसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा या परिदत्त करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।]

⁵[276क. धारा 178 की उपधारा (1) और (3) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता—यदि कोई व्यक्ति ⁶***

(i) धारा 178 की उपधारा (1) के अनुसार सूचना नहीं देगा; अथवा

(ii) उस धारा की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित रकम को अलग नहीं रखेगा; अथवा

(iii) कंपनी की किन्हीं आस्तियों या अपने पास की किन्हीं सम्पत्तियों को पूर्वोक्त उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में विलग करेगा,

तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा:

परन्तु विशेष और तत्प्रतिकूल पर्याप्त कारणों के, जो न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित होंगे, न होने पर ऐसा कारावास छह मास से कम का नहीं होगा।]

7*

*

*

*

⁸[276कख. धारा 276पग, धारा 276पड और धारा 276पठ के उपबंधों के अनुपालन में असफलता—जो कोई ⁹*** धारा 269पग के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या धारा 269पड की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति के कब्जे का अभ्यर्पण करने या परिदान करने में असफल रहेगा या धारा 269पठ की उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारण के अभाव में, जो न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा कारावास छह मास से कम का नहीं होगा।]

¹⁰[276ख. अध्याय 12घ या अध्याय 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में कर का संदाय करने में असफलता—यदि कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के जाम खाते में,—

(क) अध्याय 17ख के उपबंधों की अपेक्षानुसार या उसके अधीन अपने द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर का; या

(ख) (i) धारा 115ण की उपधारा (2); या

(ii) धारा 194ख के दूसरे परन्तुक,

की अपेक्षानुसार या उसके अधीन अपने द्वारा संदेय कर का,

¹ 1965 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा (12-3-1965 से) अंतःस्थापित।

² 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 47 द्वारा (1-4-1990 से) अंतःस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 107 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 117 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 276 अन्तःस्थापित। इससे पूर्व 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 67 द्वारा (1-4-1976 से) लोप किया गया था।

⁵ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 58 द्वारा (1-4-1965 से) अंतःस्थापित।

⁶ 1986 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 46 की धारा 27 द्वारा (10-9-1986 से) लोप किया गया।

⁷ 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 37 द्वारा (1-10-1986 से) लोप किया गया।

⁸ 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 36 द्वारा (13-5-1986 से) अन्तःस्थापित।

⁹ 1986 के कराधान विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम सं० 46 की धारा 27 द्वारा (10-9-1986 से) लोप किया गया।

¹⁰ 1997 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 26 की धारा 56 द्वारा (1-6-1997 से) प्रतिस्थापित।

संदाय करने में असफल रहेगा, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।]

¹[276खख. स्रोत पर संगृहीत कर का संदाय करने में असफलता—यदि कोई व्यक्ति, धारा 206ग के उपबंधों की अपेक्षानुसार, अपने द्वारा संगृहीत कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।]

²[276ग. जानबूझकर, कर आदि के अपवंचन करने का प्रयास—(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा ³[या अपनी आय की कम रिपोर्ट करता है] तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(i) ऐसे मामले में जहां वह रकम ⁴[या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर] जिसके अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, ⁵[पच्चीस लाख रुपए] से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु ⁶[दो वर्ष] तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु ⁷[दो वर्ष] तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने का भी भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयास करने के अन्तर्गत वह मामला भी आता है जिसमें कोई व्यक्ति—

(i) अपने कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें रखता है (जो लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत हैं) जिनमें कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन है; या

(ii) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में मिथ्या प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है; या

(iii) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में से किसी सुसंगत प्रविष्टि या कथन का जानबूझकर लोप करता है या कराता है; या

(iv) कोई ऐसी अन्य परिस्थिति उत्पन्न कराता है जिसका प्रभाव ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का या उसके संदाय का अपवंचन करने में समर्थ बनाना होगा।

⁶[276गग. आय की विवरणी देने में असफल रहना—यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी ⁷[जिसके देने के लिए वह सीमांत फायदों की विवरणी जो धारा 115बघ की उपधारा (1) या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन ⁸[अथवा धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i)] या धारा 148 ⁹[या धारा 153क] के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह—

(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम, जिसकी यदि असफलता प्रकट न होती तो अपवंचन हो जाता ¹⁰[पच्चीस लाख रुपए] से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु ¹¹[दो वर्ष] तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा:

¹ 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 46 द्वारा (1-6-1988 से) अन्तःस्थापित।

² 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 68 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित।

³ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 109 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 109 द्वारा (1-4-2017 से) अंतःस्थापित।

⁵ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 106 द्वारा (1-7-2012 से) प्रतिस्थापित।

⁶ 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 69 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित।

⁷ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 62 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित।

⁸ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

⁹ 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 97 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित।

¹⁰ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 106 द्वारा (1-7-2012 से) प्रतिस्थापित।

¹¹ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 107 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु ¹[धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी या] धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सम्यक् समय के भीतर आय की विवरणी] देने में असफल रहने के लिए इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही—

(i) 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं होगी; या

(ii) 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस दशा में नहीं की जाएगी जब—

(क) वह निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व विवरणी दे देता है, या

(ख) नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर उसके द्वारा संदेय कर जैसा कि वह संदत्त अग्रिम कर को, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए कर को घटाकर आए, तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है।]

²[276गगग. तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना—यदि कोई व्यक्ति कुल आय की ऐसी विवरणी, जिसके देने के लिए उससे धारा 158खग के खंड (क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षा की जाती है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति, 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत इस धारा के अधीन किसी असफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा।]

³[276घ. लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहना—यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अपने पर तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लेखे और दस्तावेजों जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हों, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहेगा ⁴[या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा] तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, ⁵[और जुर्माने से] दण्डनीय होगा।

* *

*

*

*

⁷[277. सत्यापन आदि में मिथ्या कथन—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वहां—

(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, ⁸[पच्चीस लाख रुपए] से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु ⁸[दो वर्ष] तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

⁹[277क. लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण—यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा से प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का अपवंचन करने में समर्थ बनाने के आशय से किसी लेखाबही या इस अधिनियम के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में सुसंगत या उपयोगी अन्य दस्तावेज में ऐसी कोई प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में, प्रथम व्यक्ति जानता है कि वह मिथ्या है या वह यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु ¹⁰[दो वर्ष] तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन आरोप स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं हो सकेगा कि दूसरे व्यक्ति ने इस धारा के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का वास्तव में अपवंचन किया है।]

¹ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 62 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 1970 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा (1-4-1971 से) अन्तःस्थापित।

⁴ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 69 द्वारा (1-4-1976 से) अन्तःस्थापित।

⁵ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 119 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया।

⁷ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 70 द्वारा (1-10-1975 से) धाराएं 277, 278क, 278ख, 278ग और 278घ प्रतिस्थापित।

⁸ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 108 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁹ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 60 द्वारा अंतःस्थापित।

¹⁰ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 109 द्वारा प्रतिस्थापित।

278. मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण—यदि कोई व्यक्ति ¹[कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमान्त फायदे] के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है जो धारा 276ग की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी रीति से दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा तो वह—

(i) उस मामले में जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, ²[पच्चीस लाख रुपए] से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु ³[दो वर्ष] की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

278क. द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दण्ड—यदि धारा 276ख या धारा 276ग की उपधारा (1) या धारा 276गग, ³[या 276घघ, ⁴[धारा 276ङ] या धारा 277 या धारा 278 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

⁵[278कक. कुछ दशाओं में दंड अधिरोपित नहीं किया जाना—धारा 276क धारा 276कख ⁶[या धारा 276ख] के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था।]

⁷[278कख. अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति—(1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने, उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है:

परंतु जहां धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो।]

278ख. कंपनियों का अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध की दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने की भागी होगी:

¹ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 110 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 35 द्वारा (24-5-1985 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1981 के आय कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम सं० 38 की धारा 5 द्वारा (11-7-1981 से) अंतःस्थापित।

⁵ 1986 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 46 की धारा 27 द्वारा (10-9-1986 से) अंतःस्थापित।

⁶ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 120 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 276ख, धारा 276घघ या धारा 276ङ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 54 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

¹[(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) फर्म; और

(ii) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय भी है चाहे वह निगमित हो या नहीं; तथा

(ख) “निदेशक” से—

(i) फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ii) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में उसके कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है।

278ग. हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया गया है वहां उसका कर्ता अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे कर्ता को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

278घ. कुछ मामलों में आस्तियों, लेखा पुस्तकों, आदि के बारे में उपधारणा—(1) जहां धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान, कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज या वस्तु (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् आस्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) या कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें किसी व्यक्ति कब्जे या नियंत्रण में पाई गई हैं और ऐसी आस्तियां या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें अभियोजन द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और धारा 278 में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में दी जाती है वहां धारा 132 की उपधारा (4क) के उपबंध, यावत्साक्ष्य, ऐसी आस्तियों या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के संबंध में लागू होंगे।

(2) जहां धारा 132 की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से अभिरक्षा में ली गई कोई आस्तियां या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्षक अधिकारी को परिदत्त की जाती है और ऐसी आस्तियां, लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें अभियोजन द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और धारा 278 में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में दी जाती है वहां धारा 132 की उपधारा (4क) के उपबंध यावत्साक्ष्य ऐसी आस्तियों या लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के संबंध में लागू होंगे।]

²[**278ड. सदोष मनःस्थिति के बारे में उपधारणा**—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की सदोष मनःस्थिति की अपेक्षा है, न्यायालय ऐसी मनःस्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के

¹ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 61 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1986 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 46 की धारा 29 द्वारा (10-9-1986 से) अन्तःस्थापित।

लिए इस तथ्य को साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मनःस्थिति नहीं थी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, “सदोष मनःस्थिति” के अन्तर्गत आशय, हेतु या किसी तथ्य का ज्ञान या किसी तथ्य में विश्वास करने का कारण है।]

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई तथ्य साबित हुआ तभी कहा जाएगा, जब न्यायालय यह विश्वास करता है कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर सिद्ध हुई है।]

279. अभियोजन का मुख्य आयुक्त या आयुक्त की प्रेरणा से होना—¹[(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 275क, ²[धारा 275ख,] धारा 276, धारा 276क, धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 276गग, धारा 276घ, धारा 277 ³[, धारा 277क या धारा 278] के अधीन किसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही, आयुक्त या आयुक्त (अपील) या समुचित प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं:

परन्तु, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक इस उपधारा के अधीन कार्यवाही संस्थित करने के लिए पूर्वोक्त आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समुचित प्राधिकरण” का वही अर्थ है जो धारा 269पक के खंड (ग) में है।]

⁴[(1क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण के संबंध में जिसकी बाबत उस पर ⁵[धारा 270क या] धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन आरोपित या अधिरोपणीय शास्ति धारा 273क के अधीन आदेश द्वारा घटा दी गई है या उसका अधित्यजन कर दिया गया है, धारा 276ग या धारा 277 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।]

¹[(2) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का प्रशमन, कार्यवाही संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा।]

⁶[(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है वहां धारा 116 के ⁷[खण्ड (क) से (छ)] में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों में से किसी के समक्ष, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन या पेश किया गया कोई लेखा या अन्य दस्तावेज ऐसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में केवल इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा कि ऐसा कथन या ऐसा लेखा या अन्य दस्तावेज इस विश्वास के साथ किया गया था कि अधिरोपणीय शास्ति ⁸[धारा 273क के अधीन] घटा दी जाएगी या अधित्यजित कर दी जाएगी या वह अपराध के जिसकी बाबत ऐसी कार्यवाही की गई थी प्रशमित कर दिया जाएगा।]

⁹[**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन, आदेश अनुदेश या निदेश जारी करने की बोर्ड की शक्ति के अन्तर्गत इस धारा के अधीन अपराधों के समुचित प्रशमन के लिए अन्य आय-कर प्राधिकारियों को अनुदेश या निदेश (जिनके अंतर्गत बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए निदेश या अनुदेश है) जारी करने की शक्ति सम्मिलित है और यह समझा जाएगा कि यह शक्ति सदैव से सम्मिलित है।]

¹⁰[**279क. कुछ अपराधों का असंज्ञेय होना**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी धारा 276ख या धारा 276ग या धारा 277गग या धारा 278 के अधीन दण्डनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में असंज्ञेय समझा जाएगा।]

¹¹[**279ख. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत**—किसी आय-कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में की प्रविष्टियां, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी और ऐसी सभी प्रविष्टियां आय-कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के ऐसे अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को जिनमें प्रविष्टियां हैं पेश करके या ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा जिसकी अभिरक्षा में ऐसे अभिलेख या अन्य दस्तावेज हैं, उसके हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रति, जिसमें यह कथन है कि यह मूल प्रविष्टियों की शुद्ध प्रति है और ऐसी मूल प्रविष्टियां उसकी अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं, पेश करके साबित की जा सकेगी।]

¹ 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 70 द्वारा (1-10-1991 से) प्रतिस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 108 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 62 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 71 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित।

⁵ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 110 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁶ 1965 के आय-कर (संशोधन) अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा (12-3-1965 से) अन्तःस्थापित।

⁷ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) “खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁸ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 71 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित।

⁹ 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 70 द्वारा (1-4-1991 से) अन्तःस्थापित।

¹⁰ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 72 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

¹¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 53 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 279ख अंतःस्थापित।

280. लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण—(1) यदि कोई लोक सेवक [धारा 138 की उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देगा या कोई दस्तावेज पेश करेगा] तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

2[280क. विशेष न्यायालय]—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, “उच्च न्यायालय” से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसे पदाभिधान से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न ऐसे किसी अपराध का भी विचारण करेगा, जिससे अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

280ख. विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध केवल विशेष, न्यायालय द्वारा यदि, यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, इस प्रकार पदाभिहित किया गया हो, जिसमें अपराध किया गया है, ही विचारणीय होगा:

परन्तु धारा 292 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम ऐसा कोई न्यायालय,—

(i) जिसे इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, उसके समक्ष के अपराधों का या ऐसे पदाभिधान के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उद्भूत अपराधों का विचारण करना जारी रखेगा;

(ii) जिसे विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित नहीं किया गया है, उसके समक्ष लंबित ऐसे अपराध का विचारण, उसका निपटारा किए जाने तक, जारी रख सकेगा;

(ख) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद पर, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाता है।

280ग. अपराधों का समन मामले के रूप में विचारण—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय, इस अध्याय के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किसी अपराध का विचारण समन मामले के रूप में करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जैसे वे समन मामले के विचारण की दशा में लागू होते हैं, तदनुसार लागू होंगे।

280घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होना—(1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध (जिनके अंतर्गत जमानतों या बंधपत्रों के बारे में उपबंध भी हैं) विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत नहीं रहा है।

(3) इस धारा के अधीन किसी लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) के अर्थात्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंधों का तदनुसार प्रभाव होगा।]

¹ 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 43 द्वारा (1-4-1964 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 111 द्वारा अन्तःस्थापित।

1*	*	*	*
2*	*	*	*

अध्याय 23

प्रकीर्ण

3[281. राजस्व के विषय में कपट वंचित करने के लिए अन्तरणों का शून्य होना—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान या उसके पूरे हो जाने के पश्चात् किन्तु द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अधीन सूचना की तामील के पूर्व कोई निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपनी आस्तियों में किसी पर (विक्रय, बंधक, दान, विनिमय या किसी भी अन्य प्रकार के अन्तरण द्वारा) प्रभार का सृजन करता है या उसका कब्जा छोड़ देता है वहां ऐसा प्रभार या अन्तरण उक्त कार्यवाही के पूरे होने के परिणामस्वरूप या अन्यथा निर्धारिती द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा:

परन्तु ऐसा प्रभार या अन्तरण शून्य नहीं होगा यदि वह—

(i) पर्याप्त प्रतिफल के लिए और, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाही के लम्बित होने की सूचना के बिना या निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर या अन्य राशि की सूचना के बिना किया जाता है; या

(ii) @[निर्धारण अधिकारी] की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है।

(2) यह धारा उन मामलों को लागू होती है जहां संदेय या सम्भाव्यतः संदेय कर की रकम या अन्य राशि पांच हजार रुपए से अधिक है और प्रभारित या अन्तरित आस्तियों का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “आस्ति” से भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, शेयर, प्रतिभूति और बैंकों में नियतकालिक निक्षेप उस विस्तार तक अभिप्रेत है जहां तक पूर्वोक्त आस्तियों में से कोई आस्ति निर्धारिती के बराबर के व्यापार स्टॉक की भागरूप नहीं है।]

4*	*	*	*
----	---	---	---

5[281ख. कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अन्तिम कुर्की—(1) जहां किसी आय के निर्धारण के लिए अथवा किसी ऐसी आय के जो निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, @[निर्धारण अधिकारी] की यह राय है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, 6@[मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक] के पूर्वानुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, उस निर्धारिती की किसी संपत्ति को द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित रीति से अन्तिम रूप से कुर्क कर सकता है।]

7*	*	*	*
----	---	---	---

(2) ऐसी प्रत्येक अनन्तिम कुर्की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छः मास की कालावधि की समाप्ति की पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी:

परन्तु 6@[मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक] ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पूर्वोक्त कालावधि की इतनी अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों के लिए बढ़ा सकता है जो वह ठीक समझे किन्तु विस्तार की कुल कालावधि किसी भी दशा में 8[दो वर्ष या निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण के आदेश की तारीख के पश्चात् साठ दिन, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो] से अधिक नहीं होगी।]

9*	*	*	*
----	---	---	---

10[(3) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन अनन्तिम रूप से कुर्क की गई किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अन्यून किसी रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी देता है, वहां निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी कुर्की का प्रतिसंहरण कर सकेगा:

¹ 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 48 द्वारा (1-4-1988 से) अध्याय 22क का लोप किया गया।

² 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 62 द्वारा (1-4-1965 से) अध्याय 22ख अन्तःस्थापित और 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 48 द्वारा (1-4-1991 से) लोप किया गया।

³ 1975 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 73 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

⁴ 1988 के अधिनियम सं० 45 की धारा 7 द्वारा (19-5-1988 से) लोप किया गया।

⁵ 1975 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 74 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

⁶ 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 57 द्वारा (1-10-1996 से) प्रतिस्थापित।

⁷ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 111 द्वारा लोप किया गया।

⁸ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁹ 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 75 द्वारा लोप किया गया।

¹⁰ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 111 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से निम्न किसी रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसी गारंटी को स्वीकार कर सकेगा और कुर्की का प्रतिसंहरण कर देगा।

(4) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रूप से कुर्की की गई किसी संपत्ति के मूल्य के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा, जो उस धारा में उपबंधित रीति में संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन अनंतिम कुर्की का प्रतिसंहरण करने वाला कोई आदेश,—

(i) जहां उपधारा (4) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया गया है, वहां गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर; या

(ii) किसी अन्य मामले में गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर,

किया जाएगा।

(6) जहां निर्धारिती पर संदेय किसी राशि को विनिर्दिष्ट करने वाली मांग की सूचना की तामील की जाती है और निर्धारिती, मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस राशि का संदाय करने में असफल होता है, तो निर्धारण अधिकारी, रकम की वसूली के लिए, उपधारा (3) के अधीन गारंटी का पूर्णतः या भागतः अवलंब ले सकेगा।

(7) यदि निर्धारिती उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी की समाप्ति से पंद्रह दिन पूर्व उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी के नवीकरण में असफल रहता है या किसी बराबर रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की नई गारंटी देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी, राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए बैंक गारंटी का अवलंब ले लेगा।

(8) उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी के अवलंब द्वारा वसूल की गई रकम उस विद्यमान मांग के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, जो निर्धारिती द्वारा संदेय है और अतिशेष रकम, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसके समनुपंगी या ऐसे बैंक के, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके अभिकर्ता के रूप में नियत किया जाए, शाखा में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाते में, ऐसे स्थान पर जमा की जाएगी, जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का कार्यालय स्थित है।

(9) जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी की अब और आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत उस गारंटी को निर्मुक्त कर देगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अनुसूचित बैंक” पद से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत होगा।]

¹[282. साधारणतया सूचना की तामील—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यक्ष या आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में “संसूचना” कहा गया है) की तामील उसमें नामित व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा उसकी एक प्रति परिदत्त या संप्रेषित करके की जा सकेगी,—

(क) डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सर्विस द्वारा, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए; या

(ख) ऐसी रीति में, जो समनों की तामील के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित की गई है; या

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 4 में यथा उपबंधित किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में;

(घ) बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार दस्तावेजों के पारेषण के ऐसे किसी अन्य साधन द्वारा।

(2) बोर्ड, उन पतों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक डाक या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश के लिए पता भी है) जिस पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या संप्रेषित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रानिक डाक” और “इलैक्ट्रानिक डाक संदेश” पदों के वही अर्थ हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में हैं।]

¹ 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[282क. सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन—(1) जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज ²[उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और कागज रूप में जारी किया जाएगा जो या इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी प्रक्रिया द्वारा संसूचित किया जाएगा विहित की जाए।]

(2) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने, तामील की जाने या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद उस पर मुद्रित, स्टांपित अथवा लिखित है, तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिहित आय-कर प्राधिकारी से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है।]

3*

*

*

*

283. सूचना की तामील जब कुटुम्ब विभाजित हो गया है या फर्म आदि विघटित हो गई है—(1) धारा 171 के अधीन @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा किसी हिन्दू कुटुम्ब के बारे में पूर्ण विभाजन का निष्कर्ष अभिलिखित कर दिए जाने के पश्चात् उस हिन्दू कुटुम्ब की आय की बाबत इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं की तामील, उस व्यक्ति पर की जाएगी जो हिन्दू कुटुम्ब का अन्तिम कर्ता था या यदि ऐसा व्यक्ति मर चुका है तो उन सब वयस्कों पर की जाएगी जो विभाजन के ठीक पूर्व उस हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य थे।

(2) जहां कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगम विघटित हो गया है वहां फर्म या संगम की आय के बारे में इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं की तामील ऐसे किसी व्यक्ति पर की जा सकेगी जो उसके विघटन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, भागीदार (जो अवयस्क नहीं है) या संगम का सदस्य था।

284. बन्द कर दिए गए कारबार की दशा में सूचना की तामील—जहां धारा 176 के अधीन निर्धारण किया जाना है वहां @[निर्धारण अधिकारी] उस व्यक्ति पर जिसकी आय का निर्धारण किया जाना है या किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम की दशा में किसी ऐसे व्यक्ति पर जो ऐसी फर्म या संगम के बन्द कर दिए जाने के समय उसका सदस्य था या कंपनी की दशा में उसके प्रधान अधिकारी पर ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें वे सब या उनमें से कोई अपेक्षाएं अन्तर्विष्ट होंगी जो धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के अन्तर्गत हो सकती है और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार यावत्कथं ऐसे लागू होंगे मानो वह सूचना उस धारा के अधीन जारी की गई सूचना हो।

⁴[285. ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किया जाना—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जिसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारत में स्थापित कोई संपर्क कार्यालय है, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक विवरण तैयार करेगा और उसे अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।]

⁵[285क. कतिपय मामलों में भारतीय समुत्थान द्वारा सूचना या दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना—जहां भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में कोई शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में अवस्थित आस्तियों से सारतः व्युत्पन्न होता है और, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या इकाई, भारत में ऐसी आस्तियां प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी समुत्थान के माध्यम से या में धारित करती है, वहां ऐसा भारतीय समुत्थान, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना या दस्तावेज विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।]

⁶[285ख. चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा विवरणियों का दिया जाना—कोई व्यक्ति जो किसी सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान चलचित्र फिल्मों का निर्माण कर रहा है, उस कालावधि की बाबत जिसके दौरान उसके द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष में ऐसा निर्माण किया जाता है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी फिल्म का निर्माण पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, कुल मिलाकर ⁷[पचास हजार रुपए] से अधिक के उन सभी संदायों की विशिष्टियां देते

¹ 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 55 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 112 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 31 द्वारा लोप किया गया।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

⁴ 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 78 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁶ 1975 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 76 द्वारा (1-4-1976 से) अन्तःस्थापित।

⁷ 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित।

हुए जो उसने ऐसे निर्माण में ¹*** उसके द्वारा लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति को किए हैं या उसके द्वारा देय हैं, विहित प्ररूप में एक कथन तैयार करेगा और @[निर्धारण अधिकारी] को पारित करेगा या कराएगा।]

²[285खक. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की बाध्यता—(1) कोई व्यक्ति, जो—

- (क) कोई निर्धारिती है; या
- (ख) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति है; या
- (ग) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या
- (घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार है; या
- (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है; या
- (च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट महाडाकपाल है; या
- (छ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कलक्टर है; या
- (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है; या
- (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या
- (ञ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है; या
- (ट) कोई विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था है,

जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को या ऐसे किसी रिपोर्ट योग्य खाते को, जो विहित किया जाए, रजिस्टर करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेज को रखने के लिए उत्तदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या ऐसे रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं या रखे गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक विवरण, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

- (क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय का कोई संव्यवहार; या
- (ख) कोई सेवा देने के लिए कोई संव्यवहार; या
- (ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन कोई संव्यवहार; या
- (घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में कोई संव्यवहार; या
- (ङ) कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्रतिगृहीत करने के लिए कोई संव्यवहार,

जो विहित किया जाए:

परन्तु बोर्ड, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के संबंध में भिन्न-भिन्न संव्यवहारों के लिए, ऐसे संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस प्रकार विहित किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहारों का, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा।

¹ 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा (1-6-1989 से) “कर्मचारी के रूप में या अन्यथा” शब्दों का लोप किया गया।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

² 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) जहां, विहित आय-कर प्राधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (1) के अधीन दिया गया विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है, उस त्रुटि की सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, विहित आय-कर प्राधिकारी स्वविवेकानुसार अनुज्ञात करे, उसे त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, तीस दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर उस त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विवरण को अविधिमान्य विवरण माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

(5) जहां ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस व्यक्ति पर सूचना की यह अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा, कि ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत किया जाए और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुसरण में विवरण प्रस्तुत किए जाने पर विवरण में दी गई सूचना में की कोई गलती ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी में आती है या उसका उसे पता चलता है, तो वह दस दिन की अवधि के भीतर निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, उस विवरण में की अशुद्धि की सूचना देगा और सही सूचना ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए।

(7) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सूचना, खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी जाएगी; और

(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।]

1[286. अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना—(1) भारत में निवासी प्रत्येक घटक अस्तित्व, यदि वह किसी अंतरराष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, का घटक है विहित आय-कर प्राधिकारी को (जिसे इसमें विहित प्राधिकारी कहा गया है) ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो विहित किए जाएं निम्नलिखित सूचित करेगा,—

(क) क्या वह अंतरराष्ट्रीय समूह का अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; या

(ख) अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व, यदि कोई हो, तथा देश या राज्यक्षेत्र, जिसके उक्त अस्तित्व निवासी हैं, के ब्यौरे।

(2) भारत में निवासी प्रत्येक मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में, जिसका वह घटक है, प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले लेखांकन वर्ष के लिए संसुगत लेखांकन वर्ष की आय की विवरणी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व विहित प्राधिकारी को ऐसे रूप और रीति में, जो विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) प्रत्येक देश या राज्यक्षेत्र, जिसमें समूह क्रियाशील है, के संबंध में राजस्व की रकम, आय-कर के पूर्व लाभ या हानि, संदत्त आय-कर की रकम, प्रोद्भूत आय-कर की रकम, कथित पूंजी, संचित उपार्जन, कर्मचारियों की संख्या और मूर्त आस्तियों, जो नकद या नकद के समतुल्य हैं, की बाबत सूचना का संकलन;

(ख) समूह के प्रत्येक घटक अस्तित्व के ब्यौरे जिसके अंतर्गत वह देश या राज्यक्षेत्र सम्मिलित है जिसमें ऐसा घटक अस्तित्व निगमित, संगठित या स्थापित है, और देश या राज्यक्षेत्र जहां का वह निवासी है;

(ग) प्रत्येक अस्तित्व के प्रमुख कारबार क्रियाकलाप या क्रियाकलापों की प्रकृति और ब्यौरे; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न, भारत में निवासी किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में उक्त उपधारा में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यदि मूल अस्तित्व ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है,—

¹ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 113 द्वारा अन्तःस्थापित।

(क) जिसके साथ भारत का उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट आदान-प्रदान का उपबंध करने वाला करार नहीं है; या

(ख) उस देश या राज्यक्षेत्र में क्रमबद्ध असफलता रही है और उक्त असफलता की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे घटक अस्तित्व को दे दी गई है:

परन्तु जहां समूह के ऐसे घटक अस्तित्व एक से अधिक हैं जो भारत में निवासी हैं, वहां रिपोर्ट किसी भी एक घटक अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, यदि—

(क) अंतरराष्ट्रीय समूह ने, भारत में निवासी सभी घटक अस्तित्वों की ओर से उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अस्तित्व को अभिहित किया है; और

(ख) समूह की ओर से ये जानकारी लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को भेज दी गई है।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी अनुकल्पी अस्तित्व ने, उस देश या राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारी के पास जहां ऐसा अस्तित्व निवासी है उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व उक्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो गया है, अर्थात्:—

(क) उक्त देश या राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है;

(ख) उक्त देश या राज्यक्षेत्र ने उक्त रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए उपबंध करने वाला करार भारत के साथ किया है;

(ग) विहित प्राधिकारी ने समूह के किसी ऐसे घटक अस्तित्व, जो भारत में निवासी है, को उक्त देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई क्रमबद्ध असफलता सूचित नहीं की है;

(घ) उक्त देश या राज्यक्षेत्र को घटक अस्तित्व द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय समूह की ओर से अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; और

(ङ) विहित प्राधिकारी को उपधारा (1) के अनुसार उपधारा (4) में निर्दिष्ट अस्तित्वों द्वारा सूचित कर दिया गया है।

(6) विहित प्राधिकारी, किसी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा दी गई रिपोर्ट के सही होने का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए लिखित में सूचना जारी करके ऐसी जानकारी और दस्तावेज, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर अस्तित्व से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा:

परन्तु विहित प्राधिकारी ऐसे अस्तित्व द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि का विस्तार तीस दिन से अनधिक की ओर अवधि तक कर सकेगा।

(7) इस धारा के उपबंध किसी लेखा वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में लागू नहीं होंगे यदि कुल समेकित समूह राजस्व जो ऐसे लेखा वर्ष के पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट हैं, ऐसी रकम, जो विहित की जाए, से अधिक नहीं है।

(8) इस धारा के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन लागू किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखा वर्ष” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई पूर्ववर्ष, उस मामले में जहां मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व भारत में निवासी है; या

(ii) वार्षिक लेखा कालावधि जिसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी अन्य मामले में उस देश या राज्यक्षेत्र के, जिसमें ऐसा अस्तित्व निवासी है, लागू लेखा मानकों के अधीन अपने वित्तीय विवरण तैयार करते हों;

(ख) “करार” से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार या कोई ऐसा करार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है;

(ग) “अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व” से अंतरराष्ट्रीय समूह का ऐसा कोई घटक अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे समूह द्वारा उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसमें उक्त घटक अस्तित्व ऐसे समूह की ओर से निवासी है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल अस्तित्व के स्थान पर अभिहित किया गया है;

(घ) “घटक अस्तित्व” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का ऐसा कोई पृथक् अस्तित्व जो वित्तीय रिपोर्ट करने वाले प्रयोजनों के लिए उक्त समूह के समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया है या उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार सम्मिलित किया जाए, यदि अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी अस्तित्व के साधारण शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने थे;

(ii) ऐसा कोई अस्तित्व जिसे एकमात्र आकार या तात्त्विकता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण से अपवर्जित किया गया है; या

(iii) खंड (i) या खंड (ii) में सम्मिलित अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी पृथक् कारबार अस्तित्व का कोई स्थायी स्थापन, यदि ऐसी कारबार यूनिट वित्तीय रिपोर्ट करने, विनियामक, कर रिपोर्ट करने या आंतरिक प्रबंध नियंत्रण प्रयोजनों के लिए ऐसे स्थायी स्थापन के लिए पृथक् वित्तीय विवरण तैयार करता है;

(ड) “समूह” में ऐसा मूल अस्तित्व और ऐसे सभी अस्तित्व सम्मिलित हैं जिनके संबंध में, स्वामित्व या नियंत्रण के कारण से, वित्तीय रिपोर्ट करने संबंधी प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरण—

(i) उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या लेखांकन मानकों के अधीन तैयार करना अपेक्षित है; या

(ii) तैयार किया जाना अपेक्षित होता, यदि किसी उद्यम के साधारण शेयर किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र में, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते;

(च) “समेकित वित्तीय विवरण” से ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह का वित्तीय विवरण अभिप्रेत है जिसमें मूल अस्तित्व और घटक अस्तित्व की आस्तियां, दायित्व, आय, खर्च और नकद प्रवाह एकल आर्थिक अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं;

(छ) “अंतरराष्ट्रीय समूह” से कोई ऐसा समूह अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) दो या अधिक उद्यम जो विभिन्न देशों या राज्यक्षेत्रों के निवासी हैं; या

(ii) कोई उद्यम, जो एक देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, अन्य देशों या राज्यक्षेत्रों में किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कोई कारबार चलाता है;

(ज) “मूल अस्तित्व” से किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का कोई ऐसा घटक अस्तित्व अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय समूह के एक या अधिक अन्य घटक अस्तित्वों में कोई हित, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, धारित करता है, जैसे कि,—

(i) उसके द्वारा उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या लेखांकन मानकों के अधीन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है; या

(ii) समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित होता, यदि उसके द्वारा किसी उद्यम के साधारण शेयर किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र में, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते,

और ऐसे समूह का कोई अन्य घटक अस्तित्व नहीं है, जिससे पहले वर्णित घटक अस्तित्व में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी हित के स्वामित्व के कारण खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत, जिसमें पहले उल्लिखित घटक अस्तित्व का पृथक् वित्तीय विवरण सम्मिलित है, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है;

(झ) “स्थायी स्थापन” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 92च के खंड (iii) में है;

(ञ) “रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष” से ऐसा लेखांकन वर्ष अभिप्रेत है जिसके संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में वित्तीय और प्रचलनात्मक परिणामों का प्रकट होना अपेक्षित है;

(ट) “रिपोर्ट किए जाने वाले अस्तित्व” से घटक अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है जिसके द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

(ठ) किसी देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में “क्रमबद्ध असफलता” से यह अभिप्रेत है कि ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का भारत के साथ उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट के आदान-प्रदान करने वाला करार है, किंतु—

(i) उक्त करार के अतिक्रमण में, इसने स्वतः आदान-प्रदान निलंबित कर दिया है; या

(ii) भारत में निवासी किसी घटक अस्तित्व वाले किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में अपने कब्जे में कोई रिपोर्ट भारत को स्वतः उपलब्ध कराने में लगातार असफल रहा है।]

¹[287. कुछ दशाओं में निर्धारितियों संबंधी जानकारी का प्रकाशन—यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किन्हीं निर्धारितियों के नाम और ऐसे निर्धारितियों के बारे में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों ²[या अभियोजनों] के संबंध में किन्हीं अन्य विशिष्टियों का प्रकाशित किया जाना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे नामों और विशिष्टियों को ऐसी रीति से जैसी वह ठीक समझती है प्रकाशित करवा सकेगी।]

³[(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ⁴*** आयुक्त (अपील) को अपील प्रस्तुत करने का समय बिना अपील प्रस्तुत किए समाप्त न हो गया हो, यदि अपील प्रस्तुत की गई हो तो उसका निपटारा न हो गया हो।]

स्पष्टीकरण—किसी फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषपालों या प्रबन्धकों अथवा संगम के सदस्यों के नाम भी प्रकाशित किए जा सकेंगे, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में मामले की परिस्थितियों में ऐसा न्यायोचित हो।]

⁵[287क. कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिरी—कोई निर्धारिती जो किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी मामले के संबंध में उपस्थित होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, उस दशा में सिवाय जहां वह धारा 131 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित हो सकता है।]

स्पष्टीकरण—इस धारा में “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खण्ड (णकक) में है।]

288. प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी—(1) ऐसा निर्धारिती जो शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए धारा 131 के अधीन अपेक्षित होने से अन्यथा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर अधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, वह इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से निर्धारिती द्वारा अपनी ओर से हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

- (i) किसी भी रीति से निर्धारिती से संबंधित व्यक्ति है या निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है; या
- (ii) ऐसे अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी है जिसमें निर्धारिती चालू खाता रखता है या अन्य नियमित व्यवहार करता है; या
- (iii) ऐसा विधि व्यवसायी है जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के लिए हकदार है; या
- (iv) लेखापाल है; या
- (v) ऐसा व्यक्ति है जिसने बोर्ड द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त कोई लेखाकर्म परीक्षा पास की है; या
- (vi) १ ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित की हैं जैसी बोर्ड, इस प्रयोजन के लिए, विहित करे; या

⁶[(vi)क) ऐसा व्यक्ति है, जो दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमण और दीव या पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, उक्त राज्यक्षेत्र में किसी निर्धारिती की ओर से निर्धारिती का कर्मचारी या खातेदार की हैसियत से अन्यथा आय-कर प्राधिकारी के समक्ष हाजिर हुआ था; या]

(vii) कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 61 की उपधारा (2) के खण्ड (4) के अर्थ में आय-कर व्यवसायी था और वास्तव में उस रूप में व्यवसाय कर रहा था।

⁷[**स्पष्टीकरण**—इस धारा में, “लेखापाल” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का एक विधिमान्य प्रमाणपत्र है किंतु इसमें [उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के सिवाय] निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,—

¹ 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 45 द्वारा (1-4-1964 से) प्रतिस्थापित।

² 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 77 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

³ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 77 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 65 द्वारा लोप किया गया।

⁵ 1972 के अधिनियम सं० 45 की धारा 6 द्वारा (1-1-1973 से) अन्तःस्थापित।

⁶ कराधान विधि (संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार) विनियम, 1963 (1963 का 3) द्वारा (1-4-1963 से) अन्तःस्थापित।

⁷ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कंपनी है ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त कंपनी में संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है; या

(ख) किसी अन्य मामले में,—

(i) स्वयं निर्धारिती या ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो फर्म व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है, फर्म का कोई भागीदार अथवा संगम या कुटुम्ब का सदस्य;

(ii) ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो न्यास या संस्था है, धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (गग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

(iii) उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसा व्यक्ति जो धारा 140 के उपबंधों के अनुसार धारा 139 के अधीन विवरणियां सत्यापित करने के लिए सक्षम है;

(iv) उपखंड (i) और उपखण्ड (ii) और उपखंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का कोई नातेदार;

(v) निर्धारिती का कोई अधिकारी या कर्मचारी;

(vi) ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्धारिती के किसी अधिकारी या कर्मचारी का भागीदार है या उसके नियोजन में है;

(vii) ऐसा कोई व्यक्ति या उसका नातेदार या भागीदार जो—

(I) निर्धारिती की कोई प्रतिभूति या हित धारण कर रहा है:

परंतु यह कि नातेदार, निर्धारिती में उस अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारण कर सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक का न हो;

(II) निर्धारिती का ऋणी है:

परंतु यह कि नातेदार निर्धारिती की ऐसी रकम जो एक लाख रुपए से अधिक का ऋणी हो सकेगा;

(III) किसी अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारिती को ऋणिता के संबंध में गारंटी देता है या कोई प्रतिभूति उपलब्ध कराता है:

परंतु यह कि नातेदार किसी अन्य व्यक्ति की ऋणिता के संबंध में निर्धारिती को ऐसी रकम के लिए, जो एक लाख रुपए से अधिक की न हो गारंटी दे सकेगा या प्रतिभूति उपलब्ध करा सकेगा;

(viii) कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निर्धारिती के साथ ऐसी प्रकृति का जो विहित किया जाए कारोबारी संबंध रखता है;

(ix) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें कपट अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्ध की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

1*

*

*

*

(4) कोई व्यक्ति—

(क) जो 1938 के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया गया या हटा दिया गया है; या

(ख) जो किसी आय-कर कार्यवाही से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है या जिस पर धारा 271² की उपधारा (1) के खंड (ii) ³[या धारा 272क की उपधारा (1) के खंड (घ)] ⁴*** के अधीन अधिरोपित शास्ति से भिन्न शास्ति इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गई है; अथवा

⁵[(ग) जो दिवालिया हो गया है; या

(घ) जिसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें कपट अंतर्वलित है,

उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में सभी समयों के लिए, खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, ऐसे समय के लिए जो प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, आदेश

¹ 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 52 द्वारा (1-10-1984 से) लोप किया गया।

² 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 49 द्वारा (1-4-1990 से) अंतःस्थापित।

³ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 114 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया।

⁵ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित।

द्वारा अवधारित करे, खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में ऐसी अवधि के लिए जिसके दौरान दिवालापन बना रहे, और खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अर्ह होगा।]

(5) यदि कोई व्यक्ति—

(क) जो विधि व्यवसायी या लेखापाल है अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पाया जाता है जो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने के लिए हकदार है तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का आय-कर प्राधिकारी के समक्ष उसके हाजिर होने के अधिकार के संबंध में वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि, यथास्थिति, विधि व्यवसायी या लेखापाल के रूप में व्यवसाय करने के उसके अधिकार के संबंध में होता है;

(ख) जो विधि व्यवसायी व लेखापाल नहीं है, विहित प्राधिकारी द्वारा, किन्हीं आय-कर कार्यवाहियों के संबंध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो विहित प्राधिकारी निर्दिष्ट कर सकेगा कि वह उसके बाद से उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्हित होगा।

(6) उपधारा (4) के खण्ड (ख) या उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश या निदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्—

(क) ऐसा कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति की बाबत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा कोई आदेश या निदेश दिया गया है उस आदेश या निदेश को रद्द कराने के लिए बोर्ड को अपील उस आदेश या निदेश के लिए जाने के एक मास के भीतर कर सकेगा; और

(ग) ऐसा कोई आदेश या निदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसके दिए जाने से एक मास समाप्त न हो जाए या जहां अपील की गई है वहां जब तक अपील का निपटारा न हो जाए।

(7) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 61 की उपधारा (3) के उपबंधों के आधार पर निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्ह व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्ह होगा।

1[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि के संबंध में “नातेदार” से, अभिप्रेत है—

(क) व्यष्टि की पत्नी या पति;

(ख) व्यष्टि का भाई या बहिन;

(ग) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहिन;

(घ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज;

(ङ) व्यष्टि की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज;

(च) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी व्यष्टि की पत्नी या पति;

(छ) व्यष्टि या व्यष्टि की पत्नी या पति के भाई अथवा बहिन का कोई पारंपरिक वंशज।]

2[288क. आय का पूर्णांकन—³इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय की रकम दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए रुपए के किसी भाग को जो पैसों में हो, छोड़ दिया जाएगा और तत्पश्चात् यदि ऐसी रकम दस की गुणज नहीं है तो यदि उस रकम का अंतिम अंक पांच या अधिक है तो वह रकम निकटतम उच्चतर रकम तक, जो दस की गुणज है, बढ़ा दी जाएगी और यदि अन्तिम अंक पांच से कम है तो वह रकम निकटतम निम्नतर रकम तक, जो दस की गुणज है, घटा दी जाएगी; और इस प्रकार पूर्णांकित रकम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी।]

4*

*

*

*

5[288ख. संदेय रकम और शोध्य प्रतिदाय को पूर्णांकित किया जाना—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कोई रकम और शोध्य प्रतिदाय की रकम दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए रुपए के ऐसे भाग को जो पैसों में है, अनदेखा किया जाएगा और उसके पश्चात् यदि ऐसी रकम दस का गुणज नहीं है तब, यदि उस रकम में अंतिम अंक पांच या उससे अधिक है तो रकम अगली उच्चतर रकम तक बढ़ा दी जाएगी जो दस का गुणज है और यदि अंतिम अंक पांच से कम है तो रकम अगली निम्नतर रकम तक घटा दी जाएगी जो दस का गुणज है।]

¹ 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 79 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 34 द्वारा (1-4-1966 से) अंतःस्थापित।

³ 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1969 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1969 से) धारा 288क की उपधारा (2) का लोप किया गया।

⁵ 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

289. रसीद दिया जाना—इस अधिनियम के अधीन संदत्त किए या वसूल किए गए किसी धन के लिए रसीद दी जाएगी।

290. परित्राण—ऐसे हर व्यक्ति को, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय की बाबत इस अधिनियम के अनुसरण में किसी कर की कटौती करता है, उसे प्रतिधारित करता है या संदाय करता है, उस कटौती, प्रतिधारण या संदाय के लिए एतद्वारा परित्राण दिया जाता है।

291. अभियोजन से उन्मुक्ति निविदत्त करने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है (जिस राय के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे) कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आय के छिपाने या आय पर कर के संदाय के अपवंचन से संबंधित या संसंगित रहा है, ¹[ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है] तो वह ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से तथा इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से भी, इस शर्त पर उन्मुक्ति निविदत्त कर सकेगी कि वह आय के छिपाने या आय पर कर के संदाय के अपवंचन से सम्बद्ध सम्पूर्ण परिस्थितियों का पूरा और सच्चा प्रकटीकरण करेगा।

(2) सम्बद्ध व्यक्ति को इस प्रकार निविदत्त और उसके द्वारा प्रतिगृहीत उन्मुक्ति, वहां तक जहां तक उन्मुक्ति का विस्तार है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसकी बाबत निविदान किया गया था, अभियोजन से या इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्त करेगी।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसको इस धारा के अधीन उन्मुक्ति निविदत्त की गई है, उस शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस पर वह निविदत्त की गई थी या वह जानबूझकर कोई बात छिपा रहा है अथवा मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो केन्द्रीय सरकार उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगी, और तदुपरि उन्मुक्ति वापस ले ली गई समझी जाएगी और ऐसे किसी व्यक्ति का उस अपराध के लिए, जिसकी बाबत उन्मुक्ति का निविदान किया गया था या किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसकी बाबत वह उसी मामले के सम्बन्ध में दोषी प्रतीत होता है विचारण किया जा सकेगा और वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी शास्ति के अधिरोपण के भी दायित्वाधीन होगा, जिसके दायित्वाधीन वह अन्यथा होता।

292. अपराधों का संज्ञान—प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

²[292क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 का और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू न होना—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 की या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का न हो।

292ख. कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना—इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में दी गई या किया गया या जारी की गई या जारी किया गया या की गई या दी जाने या किए जाने या जारी किए जाने या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही, किसी ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही में मात्र किसी भूल, त्रुटिया लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही सारवान् और प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप या अनुसार है।]

³[292खख. सूचना का कतिपय मामलों में विधिमान्य समझा जाना—जहां कोई निर्धारिती किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में उपसंजात हो गया है या उसने जांच में सहयोग किया है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय के भीतर, उस पर सम्यक् रूप में तामील हो गई है ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना की,—

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ख) समय के भीतर उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी;

परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारिती ने ऐसे निर्धारण या पुनः निर्धारण के पूरा होने से पूर्व ऐसी आपत्ति की है।]

¹ 1963 के अधिनियम सं० 13 की धारा 18 द्वारा (28-4-1963 से) अंतःस्थापित।

² 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 78 द्वारा (1-10-1975 से) धाराएं 292क और 292ख अन्तःस्थापित।

³ 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 56 द्वारा अंतःस्थापित।

¹[292ग. आस्तियों, लेखाबहियों आदि के बारे में उपधारणा—²[(1)] जहां कोई लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यावान वस्तु या चीज, धारा 132 के अधीन किसी तलाशी ³[या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण] के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं या है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जा सकेगी कि,—

(i) ऐसी लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यावान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित हैं;

(ii) ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों की अन्तर्वस्तुएं सत्य हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उसी व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और किसी स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था, जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।]

³[(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 132क के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 132क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थी।]

⁴[292गग. तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में प्राधिकार और निर्धारण—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक् रूप से धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी करना या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करना आवश्यक नहीं होगा;

(ii) जहां धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों का नाम उल्लिखित करते हुए की गई है, तो उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा पर एक से अधिक व्यक्तियों के ऐसे नामों के उल्लेख का यह अर्थ लगाया गया नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय के नाम में जारी किया गया था।

(2) इस बात के होते हुए भी कि धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा उसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम उल्लिखित करते हुए की गई है, वहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक्तया किया जाएगा।]

293. सिविल न्यायालयों में वादों का वर्जन—इस अधिनियम के अधीन ⁵[की गई किसी कार्यवाही या किए गए किसी आदेश को] अपास्त करने या उपान्तरित करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा तथा ⁶[सरकार या] सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जानी आशयित है।

⁷[293क. खनिज तेलों के पूर्वक्षण, निष्कर्षण आदि के कारबार में भाग लेने के संबंध में छूट आदि देने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी वर्ग के पक्ष में आय-कर की बाबत या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की संपूर्ण आय, या उसके किसी ⁸[भाग के बारे में या उस प्रास्थिति के बारे में जिसमें ऐसे वर्ग के व्यक्तियों या उनके सदस्यों का उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कारबार से उनकी आय पर निर्धारण किया जाना है, छूट दे सकेगी, दर में कमी कर सकेगी या अन्य उपान्तर कर सकेगी:

परंतु प्रास्थिति की बाबत उपांतर के लिए अधिसूचना, 1 अप्रैल, 1993 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से प्रभावी की जा सकेगी।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित है, अर्थात्—

¹ 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 78 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 57 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

³ 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 57 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 112 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 51 द्वारा (1-3-1988 से) “किए गए किसी आदेश को” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 46 द्वारा (1-4-1964 से) अन्तःस्थापित।

⁷ 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 22 द्वारा (1-4-1981 से) अंतःस्थापित।

⁸ 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) वे व्यक्ति जिनके साथ केन्द्रीय सरकार ने उस सरकार के या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के खनिज तेलों के लिए पूर्वेक्षण के या उनके निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार में सहयोजन या भाग लेने के लिए करार किए हैं;

(ख) वे व्यक्ति जो उस सरकार द्वारा या उस सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा खनिज तेलों के लिए पूर्वेक्षण के या उनके निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार के संबंध में कोई सेवाएं या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं अथवा कोई पोत, वायुयान, मशीनरी, या संयंत्र प्रदान कर रहे हैं (चाहे विक्रय के रूप में या भाड़े पर); और

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के कर्मचारी ।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

¹[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “खनिज तेल” के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है;

(ख) “प्रास्थिति” से वह प्रवर्ग अभिप्रेत है जिसके अधीन निर्धारिती का “व्यष्टि”, “हिन्दू अविभक्त कुटुंब” के रूप में और इसी प्रकार निर्धारण किया जाता है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “खनिज तेलों” के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ।]

²[293ख. अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के लिए माफी देने की केन्द्रीय सरकार या बोर्ड की शक्ति—जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार या बोर्ड का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड को पर्याप्त कारण से ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने में हुए किसी विलम्ब के लिए माफी देने की स्वतंत्रता होगी ।]

³[293ग. अनुमोदन वापस लेने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या ऐसा कोई आय-कर प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी निर्धारिती को कोई अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या ऐसा प्राधिकारी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुमोदन को वापस लेने का प्रावधान उस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया है, ऐसे अनुमोदन को किसी समय वापस ले सकेगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या आय-कर प्राधिकारी, संबंधित निर्धारिती को प्रस्तावित अनुमोदन वापस लिए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् अनुमोदन को वापस ले लेगा ।]

294. कर के प्रभार के लिए विधायी उपबन्ध के लम्बित रहने तक अधिनियम का प्रभावी रहना—यदि किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर 4*** प्रभारित करने के लिए किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा कोई उपबन्ध उस निर्धारण वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन तक न किया गया हो तो भी यह अधिनियम तब तक जब तक ऐसा उपबन्ध इस प्रकार नहीं कर दिया जाता ऐसे प्रभाव रखेगा मानो पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में प्रवृत्त उपबन्ध या ऐसे विधेयक में जो तत्समय संसद् के समक्ष हो प्रस्थापित उपबन्धों में से जो भी निर्धारिती के अधिक अनुकूल हैं, वे वस्तुतः प्रवृत्त हैं ।

⁵[294क. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में छूट आदि देने की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि किसी संकट या अनियमितता से बचने के लिए या दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी को इस अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, या पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र की दशा में 1956 के मई के अठाइसवें दिन फ्रांस तथा भारत के बीच की गई सन्तान्तरण संधि के किसी उपबन्ध को क्रियान्वित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी निर्धारिती या निर्धारितियों के किसी वर्ग की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग की बाबत किसी निर्धारिती या निर्धारितियों के किसी वर्ग के पक्ष में आय-कर या अतिकर के बारे में छूट की दर में कमी अथवा अन्य उपान्तर कर सकती है :

परन्तु इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 31 मार्च, 1967 के पश्चात् केवल पहले से दी गई किसी छूट, कमी या उपान्तरण को विखण्डित करने के प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा ।]

295. नियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

¹ 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 121 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 293ख अंतःस्थापित ।

³ 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 79 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 63 द्वारा (1-4-1965 से) लोप किया गया ।

⁵ कराधान विधि (संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार) विनियम, 1963 (1963 का 3) द्वारा (1-4-1963 से) अन्तःस्थापित ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) आय के किसी वर्ग का अभिनिश्चय और अवधारण;

(ख) वह रीति जिसमें, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा—

(i) भागतः कृषि से और भागतः कारबार में व्युत्पन्न आय की दशा में,

(ii) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों की दशा में ;

¹[(iii) कोई व्यष्टि जो धारा 64 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन निर्धारण के दायित्वाधीन है;] आय परिकल्पित की जाएगी ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य किसी परिलब्धि के मूल्य का ऐसी रीति में और ऐसे आधार पर अवधारण जो बोर्ड को उचित और युक्तियुक्त प्रतीत हो ;

(घ) अवलिखित मूल्य पर प्रतिशतता, जो भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत अवक्षयण के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी;

²[(घघ) वह परिमाण जिस तक, और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, धारा 37 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यय अनुज्ञात किया जा सकेगा;]

³[(घघक) धारा 44क की उपधारा (2) और (3) में विनिर्दिष्ट विषय ;]

⁴*

*

*

*

⁵[(ङ)] वे शर्तें या मर्यादाएं जिनके अधीन रहते हुए निर्धारित द्वारा किए गए भाटक के किसी संदाय की धारा 80छछ के अधीन कटौती की जाएगी;

⁶[(ङङ) अध्याय 10क में विनिर्दिष्ट मामले;]

(ङङक) वे मामले, आस्तियों की प्रकृति और मूल्य, व्यय और नियमों की परिसीमाएं और शीर्ष जिनका धारा 139 की उपधारा (6) के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है;

(ङङख) वह समय जिनके भीतर कोई व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिसमें ऐसा आवेदन किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां जो ऐसे आवेदन में होंगी और वे संव्यवहार जिनकी बाबत स्थायी लेखा संख्यांक का ऐसे संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में धारा 139क के अधीन हवाला दिया जाएगा;

⁷[(ङङखक) वे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्टें, जो विवरणी के साथ नहीं दी जा सकेंगी, किन्तु धारा 139ग के अधीन मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी;

(ङङखख) उस वर्ग या वर्गों के व्यक्ति, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी देना अपेक्षित होगा; इलेक्ट्रॉनिक रूप में उक्त विवरणी दिए जाने का प्ररूप और रीति; वे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या रिपोर्टें, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में और कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से विवरणी के साथ नहीं दी जाएंगी, जिनमें ऐसी विवरणी धारा 139घ के अधीन पारेषित की जा सकेगी;]

(ङङग) लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप और वे विशिष्टियां जो ऐसी रिपोर्ट में धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन होंगी;

⁸[(ङङघ) धारा 144खक की उपधारा (18) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक तथा उपधारा (21) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के गठन, कार्यकरण और उसके द्वारा निर्देशों का निपटारा करने की प्रक्रिया और रीति;]

(च) वह रीति जिसमें और वह कालावधि जिसके लिए कोई ऐसी आय जैसी धारा 180 में निर्दिष्ट है, आबंटित की जा सकेगी;

¹ 1970 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 55 द्वारा (1-4-1971 से) अन्तःस्थापित ।

² 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 47 द्वारा (1-4-1964 से) अन्तःस्थापित ।

³ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 79 द्वारा (1-4-1976 से) अन्तःस्थापित ।

⁴ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 64 द्वारा (1-4-2006 से) लोप किया गया ।

⁵ 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 59 द्वारा पुनःसंख्यांकित ।

⁶ 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 59 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁷ 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 79 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁸ 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹[(चक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी;]

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए विहित किया जाने वाला प्राधिकारी;

(ज) दोहरे कराधान की बाबत राहत अनुदत्त करने के लिए या दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए किसी ऐसे करार के, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए, निबन्धनों को प्रभावी करने के लिए प्रक्रिया;

²[(जक) धारा 90 या धारा 90क या धारा 91 के अधीन इस अधिनियम के अधीन संदेय आय-कर के प्रति, भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर की, यथास्थिति, राहत देने या कटौती करने की प्रक्रिया;]

(झ) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई आवेदन या दावा किया जा सकेगा या कोई विवरणी या जानकारी दी जा सकेगी और वह फीस जो किसी आवेदन या दावे की बाबत उद्गृहीत की जा सकेगी;

(ण) वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन दाखिल की जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज सत्यापित की जा सकेगी;

(ट) प्रतिदायों के लिए आवेदनों पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

³[(टट) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारितियों द्वारा संदेय ब्याज या सरकार द्वारा निर्धारितियों को संदेय-ब्याज के परिकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उस कालावधि का, जिसके लिए ब्याज का परिकलन किया जाना है, पूर्णांकन जब ऐसी कालावधि में मास का भाग सम्मिलित है, और वे परिस्थितियां जिनमें और मात्रा जिस तक निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की छोटी-मोटी रकमें छोड़ी जा सकेंगी विनिर्दिष्ट करना आता है;]

(ठ) किसी ऐसे मामले का विनियमन जिसके लिए धारा 230 में उपबंध किया गया है;

(ड) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई अपील या प्रत्याक्षेप इस अधिनियम के अधीन दाखिल किया जा सकेगा, उसकी बाबत संदेय फीस और वह रीति जिसमें ऐसे किसी आदेश की जैसी धारा 249 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट है, प्रज्ञापना की तामील की जा सकेगी;

⁴[(डड) वे परिस्थितियां जिनमें, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए वह रीति जिसमें @⁵ आयुक्त (अपील)] किसी अपीलार्थी को ऐसा साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो उसने आय-कर अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया था या जिसे पेश करने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया गया था;]

⁶[(डडक) वह प्ररूप जिसमें धारा 285ख के अधीन कथन आय-कर अधिकारी को परिदत्त किया जाएगा;]

(ढ) धारा 288 की उपधारा (2) में यथा परिभाषित विधि व्यवसायियों और लेखापालों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों के, जो आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष विधि व्यवसाय करते हैं, रजिस्टर का रखा जाना और उस धारा की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी का गठन और उसके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ण) निर्धारिती द्वारा कर का संदाय सत्यापित करने वाले प्रमाणपत्र का दिया जाना;

(त) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में, जहां कर के दायित्वाधीन आय निश्चयपूर्वक अभिनिश्चित नहीं की जा सकती या निर्धारिती को इतने कष्ट और व्यय से ही अभिनिश्चित की जा सकती है जो बोर्ड की राय में अयुक्तियुक्त है, वहां इस धारा के अधीन बनाए गए नियम—

(क) ऐसी पद्धतियां विहित कर सकेंगे जिनके द्वारा ऐसी आय का प्राक्कलन किया जाए;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अधीन आने वाले मामलों में, आय का वह अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिसे कर के दायित्वाधीन आय समझा जाएगा,

और ऐसे प्राक्कलन या अनुपात पर आधारित निर्धारण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया समझा जाएगा ।

¹ 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 58 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 80 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 1970 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 55 द्वारा (1-4-1971 से) अंतःस्थापित ।

⁴ 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 41 द्वारा (1-4-1972 से) अंतःस्थापित ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

⁵ 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 65 द्वारा लोप किया गया ।

⁶ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 79 द्वारा (1-4-1976 से) अंतःस्थापित ।

¹[(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों की या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है और जब तक (अभिव्यक्ततः या आवश्यक विवक्षा द्वारा) इसके प्रतिकूल अनुज्ञात न किया जाए तब तक किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि निर्धारिती के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा।]

²[296. नियमों और कुछ अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना—केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम ³[को धारा 245च की उपधारा (7) के अधीन समझौता आयोग, धारा 245फ के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण और धारा 255 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण द्वारा बनाए गए प्रक्रिया के नियमों को] और ⁴[1 जून, 2007 से पहले धारा 10 के खण्ड 23(ग) के उपखण्ड (iv) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना] ⁵[और धारा 139 की उपधारा (1ग) ⁶[या धारा 153क की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक या धारा 153ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक] के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना] को उस नियम के बनाए जाने या उस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् उसका ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन, सहमत हो जाएं कि उस नियम को नहीं बनाया जाना चाहिए या उस अधिसूचना को जारी नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

297. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), निरसित होते हुए भी—

(क) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व आय की विवरणी दाखिल की गई है, वहां उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति के निर्धारण के लिए कार्यवाहियां ऐसे की जा सकेंगी और जारी रखी जा सकेंगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो;

(ख) जहां 1962 के मार्च के 31वें दिन के समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी निरसित अधिनियम की धारा 34 के अधीन सूचना के अनुसरण में दाखिल किए जाने से अन्यथा रूप में, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् दाखिल की गई है, वहां उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति का निर्धारण इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

(ग) किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के तौर पर इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित कोई कार्यवाही, ऐसे जारी रखी जाएगी और निपटाई जाएगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो;

(घ) जहां 1940 के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के पश्चात् किसी निर्धारण वर्ष की बाबत—

(i) निरसित अधिनियम की धारा 34 के अधीन कोई सूचना इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व निकाली गई थी, वहां ऐसी सूचना के अनुसरण में की गई कार्यवाहियों को ऐसे जारी रखा जा सकेगा और निपटाया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो;

(ii) कर से प्रभार्य कोई आय ऐसे अर्थ में निर्धारण से छूट गई थी जैसा उस अभिव्यक्ति का अर्थ धारा 147 में है और ऐसी किसी आय की बाबत निरसित अधिनियम की धारा 34 के अधीन कोई भी कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रारंभ पर लम्बित नहीं हैं, वहां उस निर्धारण वर्ष की बाबत धारा 148 के अधीन सूचना, धारा 149 या धारा 150 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए निकाली जा सकेगी और इस अधिनियम के सब उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे;

(ङ) ⁷[इस उपधारा के खण्ड (छ) और खण्ड (ज) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] निरसित अधिनियम की धारा 23क, उस निर्धारण वर्ष के लिए जो 1962 के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होता है या पूर्वतर वर्ष के लिए किसी कम्पनी या उसके शेयरधारकों के निर्धारण के संबंध में प्रभावी बनी रहेगी तथा निरसित अधिनियम के उपबन्ध ऐसे निर्धारण से उद्भूत

¹ 1974 के प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम सं० 26 की धारा 14 द्वारा (18-8-1974 से) अंतःस्थापित।

² 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 80 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित।

³ 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 49 द्वारा (1-6-1994 से) अंतःस्थापित।

⁴ 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 80 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 33 द्वारा अंतःस्थापित।

⁶ 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 113 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 1963 के अधिनियम सं० 13 की धारा 19 द्वारा (1-4-1962 से) अंतःस्थापित।

होने वाले सब मामलों को इस प्रकार पूरी तरह से और प्रभावकारी रीति से लागू होंगे मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो;

(च) 1962 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व किए गए किसी निर्धारण की बाबत शास्ति के अधिरोपण के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी और इस प्रकार अधिरोपित की जा सकेगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो;

(छ) 1962 के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष या किसी पूर्वतर वर्ष के लिए, किसी निर्धारण की बाबत जो 1962 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् पूरा किया गया हो, शास्ति के अधिरोपण के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी;

(ज) किसी निर्वाचन या घोषणा या विकल्प को जिसे निर्धारिती ने निरसित अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया या प्रयुक्त किया है और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, ऐसा निर्वाचन या घोषणा या विकल्प समझा जाएगा जिसे इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया या प्रयुक्त किया गया है;

(झ) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पूरे किए गए किसी निर्धारण की बाबत, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् कोई प्रतिदाय देय हो जाता है या पूरे किए गए ऐसे निर्धारण के अधीन किसी देय राशि के संदाय में ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् व्यतिक्रम किया जाता है, वहां इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध जो प्रतिदाय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय ब्याज और व्यतिक्रम के लिए निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज से सम्बद्ध है, लागू होंगे;

(ञ) निरसित अधिनियम के अधीन आय-कर, अधिकर ब्याज, शास्ति के तौर पर या अन्यथा संदेय किसी राशि की वसूली, इस अधिनियम के अधीन, किन्तु ऐसी राशि की वसूली के लिए निरसित अधिनियम के अधीन पहले ही की गई किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, की जा सकेगी;

(ट) निरसित अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया कोई करार, की गई नियुक्ति, किया गया कोई अनुमोदन, अनुदत्त कोई मान्यता, निकाला गया कोई निदेश, अनुदेश, अधिसूचना, आदेश या नियम, वहां तक जहां तक वह इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबन्धों से असंगत नहीं है, पूर्वोक्त तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया, की गई, किया गया अनुदत्त या निकाला गया समझा जाएगा तथा तदनुसार प्रवृत्त रहेगा;

(ठ) निरसित अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) ¹[या धारा 60क] के अधीन निकाली गई और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही कोई अधिसूचना, उस विस्तार तक जिस तक इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध नहीं किया गया है, प्रवृत्त बनी रहेगी, ²*** :

³[परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी अधिसूचना को विखण्डित या संशोधित कर सकती है जिससे तद्धीन कोई छूट, दर में कमी या अन्य उपान्तर विखण्डित हो जाए;]

(ड) जहां निर्धारिती अधिनियम के अधीन किसी आवेदन, अपील, निदेश या पुनरीक्षण के लिए विहित कालावधि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उससे पूर्व समाप्त हो गई थी, वहां इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे आवेदन, अपील, निदेश या पुनरीक्षण को इस अधिनियम के अधीन किए जाने के लिए केवल इस तथ्य के कारण समर्थ बनाती है कि उसके लिए अधिक लम्बी कालावधि विहित है या समुचित प्राधिकारी द्वारा यथोचित मामलों में समय के विस्तार के लिए उपबन्ध किया गया है।

298. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे उपबन्धों से असंगत न होने वाली कोई भी ऐसी बात जोकि कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कर सकेगी।

(2) विशिष्टता, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किसी आदेश में उन अनुकूलनों या उपान्तरणों के लिए उपबन्ध हो सकेगा जिनके अधीन रहते हुए निरसित अधिनियम 1962 के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर वर्ष के लिए निर्धारणों के संबंध में लागू होगा।

⁴[(3) यदि प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसी बात कर सकेगी जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश 1 अप्रैल, 1988 से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।]

(4) उपधारा (3) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।]

¹ 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 35 द्वारा (1-4-1962 से) अंतःस्थापित।

² 1972 के अधिनियम सं० 54 की धारा 7 द्वारा (9-9-1972 से) “जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विखंडित कर दी जाती” शब्दों का लोप किया गया।

³ 1972 के अधिनियम सं० 54 की धारा 7 द्वारा (9-9-1972 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 123 द्वारा (1-4-1988 से) अन्तःस्थापित।

प्रथम अनुसूची

[नियम 1-3]

बीमा कारबार

(धारा 44 देखिए)

क—जीवन बीमा कारबार

1. **जीवन बीमा कारबार के लाभों का पृथक्: संगणित किया जाना**—ऐसे व्यक्ति की दशा में जीवन बीमा कारबार करता है या जिसने पूर्ववर्ष में किसी भी समय जीवन बीमा कारबार किया है, ऐसे कारबार से ऐसे व्यक्ति के लाभ और अभिलाभ की संगणना, उसके किसी अन्य कारबार के लाभ या अभिलाभ से पृथक्: की जाएगी।

2. **जीवन बीमा कारबार के लाभों की संगणना**—अधिशेष के वार्षिक औसत को जैसा कि वह निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व समाप्त होने वाली अन्तिम अन्तर्मूल्यांकन कालावधि की बाबत बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अनुसार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट अधिशेष या कमी को समायोजित करके आए, जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा, जिससे उसमें सम्मिलित किसी अधिशेष या कमी का जो किसी पूर्वतर अन्तर्मूल्यांकन कालावधि में सम्मिलित की गई थी, उसमें से अपवर्जन हो जाए।

2*

*

*

*

4. **स्रोत पर कटौती द्वारा संदत्त कर का समायोजन**—जहां किसी वर्ष के लिए जीवन बीमा कारबार के लाभों का निर्धारण बारह मास से अधिक की अन्तर्मूल्यांकन कालावधि के लिए मूल्यांकन द्वारा प्रकट अधिशेष के वार्षिक औसत के अनुसार किया जाता है, वहां उस वर्ष के लिए संदेय आय-कर की संगणना करने से पूर्व में संदत्त आय-कर के लिए मुजरा धारा 199 के अनुसार नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी कालावधि के दौरान प्रतिभूतियों पर व्याज से या अन्य प्रकार से स्रोत पर कटौती के रूप में संदत्त आय-कर के वार्षिक औसत के लिए मुजरा किया जाएगा।

ख—अन्य बीमा कारबार

5. **अन्य बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना**—जीवन बीमा से भिन्न किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों को ³[बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में प्रकट किए गए कर और विनियोजनों से पूर्व लाभ माना जाएगा] जो निम्नलिखित समायोजनों के अधीन रहते हुए होगा,—

(क) इस नियम के अन्य उपबंधों के रहते हुए ⁴[कोई ऐसा व्यय या मोक जिसके अंतर्गत किसी कर, लाभांश, आरक्षिती के लिए उपबंध के रूप में या किसी ऐसे अन्य उपबंध के रूप में, जो विहित किया जाए, लाभ या हानि लेखे में से विकलित कोई रकम है] जो ⁵[धारा 30 से धारा 43क तक] के उपबंधों के अधीन कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में अनुज्ञेय नहीं है, पुनः जोड़ दिया जाएगा ;

⁶[(ख) (i) विनिधानों की वसूली पर किसी अभिलाभ या हानि को, यथास्थिति, जोड़ा जाएगा या उसकी कटौती की जाएगी, यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में जमा या उससे विकलित नहीं किया गया है;

(ii) लाभ-हानि लेखे से विकलित किए गए विनिधान के मूल्य में कमी के किसी उपबंध को वापस जोड़ा जाएगा;]

(ग) चालू जोखिमों के लिए आरक्षण में अग्रणीत ऐसी रकम, जो इस निमित्त विहित की जाए कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

ग—अन्य उपबन्ध

6. **अनिवासी व्यक्ति के लाभ और अभिलाभ**—(1) भारत में निवास न करने वाले और कोई बीमा कारबार चलाने वाले व्यक्ति की भारत में शाखाओं के लाभ और अभिलाभ अधिक विश्वसनीय आधार सामग्री के अभाव में ऐसे व्यक्ति की विश्व-आय का वह अनुपात माना जा सकेगा जो भारत से व्युत्पन्न उसकी प्रीमियम आय का उसकी कुल प्रीमियम आय से अनुपात के समान हो।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 23 द्वारा (1-4-1977 से) प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 23 द्वारा (1-4-1977 से) लोप किया गया।

³ 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 80 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 64 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

⁵ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

⁶ 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए विश्व-आय की, जहां तक वह भारत में निवास न करने वाले व्यक्ति के जीवन बीमा कारबार से सम्बद्ध है, संगणना उस रीति में की जाएगी जो भारत में चलाए गए जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए इस अधिनियम में अधिकथित है।

7. निर्वचन—(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए—

1* * * *

(ii) “विनिधानों” के अन्तर्गत प्रतिभूतियां, स्टाक और शेयर भी हैं;

1* * * *

(iv) “जीवन बीमा कारबार” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (11) में यथापरिभाषित जीवन बीमा कारबार अभिप्रेत है;

(v) “नियम” से इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियम अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देशों का, जहां तक उनका संबंध भारत के जीवन बीमा निगम से है, यह अर्थ किया जाएगा कि वे जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 43 के साथ पठित उस अधिनियम या उसके उपबन्ध के प्रति निर्देश है।

द्वितीय अनुसूची

[नियम 1-4]

कर की वसूली के लिए प्रक्रिया

²[[धारा 222 और धारा 276 देखिए]]

भाग 1

साधारण उपबन्ध

1. परिभाषाएं—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

³[(क) “प्रमाण पत्र” से नियम 7, नियम 44, नियम 65 और नियम 66 के उपनियम (2) के सिवाय धारा 222 में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती के संबंध में उस धारा के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;]

(ख) “व्यतिक्रमी” से प्रमाण पत्र में वर्णित निर्धारिती अभिप्रेत है;

(ग) प्रमाण पत्र के संबंध में “निष्पादन” से, प्रमाण पत्र के अनुसरण में बकाया की वसूली अभिप्रेत है;

(घ) “जंगम सम्पत्ति” से अन्तर्गत फसल भी है;

(ङ) “अधिकारी” से इस अनुसूची के अधीन कुर्की या विक्रय करने के लिए प्रधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) “नियम” से इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियम अभिप्रेत है; और

(छ) “निगम के शेयर” के अन्तर्गत स्टाक, डिबेन्चर स्टाक, डिबेन्चर या बन्धपत्र भी है।

2. सूचना जारी करना—इस अनुसूची के अधीन बकाया की वसूली के लिए ⁴[कर वसूली अधिकारी द्वारा जब कोई प्रमाण पत्र तैयार किया गया है] वह कर-वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी पर सूचना की तामील करवाएगा जिसमें व्यतिक्रमी से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम की तामील से पन्द्रह दिनों के भीतर संदाय करने की अपेक्षा और यह प्रज्ञापना होगी कि व्यतिक्रमी होने की दशा में इस अनुसूची के अधीन रकम की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

3. प्रमाणपत्र कब निष्पादित किया जा सकेगा—प्रमाणपत्र के निष्पादन के लिए कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि पूर्वगामी नियम द्वारा अपेक्षित सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि न बीत जाए :

परन्तु यदि कर वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रमी द्वारा अपनी ऐसी सम्पूर्ण जंगम सम्पत्ति या उसके किसी भाग का, जो सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की के दायित्वाधीन होगी छुपाना, हटाना या व्ययनित करना संभाव्य

¹ 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 23 द्वारा (1-4-1977 से) लोप किया गया।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।

³ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

है और प्रमाणपत्र की रकम की वसूली इसके परिणामस्वरूप विलम्बित या बाधित होगी तो वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी समय ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की का निदेश दे सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि वह व्यतिक्रमी जिसकी सम्पत्ति इस प्रकार कुर्की की गई है, कर-वसूली अधिकारी को समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति दे देता है तो ऐसी कुर्की उस तारीख से, जिससे कि ऐसी प्रतिभूति कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत की जाती है, रद्द कर दी जाएगी।

4. वसूली का ढंग—यदि सूचना में वर्णित रकम उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कर वसूली अधिकारी स्वविवेक से मंजूर करे, संदत्त नहीं की जाती है तो कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उस रकम को वसूल करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करेगा:—

- (क) व्यतिक्रमी की जंगमी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय;
- (ख) व्यतिक्रमी की स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय;
- (ग) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और उसका कारागार में निरोध;
- (घ) व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए रिसेवर की नियुक्ति।

5. वसूलीय ब्याज, खर्चे और प्रभार—प्रत्येक प्रमाणपत्र के निष्पादन की कार्यवाहियों में निम्नलिखित वसूलीय होंगे—

(क) कर या शास्ति की रकम या ऐसी अन्य राशि पर, जिसमें प्रमाणपत्र सम्बद्ध है ऐसा ब्याज जो धारा 220 की उपधारा (2) के अनुसार संदेय है, और

(ख) ऐसे सब प्रभार जो—

(i) बकाया का संदाय करने के लिए व्यतिक्रमी पर सूचना की तामील की, तथा वारंटों और अन्य आदेशिकाओं की बाबत, उपगत हो, और

(ii) बकाया वसूली करने के लिए की गई सभी अन्य कार्यवाहियों की बाबत, उपगत हो।

6. क्रेता का हक—(1) जहां प्रमाणपत्र के निष्पादन में सम्पत्ति विक्रीत की जाती है वहां क्रेता में केवल वही अधिकार, हक और हित निहित होगा जो विक्रय के समय व्यतिक्रमी का है चाहे सम्पत्ति विनिर्दिष्ट भी हो।

(2) जहां प्रमाणपत्र के निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति विक्रीत की जाती है और ऐसा विक्रय अंतिम हो गया है वहां क्रेता के अधिकार, हक और हित के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसमें उस समय से निहित हुए हैं जब सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है न कि उस समय से जब विक्रय अन्तिम हो जाता है।

7. क्रेता के विरुद्ध कोई भी वाद इस आधार पर नहीं लाया जा सकेगा कि क्रय वादी की ओर से किया गया था—(1) कोई भी वाद किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अनुसूची में अधिकथित रीति से कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणित क्रय के अधीन हक का दावा करता है, इस आधार पर नहीं होगा कि क्रय वादी की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसके द्वारा वादी दावा करता है, किया गया था।

(2) इस धारा की कोई बात यह घोषणा अभिप्राप्त करने के लिए कि पूर्वोक्त रूप में प्रमाणित किसी क्रेता का नाम प्रमाणपत्र में कपटपूर्वक या असली क्रेता की सम्पत्ति के बिना प्रविष्ट किया गया था किसी वाद का वर्जन नहीं करेगी या किसी तृतीय पक्षकार के उस सम्पत्ति के विरुद्ध यद्यपि वह दृश्यतः प्रमाणित क्रेता को विक्रय की गई थी, इस आधार पर कार्रवाई करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी कि वह असली स्वामी के विरुद्ध ऐसे तृतीय पक्षकार के दावे की पुष्टि करने के दायित्वाधीन है।

1[8. निष्पादन के आगमों का व्ययन—(1) जब कभी आस्तियां किसी प्रमाण पत्र के निष्पादन में विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल की जाती हैं तब आगमों का व्ययन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्—

(क) प्रथमतः उनका समायोजन ऐसे प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम जिसके निष्पादन में आस्तियां वसूल की गई थीं और ऐसे निष्पादन के अनुक्रम में उपगत खर्चों के प्रति किया जाएगा ;

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट समायोजन के पश्चात् कोई अतिशेष बच जाता है तो उसका उपयोग इस अधिनियम के अधीन निर्धारित से वसूलीय ऐसी किसी अन्य रकम को चुकाने में किया जाएगा जो उस तारीख को देय हो जिसको आस्तियां वसूल की गई थीं, और

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के अधीन समायोजन के पश्चात् बचे अतिशेष का, यदि कोई हो, व्यतिक्रमी को संदाय किया जाएगा।

¹ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) यदि व्यतिक्रमी उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन किसी समायोजन पर विवाद करता है तो कर वसूली अधिकारी उस विवाद का अवधारण करेगा।

9. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का साधारण वर्जन वहां के सिवाय जहां कपट अधिकथित हो—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय यह है कि [कर वसूली अधिकारी] और व्यतिक्रमी या उसके प्रतिनिधियों के बीच हर ऐसा प्रश्न जो 2*** प्रमाणपत्र के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि के संबंध में अथवा ऐसे प्रमाणपत्र के निष्पादन में किए गए विक्रय का इस अधिनियम के अधीन आदेश द्वारा पुष्ट या अपास्त करने के संबंध में उद्भूत होता है, वाद द्वारा अवधारित नहीं किया जाएगा किन्तु उस कर-वसूली अधिकारी के आदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसके समक्ष ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है :

परन्तु कपट के आधार पर ऐसे किसी प्रश्न की बाबत वाद सिविल न्यायालय में लाया जा सकेगा।

10. कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति—(1) ऐसी सब सम्पत्ति जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय में छूट प्राप्त है, इस अनुसूची के अधीन कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी।

(2) इस बात कि कौन सी सम्पत्ति इस प्रकार छूट की हकदार है कर-वसूली अधिकारी का विनिश्चय निश्चायक होगा।

11. कर वसूली अधिकारी द्वारा अन्वेषण—(1) जहां प्रमाणपत्र के निष्पादन में किसी सम्पत्ति पर कोई दावा या उसकी कुर्की या विक्रय के बारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसे कुर्क या विक्रीत किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं है वहां कर वसूली अधिकारी उस दावे या आक्षेप का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होगा:

परन्तु जहां कर वसूली अधिकारी यह समझता है कि दावा या आक्षेप करने में परिकल्पनापूर्वक या अनावश्यकतः विलम्ब किया गया है वहां ऐसा कोई भी अन्वेषण नहीं किया जाएगा।

(2) जहां वह सम्पत्ति जिसके बारे में दावा या आक्षेप है, विक्रय के लिए विज्ञापित की जा चुकी है वहां विक्रय का आदेश देने वाला कर वसूली अधिकारी उस दावे या आक्षेप के अन्वेषण के लम्बित रहने तक, प्रतिभूति विषयक ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा मुलतवी कर सकेगा, जैसा कि कर-वसूली अधिकारी उचित समझेगा।

(3) दावेदार या आक्षेपकर्ता को यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य पेश करना होगा कि—

(क) (स्थावर सम्पत्ति की दशा में) बकाया का संदाय करने के लिए इस अनुसूची के अधीन जारी की गई सूचना की तामील की तारीख को, अथवा

(ख) (जंगम सम्पत्ति की दशा में) कुर्की की तारीख को,

प्रश्नगत सम्पत्ति में उसका कोई हित था या उसके कब्जे में थी।

(4) जहां उक्त अन्वेषण पर कर-वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि दावे या आक्षेप में कथित कारणों से वह सम्पत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी के या उसके लिए न्यासतः किसी व्यक्ति के कब्जे में या किसी किराएदार या अन्य व्यक्ति के जो उसे किराया दे रहा है अधिभोग में नहीं थी अथवा कि उक्त तारीख को व्यतिक्रमी के कब्जे में होते वह उसके कब्जे में अपने स्वयं के लेखे अथवा अपनी संपत्ति के रूप में नहीं थी किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसके लिए न्यासतः थी या भागतः उसके अपने स्वयं के लेखे और भागतः किसी अन्य व्यक्ति के लेखे थी वहां कर-वसूली अधिकारी उस सम्पत्ति को कुर्की या विक्रय से पूर्णतः या उस परिमाण तक, जिस तक वह ठीक समझे, निर्मुक्त करने वाले आदेश देगा।

(5) जहां कर-वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्पत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी के कब्जे में स्वयं अपनी सम्पत्ति के रूप में थी और किसी अन्य व्यक्ति के लेखे नहीं थी अथवा उसके लिए न्यासतः किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में या किराएदार या अन्य व्यक्ति के, जो उसे किराया दे रहा है, अधिभोग में थी वहां कर-वसूली अधिकारी दावे को नामंजूर करेगा।

(6) जहां कोई दावा या आक्षेप किया जाता है वहां वह पक्षकार जिसके विरुद्ध आदेश किया जाता है ऐसे अधिकारी को सिद्ध करने के लिए, जिसका वह विवादास्पद सम्पत्ति में दावा करता है, सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा, किन्तु ऐसे वाद के (यदि कोई हो) परिणाम के अधीन रहते हुए कर-वसूली अधिकारी का आदेश निश्चायक होगा।

12. प्रमाणपत्र की तुष्टि या रद्दकरण पर कुर्की का उठाया जाना—जहां—

(क) देय रकम, खर्चों और किसी सम्पत्ति की कुर्की के पारिणामिक अथवा विक्रय करने के लिए उपगत सभी प्रभारों और व्ययों सहित कर-वसूली अधिकारी को संदत्त की जाती है, अथवा

(ख) प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है,

¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “निर्धारण अधिकारी” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) “इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से दाखिल किए गए” शब्दों का लोप किया गया।

वहां कुर्की प्रत्याहृत समझी जाएगी और स्थवार सम्पत्ति की दशा में यदि व्यतिक्रमी ऐसा चाहे तो प्रत्याहरण उसके खर्चों पर उद्घोषित किया जाएगा और उद्घोषणा की एक प्रति इस अनुसूची द्वारा स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा के लिए उपबंधित रीति से लगाई जाएगी।

13. कुर्की और विक्रय कर का हकदार अधिकारी—जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय तथा स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा जिन्हें कर-वसूली अधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

14. व्यतिक्रमी क्रेता का पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होना—क्रेता के व्यतिक्रम के कारण कीमत में जो कमी पुनर्विक्रय पर हो और ऐसे पुनर्विक्रय के सम्बन्ध में सभी व्यय, उस अधिकारी द्वारा जो विक्रय करता है कर-वसूली अधिकारी को प्रमाणित किए जाएंगे और वह [कर-वसूली अधिकारी] की या व्यतिक्रमी की प्रेरणा पर इस अनुसूची में उपबंधित प्रक्रिया के अधीन व्यतिक्रमी क्रेता से वसूलीय होंगे:

परन्तु ऐसा कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुनर्विक्रय की तारीख से 15 दिन के भीतर दाखिल न किया गया हो।

15. विक्रय का स्थगन या रोका जाना—(1) कर-वसूली अधिकारी एतद्धीन किसी विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन या घंटे तक के लिए स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा और ऐसे किसी विक्रय का संचालन करने वाला अधिकारी, ऐसे स्थगन के अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए, विक्रय को स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा:

परन्तु जहां विक्रय कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में या उसकी प्रसीमाओं के भीतर आता है वहां ऐसा कोई स्थगन कर-वसूली अधिकारी की इजाजत के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) जहां स्थावर सम्पत्ति का कोई विक्रय उपनियम (1) के अधीन एक कलेंडर मास से दीर्घतर कालावधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है वहां इस अनुसूची के अधीन विक्रय की एक नई उद्घोषणा की जाएगी जब कि व्यतिक्रमी उसके अधित्यजन के लिए सहमति न दे दे।

(3) यदि लाट के लिए बोली खत्म होने से पूर्व बकाया और खर्च (जिसके अन्तर्गत विक्रय का खर्च भी है) विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को निविदत्त कर दिए जाते हैं या उसको समाधानप्रद रूप में यह सबूत दे दिया जाता है कि ऐसी बकाया और खर्चों की रकम उस कर-वसूली अधिकारी को संदत्त कर दी जाती है जिसने विक्रय का आदेश दिया था तो ऐसा हर विक्रय रोक दिया जाएगा।

16. कतिपय दशाओं में प्राईवेट अन्यसंक्रामण का शून्य होना—(1) जहां व्यतिक्रमी पर नियम 2 के अधीन सूचना की तामील की गई है वहां व्यतिक्रमी या उसका हित प्रतिनिधि उसकी किसी सम्पत्ति को बन्धक करने, प्रभारित करने, पट्टे पर देने या उससे अन्यथा बरतने के लिए कर-वसूली अधिकारी की अनुज्ञा के बिना सक्षम नहीं होगा, और न कोई सिविल न्यायालय धन के संदाय के लिए किसी विक्री के निष्पादन में ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई आदेशिका निकालेगा।

(2) जहां इस अनुसूची के अधीन कोई कुर्की की गई है, वहां कुर्क सम्पत्ति का या उसमें किसी हित का कोई प्राईवेट अन्तरण या परिदान तथा किसी ऋण, लाभांश या अन्य धनों का व्यतिक्रमी को ऐसी कुर्की के प्रतिकूल कोई संदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा।

17. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध—कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे इस अनुसूची के अधीन किसी विक्रय के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करना हो, विक्रीत सम्पत्ति में किसी हित के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो बोली लगाएगा और न उसे अर्जित करेगा और न अर्जित करने का प्रयत्न करेगा।

18. अवकाश दिन में विक्रय करने का प्रतिषेध—इस अनुसूची के अधीन कोई विक्रय, रविवार को या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश दिन को या किसी ऐसे अन्य दिन को जो राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है स्थानीय अवकाश दिन अधिसूचित किया गया है, नहीं किया जाएगा।

19. पुलिस सहायता—कोई अधिकारी, जो किसी सम्पत्ति को कुर्क करने या विक्रीत करने के लिए या व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है या जिसे इस अनुसूची के अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने का भार सौंपा गया है, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी सहायता के लिए आवेदन कर सकेगी जैसी उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो और वह प्राधिकारी जिसे ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसी सहायता देने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

2[19क. कर-वसूली अधिकारी द्वारा कुछ कृत्यों का सौंपा जाना—कर-वसूली अधिकारी उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से कर वसूली अधिकारी के रूप में अपने कृत्यों में से किसी को अपने निचली पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को (जो आय-कर निरीक्षक से निचली पंक्ति का नहीं है) सौंप सकेगा और ऐसा अधिकारी अपने को इस प्रकार सौंपे गए कृत्यों के सम्बन्ध में कर-वसूली अधिकारी समझा जाएगा।]

¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “निर्धारण अधिकारी” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) नियम 19क प्रतिस्थापित।

भाग 2

जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय

कुर्की

20. वारंट—इस अनुसूची में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब किसी जंगम सम्पत्ति को कुर्क किया जाना हो, तो उस अधिकारी को कर-वसूली अधिकारी (या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी) द्वारा एक वारंट दिया जाएगा जो लिखित रूप में और उसके नाम सहित हस्ताक्षरित होगा जिसमें व्यतिक्रमी का नाम और वसूल की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट होगी।

21. वारंट की प्रति की तामील—अधिकारी वारंट की एक प्रति की तामील व्यतिक्रमी पर करवाएगा।

22. कुर्की—यदि वारंट की प्रति की तामील के पश्चात् रकम तत्काल संदत्त नहीं की जाती है तो अधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की कुर्की करने के लिए अग्रसर होगा।

23. व्यतिक्रमी के कब्जे में संपत्ति—जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति (कृषि उत्पाद से भिन्न) जंगम सम्पत्ति है जो व्यतिक्रमी के कब्जे में है वहां कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और वह अधिकारी सम्पत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से किसी एक की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु जब अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो या जब उसको अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होना संभाव्य हो तब वह अधिकारी उसको तुरन्त विक्रीत कर सकेगा।

24. कृषि उपज—जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की के वारंट की एक प्रति--

(क) उस दशा में जिसमें ऐसी उपज उगती फसल है, उस भूमि पर जिसमें ऐसी फसल उगी है; अथवा

(ख) उस दशा में जिसमें ऐसी उपज काटी जा चुकी है या इकट्टी की जा चुकी है, खलिहान में या अनाज गहाने के स्थान में या तद्रूप स्थान में या चारे के ढेर पर, जिस पर या जिसमें वह जमा की गई है,

लगाकर और एक अन्य प्रति उस गृह के जिसमें व्यतिक्रमी मामूली तौर से निवास करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर या वसूली अधिकारी की इजाजत से उस गृह के, जिसमें वह कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वहां वह अन्तिम बार निवास करता था या कारबार करता था या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता था, बाहरी द्वार पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर कर लगाकर कुर्क की जाएगी। तदुपरि यह समझा जाएगा कि उपज कर वसूली अधिकारी के कब्जे में आ गई है।

25. कुर्की के अधीन कृषि उपज के बारे में उपबन्ध—(1) जहां कृषि उपज की कुर्की की गई है वहां कर वसूली अधिकारी उसकी अभिरक्षा, निगरानी, देखभाल, कटाई और इकट्टा करने के लिए ऐसा इंतजाम करेगा जैसा वह पर्याप्त समझे। [और उसे ऐसे इन्तजामों के खर्च उठाने की शक्ति होगी।]

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कुर्की के आदेश में या किसी पश्चात्वर्ती आदेश में कर वसूली अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिरोपित की जाए, व्यतिक्रमी उपज की देखभाल कर सकेगा, उसे काट सकेगा, इकट्टा कर सकेगा, भंडार में रख सकेगा, और उसके पकाने या परिरक्षण के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य कर सकेगा और यदि व्यतिक्रमी ऐसे सब कार्यों को या उसमें किसी को करने में असफल रहे तो कर-वसूली अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी ही शर्तों के अधीन रहते हुए सब कार्यों या उनमें से किसी को करेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत खर्च व्यतिक्रमी से ऐसे वसूलीय होंगे मानो वे प्रमाणपत्र के अन्तर्गत हों।

(3) उगती फसल के रूप में कुर्क की गई कृषि उपज के बारे में केवल इस कारण कि वह काटकर धरती से अलग कर ली गई है यह न समझा जाएगा कि वह कुर्की के अधीन नहीं रह गई है और न उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी पुनः कुर्की करना अपेक्षित है।

(4) जहां उगती फसल की कुर्की के लिए आदेश फसल के काटे जाने या इकट्टा किए जाने के लायक होने की संभाव्यता के बहुत समय पूर्व दिया गया है वहां कर-वसूली अधिकारी आदेश का निष्पादन ऐसे समय के लिए निलंबित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और कुर्की के आदेश के लंबित रहने तक फसल के हटाने का प्रतिषिद्ध करने वाला अतिरिक्त आदेश स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

(5) जो उगती फसल अपनी प्रकृति के कारण संग्रह कर रखने योग्य नहीं है वह किसी ऐसे समय पर इस नियम के अधीन कुर्क नहीं की जाएगी जो उस समय के बीस दिन से कम पहले का हो जिस समय पर उसके काटे जाने या इकट्टी किए जाने लायक होने की सम्भाव्यता है।

26. ऋण और शेयर आदि—(1) ऐसे ऋण की दशा में,—

(क) जो परक्राम्य लिखत के द्वारा प्रतिभूत नहीं है,

¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) किसी निगम की पूंजी में शेयर की दशा में, या

(ग) किसी न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षा में की सम्पत्ति के सिवाय किसी अन्य ऐसी जंगम सम्पत्ति की दशा में, जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है,

कुर्की—

(i) ऋण की दशा में जब तक कर-वसूली अधिकारी का अतिरिक्त आदेश न हो, तब तक लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उस ऋण को चुकाने से,

(ii) शेयर की दशा में उस व्यक्ति को, जिसके नाम में शेयर उस समय दर्ज है उसे अन्तरित करने से या उस पर किसी लाभांश को प्राप्त करने से,

(iii) (पूर्वोक्त जैसी को छोड़कर) अन्य जंगम संपत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे व्यतिक्रमी को देने से, प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति कर-वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी और एक अन्य प्रति, ऋण की दशा में ऋणी को, शेयर की दशा में निगम के उचित अधिकारी को और (पूर्वोक्त जैसी को छोड़कर) अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (i) के अधीन प्रतिषिद्ध ऋणी अपने ऋण की रकम का संदाय कर-वसूली अधिकारी को कर सकेगी और ऐसे संदाय से वह वैसे ही उससे उन्मोचित हो जाएगा जैसे वह उसे पाने के हकदार पक्षकार को संदाय करने से उन्मोचित हो जाता।

27. डिक्री की कुर्की—(1) सिविल न्यायालय की, धन के संदाय के लिए या बंधक या प्रभार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए डिक्री की कुर्की सिविल न्यायालय को यह अनुरोध करने वाली सूचना दी जाकर की जाएगी कि सिविल न्यायालय डिक्री का निष्पादन तब तक के लिए रोक दे जब तक कि—

(i) कर वसूली अधिकारी सूचना को रद्द न कर दे, अथवा

(ii) ¹[कर-वसूली अधिकारी] या व्यतिक्रमी ऐसी सूचना प्राप्त करने वाले न्यायालय से डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन न करे।

(2) जहां कोई सिविल न्यायालय उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन आवेदन प्राप्त करता है वहां वह ¹[कर-वसूली अधिकारी] या व्यतिक्रमी के आवेदन पर और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुर्क की गई डिक्री के निष्पादन के लिए अग्रसर होगा और शुद्ध आगमों को प्रमाणपत्र की तुष्टि में लगाएगा।

(3) ¹[कर-वसूली अधिकारी] को कुर्क की डिक्री के धारक का प्रतिनिधि समझा जाएगा और ऐसी कुर्क की गई डिक्री का निष्पादन किसी ऐसी रीति में कराने के लिए हकदार समझा जाएगा जो उसके धारक के लिए विधिपूर्ण हो।

28. जंगम संपत्ति में अंश—जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति जंगम सम्पत्ति से व्यतिक्रमी के अंश या हित के रूप में है जो सहस्वामियों के रूप में उसकी और किसी अन्य की है, वहां कुर्की व्यतिक्रमी को, अपने अंश या हित का अन्तरण करने से या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिषिद्ध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी।

29. सरकारी सेवकों का वेतन—सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के सेवकों के वेतन या भत्ते की कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 48 द्वारा उपबंधित रीति में की जा सकेगी और उक्त नियम के उपबन्ध, इस नियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जैसे आवश्यक हों।

30. परक्राम्य लिखत की कुर्की—जहां सम्पत्ति ऐसी परक्राम्य लिखत है जो न्यायालय में निक्षिप्त नहीं है और न लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और लिखत कर वसूली अधिकारी के समक्ष लाई जाएगी और उसके आदेशों के अधीन धृत रहेगी।

31. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की—जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है वहां वह कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी से यह अनुरोध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय होने वाला कोई ब्याज का लाभांश उस कर वसूली अधिकारी के जिसने वह सूचना जारी की है अतिरिक्त आदेशों के अधीन धृत रखा जाए:

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है वहां हक या पूर्विक्ता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न, जो ¹[कर-वसूली अधिकारी] के और किसी समनुदेशन या कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच पैदा हो, जो व्यतिक्रमी नहीं है, जो ऐसे न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा।

¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “निर्धारण अधिकारी” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

32. भागीदारों की संपत्ति की कुर्की—(1) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में व्यतिक्रमी का जो भागीदारी की संपत्ति में भागीदार का हित है, वहां कर वसूली अधिकारी आदेश कर सकेगा कि प्रमाण-पत्र के अधीन देय रकम के संदाय का भार भागीदारी की संपत्ति में ऐसे भागीदार के अंश और लाभ पर डाल दिया जाए और उसी या पश्चात्पूर्वी आदेश से उन लाभों में, चाहे वे पहले ही घोषित किए जा चुके हों या चाहे प्रोद्भूत हों रहे हों, ऐसे भागीदार के अंश का और ऐसे किसी अन्य धन का, जो भागीदारी मद्धे उसे देय हो जाए रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और लेखाओं और जांचों के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा जैसे मामले की परिस्थितियां अपेक्षित करें।

(2) अन्य व्यक्तियों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे भारित हित का मोचन किसी भी समय कर ले या विक्रय निदेशित किए जाने की दशा में उसे खरीद ले।

33. तालिका—वास्तविक अभिग्रहण द्वारा जंगम संपत्ति की कुर्की की दशा में अधिकारी, संपत्ति की कुर्की के पश्चात् कुर्क की गई सारी संपत्ति की तालिका तैयार करेगा जिसमें वह स्थान विनिर्दिष्ट होगा जहां वह जमा की गई है या रखी गई है और उसको कर-वसूली अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तालिका की एक प्रति अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी को परिदत्त की जाएगी।

34. कुर्की का अत्यधिक न होना—अभिग्रहण द्वारा कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात् कुर्क की गई संपत्ति वारंट में विनिर्दिष्ट रकम के यथासम्भव निकट अनुपात में होगी।

35. सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अभिग्रहण—अभिग्रहण द्वारा कुर्की सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व की जाएगी न कि अन्यथा।

36. दरवाजों आदि को तोड़कर खोलने की शक्ति—अधिकारी किसी जंगम संपत्ति को अभिगृहीत करने के लिए किसी भवन के भीतर या बाहरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोल सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा यदि उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि उस भवन में ऐसी संपत्ति है जो वारण्ट के अधीन अभिगृहीत की जा सकती है और अधिकारी ने अपना प्राधिकार और यह आशय कि यदि प्रवेश न दिया गया तो वह तोड़ कर खोलेगा, अधिसूचित कर दिया है किन्तु वह महिलाओं को वहां से हट जाने का पूर्ण युक्तियुक्त अवसर देगा।

विक्रय

37. विक्रय—कर वसूली अधिकारी निदेश दे सकेगा कि उस अनुसूची के अधीन कुर्क की गई किसी जंगम संपत्ति का या उसके ऐसे भाग का जो प्रमाण-पत्र की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो विक्रय किया जाएगा।

38. उद्घोषणा निकालना—जब कर-वसूली अधिकारी द्वारा जंगम संपत्ति का कोई विक्रय किए जाने का आदेश किया गया हो तब कर वसूली अधिकारी विक्रय का समय और स्थान और यह कि विक्रय पुष्ट किए जाने के अधीन है या नहीं विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जिले की भाषा में निकालेगा।

39. उद्घोषणा कैसे की जाएगी—(1) ऐसी उद्घोषणा डोंडी पिटवाकर या अन्य रुद्धिगत ढंग से—

(क) वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की दशा में—

(i) उस ग्राम में की जाएगी जिसमें संपत्ति का अभिग्रहण किया जाना था या यदि संपत्ति किसी शहर या नगर में अभिगृहीत की गई थी तो उस परिक्षेत्र में की जाएगी जिसमें वह अभिगृहीत की गई थी; और

(ii) ऐसे अन्य स्थानों पर की जाएगी जैसे कर-वसूली अधिकारी निर्दिष्ट करे;

(ख) वास्तविक अभिग्रहण से भिन्न रूप में कुर्क की गई संपत्ति की दशा में ऐसे स्थानों में, यदि कोई हो, की जाएगी जैसे कर-वसूली अधिकारी निर्दिष्ट करे।

(2) उद्घोषणा की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग में भी लगाई जाएगी।

40. पन्द्रह दिनों के पश्चात् विक्रय—वहां के सिवाय जहां संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होना सम्भाव्य हो तब इस अनुसूची के अधीन जंगम संपत्ति का कोई विक्रय व्यतिक्रमी की लिखित सहमति के बिना तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको विक्रय उद्घोषणा की प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में लगाई गई थी परिकलित कम से कम पन्द्रह दिन का अवसान न हो गया हो।

41. कृषि उपज का विक्रय—(1) जहां विक्रीत हो जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है वहां विक्रय—

(क) यदि ऐसी उपज फसल है तो उस भूमि पर या उसके पास किया जाएगा जिसमें ऐसी फसल उगी है, अथवा

(ख) यदि ऐसी उपज काटी या इकट्टी की जा चुकी है तो उस खलिहान पर या अनाज गाहने के स्थान या तद्रूप स्थान या चारे के ढेर पर या उसके पास, जिस पर या जिसमें वह निक्षिप्त की गई है किया जाएगा:

परन्तु यदि कर वसूली अधिकारी की यह राय हो कि वैसा करने से उपज अधिक फायदे पर बेची जा सकती है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि विक्रय निकटतम सार्वजनिक अभिगम स्थान पर किया जाए।

(2) जहां उपज विक्रय के लिए पुरोधृत किए जाने पर—

(क) विक्रय करने वाले व्यक्ति के अनुमान से उसके लिए उचित मूल्य की बोली नहीं लगाई है, तथा

(ख) उस उपज का स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति विक्रय को आगामी दिन तक या यदि विक्रय के स्थान पर हाट लगती हो तो अगली हाट लगने के दिन तक के लिए मुलतवी करने के लिए आवेदन करता है,

वहां विक्रय तदनुसार मुलतवी कर दिया जाएगा और तत्पश्चात् उपज के लिए कोई भी कीमत लगे वह पूरा कर दिया जाएगा।

42. उगती फसलों के संबंध में विशेष उपबन्ध—(1) जहां विक्रीत की जाने वाली सम्पत्ति उगती फसल है और फसल अपनी प्रकृति में ऐसी है जो भंडार में रखने के योग्य है किन्तु तब तक भण्डार में नहीं रखी गई है, वहां विक्रय का दिन ऐसे नियत किया जाएगा कि उस दिन के आने से पहले वह भण्डार में रखने के योग्य हो जाए और विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक फसल काट नहीं ली गई या इकट्टी नहीं कर ली गई है और भण्डार में रखने के योग्य नहीं हो गई है।

(2) जहां फसल अपनी प्रकृति से ऐसी नहीं है जो भण्डार में रखने के योग्य है या अपरिपक्व दशा में (उदाहरणार्थ हरा गेहूं) अधिक लाभप्रद रूप में विक्रीत की जा सकती है वहां वह काटी जाने और इकट्टी की जाने से पहले विक्रीत की जा सकेगी और क्रेता भूमि पर प्रवेश करने और देखभाल करने या काटने या इकट्टी करने के प्रयोजन से सब आवश्यक बातें करने का हकदार होगा।

43. विक्रय नीलाम द्वारा किया जाना—सम्पत्ति लोक नीलाम द्वारा एक या अधिक लाटों में जैसी अधिकारी की सलाह हो विक्रीत की जाए और यदि विक्रय वसूल की जाने वाली रकम की पूर्ति सम्पत्ति के किसी भाग के विक्रय से हो जाती है तो बाकी लाटों की बाबत विक्रय तुरन्त रोक दिया जाएगा।

44. लोक नीलाम द्वारा विक्रय—(1) जहां जंगम सम्पत्ति लोक नीलाम द्वारा विक्रीत की जाती है वहां हर लाट मूल्य विक्रय के समय संदत्त किया जाएगा या उसके पश्चात् शीघ्र ही ऐसे समय संदत्त किया जाएगा जो वह अधिकारी निर्दिष्ट करे, जो विक्रय कर रहा है और संदाय में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्क्षण ही फिर विक्रीत कर दी जाएगी।

(2) क्रय-धन का संदाय कर दिए जाने पर विक्रय करने वाला अधिकारी एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें क्रय की गई सम्पत्ति, संदत्त कीमत और क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट होगा तथा विक्रय अन्तिम हो जाएगा।

(3) जहां विक्रीत की जाने वाली जंगम सम्पत्ति ऐसे माल में अंश है जो व्यतिक्रमी और सह-स्वामी का है और दो या अधिक जिनमें से एक ऐसा सह-स्वामी है, क्रमशः ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी लाट के लिए एक ही राशि की बोली लगाते हैं वहां वह बोली उस सह-स्वामी की बोली समझी जाएगी।

45. अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगी किन्तु कोई व्यक्ति जिसे क्षति हुई है वाद ला सकेगा—जंगम सम्पत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन की कोई अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगी किन्तु जिस किसी व्यक्ति को कोई सारवान् क्षति ऐसी अनियमितता के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुई है वह उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिए या (यदि ऐसा अन्य व्यक्ति क्रेता है तो) उसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति की वसूली के लिए और ऐसी वसूली में व्यतिक्रमी होने पर प्रतिकर के लिए वाद ला सकेगा।

46. परक्राम्य लिखत और निगम में शेयर—इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रीत की जाने वाली सम्पत्ति परक्राम्य लिखतें हैं या निगम में शेयर है वहां कर वसूली अधिकारी लोक नीलामी द्वारा विक्रय का निदेश देने के स्थान पर, ऐसे लिखत या शेयर का विक्रय दलाल के माध्यम से प्राधिकृत कर सकेगा।

47. [निर्धारण अधिकारी] को सिक्के या करेंसी नोटों का संदाय किए जाने का आदेश—जहां कुर्की की गई सम्पत्ति चालू सिक्का है या करेंसी नोट है वहां कर वसूली अधिकारी कुर्की के चालू रहने के दौरान किसी भी समय [निदेश दे सकेगा कि ऐसा सिक्का या ऐसे नोट केन्द्रीय सरकार के नाम में जमा किए जाएंगे और इस प्रकार जमा की गई रकम के साथ नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी।]

भाग 3

(स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय)

कुर्की

48. कुर्की—व्यतिक्रमी की स्थावर संपत्ति की कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी जो संपत्ति को किसी प्रकार से अन्तरित या प्रभारित करने से व्यतिक्रमी को प्रतिषिद्ध करता है और ऐसे अन्तरण या प्रभार से कोई भी फायदा उठाने से सब व्यक्तियों को प्रतिषिद्ध करता है।

49. कुर्की की सूचना की तामील—कुर्की के आदेश की एक प्रति व्यतिक्रमी पर तामील की जाएगी।

¹ 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

50. कुर्की की उद्घोषणा—कुर्की का आदेश कुर्क की गई संपत्ति में के या उसके पार्श्वस्थ किसी स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िगत ढंग से उद्घोषित किया जाएगा और आदेश की एक प्रति संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर कर-वसूली अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

51. कुर्की की सूचना की तामील की तारीख का हुआ माना जाना—जहां इस अनुसूची के अधीन कोई स्थावर संपत्ति कुर्क की जाती है वहां कुर्की उस तारीख को हुई मानी जाएगी और प्रभावी होगी जिसकी इस अनुसूची के अधीन बकाया के संदाय के लिए निकाली गई सूचना की व्यतिक्रमी पर तामील हुई थी।

विक्रय

52. विक्रय और विक्रय उद्घोषणा—(1) कर-वसूली अधिकारी निर्दिष्ट कर सकेगा कि ऐसी कोई स्थावर संपत्ति जिसकी कुर्की की गई है या उसका ऐसा भाग जो प्रमाणपत्र की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विक्रीत किया जाएगा।

(2) जहां किसी स्थावर संपत्ति को विक्रीत करने का आदेश किया गया है, वहां कर-वसूली अधिकारी आशयित विक्रय की उद्घोषणा जिले की भाषा में कराएगा।

53. उद्घोषणा की विषय वस्तु—स्थावर संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा व्यतिक्रमी को सूचना के पश्चात् लेखबद्ध की जाएगी और उसमें विक्रय का समय और स्थान कथित होगा, और निम्नलिखित बातें यथासंभव ऋजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी—

(क) वह संपत्ति जो विक्रीत की जानी है;

(ख) संपत्तियां या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व, यदि कोई हों;

(ग) वह रकम जिसकी वसूली के लिए विक्रय आदिष्ट किया गया है; ¹***

²[(गग) वह आरक्षित कीमत, यदि कोई हो, जिससे कम पर संपत्ति विक्रीत नहीं की जाएगी; तथा]

(घ) कोई अन्य बात जिसके बारे में कर-वसूली अधिकारी का विचार हो कि संपत्ति की प्रकृति और मूल्य आंकने के लिए उसकी जानकारी क्रेता के लिए तात्त्विक है।

54. उद्घोषणा करने का ढंग—(1) स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए हर उद्घोषणा ऐसी संपत्ति में के या उसके समीप किसी स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िगत ढंग से की जाएगी तथा उद्घोषणा की एक प्रति ऐसी संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और कर-वसूली अधिकारी के कार्यालय के भी किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी।

(2) जहां कर-वसूली अधिकारी ऐसा निदेश देता है वहां ऐसी उद्घोषणा राजपत्र में या स्थानीय समाचारपत्र में, या दोनों में, प्रकाशित भी की जाएगी तथा ऐसे प्रकाशन के खर्च विक्रय के खर्च समझे जाएंगे।

(3) जहां संपत्ति पृथक् रूप से विक्रीत किए जाने के प्रयोजन से लाटों में विभाजित की गई है वहां हर एक लाट के लिए पृथक् उद्घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी की यह राय न हो कि विक्रय की उचित सूचना अन्यथा नहीं दी जा सकती।

55. विक्रय का समय—स्थावर संपत्ति का इस अनुसूची के अधीन कोई भी विक्रय, व्यतिक्रमी की लिखित सम्मति के बिना, तब तक नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको उद्घोषणा की प्रति संपत्ति पर या कर-वसूली अधिकारी के कार्यालय में, लगाई गई हो इसमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो उससे, परिकलित कम से कम तीस दिन का अवसान न हो गया हो।

56. विक्रय नीलाम द्वारा किया जाना—विक्रय लोक नीलाम द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के पक्ष में किया जाएगा और कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होगा:

²[परन्तु इस नियम के अधीन कोई विक्रय नहीं किया जाएगा यदि अधिकतम बोली लगाने वाले द्वारा लगाई गई बोली नियम 53 के खण्ड (गग) के अधीन आरक्षित कीमत से, यदि कोई हो, कम है।]

57. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय—(1) स्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर, वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर वह संपत्ति तत्क्षण पुनः विक्रीत की जाएगी।

(2) क्रय धन की देय पूरी रकम क्रेता द्वारा संपत्ति के विक्रय की तारीख के पन्द्रहवें दिन या उसके पूर्व कर-वसूली अधिकारी को संदत्त की जाएगी।

58. संदाय में व्यतिक्रम पर प्रक्रिया—पूर्ववर्ती नियम में वर्णित कालावधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निक्षेप, यदि कर-वसूली अधिकारी ठीक समझे, विक्रय व्ययों को काटने के पश्चात् सरकार को समपहृत किया जा सकेगा और सम्पत्ति फिर से

¹ 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) “और” शब्द का लोप किया गया।

² 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

विक्रीत की जाएगी और उस सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिए वह तत्पश्चात् विक्रीत की जाए उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के सब दावे समपहत हो जाएंगे।

59. बोली लगाने के लिए अधिकार—¹[(1) जहां उस संपत्ति का जिसके लिए नियम 53 के खंड (गग) के अधीन आरक्षित कीमत विनिर्दिष्ट की गई है, विक्रय ऐसी आरक्षित कीमत से अन्यून रकम की बोली के अभाव में स्थगित किया गया है वहां यदि @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए तो, ²[निर्धारण अधिकारी] के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी पश्चात्कर्ती विक्रय पर केन्द्रीय सरकार की ओर से संपत्ति के लिए बोली लगाए।]

³[(2)] ऐसे सब व्यक्तियों से जो किसी विक्रय पर बोली लगा रहे हैं, यह घोषित करने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वे अपनी ओर से या अपने प्रधानों की ओर से बोली लगा रहे हैं। पश्चात्कथित दशा में, उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना प्राधिकार पत्र निक्षिप्त करें, और उसके अभाव में, उसकी बोलियों को नामंजूर कर दिया जाएगा।

⁴[(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट ²[निर्धारण अधिकारी] किसी पश्चात्कर्ती विक्रय में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किया जाता है वहां नियम 57 की कोई बात उस मामले को लागू नहीं होगी और क्रय कीमत की रकम प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के प्रति समायोजित की जाएगी।

60. निक्षेप करने पर स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन—(1) जहां स्थावर संपत्ति किसी प्रमाण-पत्र के निष्पादन में विक्रीत की गई है, वहां व्यतिक्रमी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हितों पर विक्रय से प्रभाव पड़ता है, विक्रय की तारीख से तीन दिन के भीतर किसी भी समय, कर-वसूली अधिकारी को आवेदन कर सकेगा कि उसके निम्नलिखित का निक्षेप कर दिए जाने पर विक्रय अपास्त कर दिया जाएगा—

(क) विक्रय की उद्घोषणा में ऐसी रकम के रूप में जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, विनिर्दिष्ट रकम, उस पर विक्रय की उद्घोषणा की तारीख से उस तारीख तक जब कि निक्षेप किया गया ⁵[प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत] की दर से परिकलित ब्याज सहित, ⁶*** तथा

(ख) क्रय धन के पांच प्रतिशत के बराबर किन्तु एक रुपए से कम न होने वाली राशि, शास्ति के रूप में, क्रेता को संदत्त किए जाने के लिए।

(2) जहां कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन नियम 61 के अधीन करता है वहां जब तक कि वह उस आवेदन को लौटा न ले, वह इस नियम के अधीन आवेदन देने का या उसको आगे चलाने का हकदार नहीं होगा।

61. स्थावर संपत्ति के विक्रय की सूचना की तामील न होने या अनियमितता के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवेदन—जहां कोई स्थावर संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में विक्रीत की गई है, वहां ⁷[ऐसा आय-कर अधिकारी जो मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए] व्यतिक्रमी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हितों पर विक्रय से प्रभाव पड़ता है विक्रय की तारीख से 30 दिन के भीतर किसी भी समय, स्थावर संपत्ति के विक्रय को इस आधार पर कि बकाया का संदाय करने के लिए व्यतिक्रमी पर इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित रूप में सूचना की तामील नहीं हुई थी या इस आधार पर कि विक्रय के प्रकाशन या संचालन में तात्त्विक अनियमितता हुई है, अपास्त कराने के लिए कर-वसूली अधिकारी से आवेदन कर सकेगा:

परन्तु—

(क) कोई विक्रय किसी ऐसे आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक कर-वसूली अधिकारी का समाधान नहीं हो जाता कि तामील न होने या अनियमितता के कारण आवेदक को सारवान् क्षति हुई है; और

(ख) इस नियम के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा किया गया आवेदन अननुज्ञात कर दिया जाएगा जब तक आवेदक प्रमाणपत्र के निष्पादन में उससे वसूलीय रकम निक्षिप्त नहीं कर देता।

62. विक्रय का अपास्त किया जाना जहां व्यतिक्रमी का कोई विक्रय हित नहीं है—विक्रय के तीस दिन के भीतर किसी भी समय क्रेता इस आधार पर कि विक्रीत संपत्ति में व्यतिक्रमी का कोई विक्रय हित नहीं था विक्रय को अपास्त कराने के लिए कर-वसूली अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

63. विक्रय की पुष्टि—(1) जहां पूर्वगामी नियमों के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां ऐसा आवेदन किया गया है और कर-वसूली अधिकारी द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया है, वहां कर वसूली अधिकारी (यदि क्रय धन की पूरी रकम संदत्त कर दी गई है) विक्रय को पुष्ट करने वाला आदेश करेगा और तदुपरि विक्रय अन्तिम हो जाएगा।

¹ 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

² 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “आय-कर अधिकारी” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) नियम 59 को उसके उपनियम (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

⁴ 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) अन्तःस्थापित।

⁵ 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

⁷ 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) जहां ऐसा आवेदन किया गया है और अनुज्ञात कर दिया गया है और जहां उस दशा में जिसमें रकम के तथा शास्ति और प्रभारों के निक्षेप पर विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया गया है निक्षेप विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर कर दिया गया है वहां कर-वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश करेगा:

परन्तु जब तक आवेदन की सूचना उसके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को न दे दी गई हो, ऐसा कोई आदेश न किया जाएगा।

64. कतिपय दशाओं में क्रय धन की वापसी—जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय अपास्त कर दिया गया है, वहां क्रय लेखे क्रेता द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई धन, ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जो क्रेता को संदत्त की जाने के लिए निक्षिप्त की गई हो, तथा ऐसे ब्याज के सहित जो कर-वसूली अधिकारी अनुज्ञात करे, क्रेता को संदत्त किया जाएगा।

65. विक्रय प्रमाणपत्र—(1) जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय अन्तिम हो गया हो वहां कर-वसूली अधिकारी विक्रीत संपत्ति को और विक्रय के समय जिस व्यक्ति को क्रेता घोषित किया गया है उसके नाम को विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र देगा।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र में वह तारीख कथित होगी जिसको विक्रय अन्तिम हुआ।

66. विक्रय का इसलिए मुलतवी किया जाना कि व्यतिक्रमी प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम जुटा सके—(1) जहां स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए आदेश किया जा चुका है वहां यदि व्यतिक्रमी कर-वसूली अधिकारी का समाधान कर सके कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रमाणपत्र की रकम ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग के, या व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति के बन्धक या पट्टे या प्राइवेट विक्रय द्वारा जुटाई जा सकती है तो उसके आवेदन करने पर कर-वसूली अधिकारी, विक्रय के आदेश में समाविष्ट संपत्ति के विक्रय को ऐसे निबन्धनों पर और कोई ऐसी कालावधि के लिए जैसी वह उचित समझे इसलिए मुलतवी कर सकेगा कि उस रकम को जुटाने में वह समर्थ हो जाए।

(2) ऐसी दशा में, कर-वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को ऐसा प्रमाणपत्र देगा जो उसमें वर्णित कालावधि के भीतर और इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रस्थापित बन्धक, पट्टा या विक्रय करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है:

परन्तु ऐसे बन्धक, पट्टे या विक्रय के अधीन संदेय सब धन कर-वसूली अधिकारी को, न कि व्यतिक्रमी को, दिए जाएंगे:

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन कोई भी बन्धक, पट्टा या विक्रय तब तक अन्तिम नहीं होगा जब तक वह कर-वसूली अधिकारी द्वारा पुष्ट न कर दिया गया हो।

67. पुनर्विक्रय के पूर्व नई उद्घोषणा—स्थावर संपत्ति का हर पुनर्विक्रय जो क्रय धन का संदाय उस कालावधि के भीतर करने में, जो ऐसे संदाय के लिए अनुज्ञात है, व्यतिक्रम के कारण होता है, ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के लिए जो इसके पूर्व उपबन्धित है, नई उद्घोषणा निकालने के पश्चात् किया जाएगा।

68. सह अंशधारी की बोली को अधिमान प्राप्त होना—जहां विक्रीत की जाने वाली संपत्ति अविभक्त स्थावर संपत्ति का अंश है, और दो या अधिक व्यक्ति जिनमें से एक सह अंशधारी है, क्रमशः ऐसी संपत्ति या उसके किसी लाट के लिए एक ही राशि की बोली लगाते हैं, वहां वह बोली उस सह अंशधारी की बोली समझी जाएगी।

1[68क. व्यतिक्रमी द्वारा शोध्य रकम की तुष्टि में संपत्ति का प्रतिग्रहण—(1) इस भाग के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस निमित्त @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत @ [निर्धारण अधिकारी] संपत्ति के व्यतिक्रमी से शोध्य सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की तुष्टि में वह संपत्ति जिसका विक्रय नियम 59 के उपनियम (1) में उपवर्णित कारण से स्थगित किया गया है, ऐसी कीमत पर प्रतिगृहीत कर सकता है जो आय-कर अधिकारी और व्यतिक्रमी के बीच करार पाई जाए।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई संपत्ति प्रतिगृहीत की जाती है वहां व्यतिक्रमी ऐसी संपत्ति का कब्जा @ [निर्धारण अधिकारी] को परिदत्त करेगा और उस तारीख को जब संपत्ति का कब्जा @ [निर्धारण अधिकारी] को परिदत्त किया जाता है, वह संपत्ति केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी और केन्द्रीय सरकार, जहां आवश्यक हो वहां, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को तदनुसार संसूचित करेगी।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन संपत्ति की करार पाई गई कीमत व्यतिक्रमी से शोध्य रकम से अधिक है वहां @ [निर्धारण अधिकारी] द्वारा ऐसा आधिक्य व्यतिक्रमी को संपत्ति के कब्जे के परिदान की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा और जहां @ [निर्धारण अधिकारी] पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आधिक्य का संदाय करने में असफल रहता है वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसी कालावधि की समाप्ति से प्रारम्भ होने वाली और असंदत्त रकम के संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए ऐसी रकम पर व्यतिक्रमी को 2 [प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत] की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी।]

¹ 1975 के करानियम विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

² 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[68ख. कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए समय की परिसीमा—(1) स्थावर संपत्ति का इस भाग के अधीन कोई भी विक्रय उस वित्तीय वर्ष के अंत से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें वह आदेश, जिससे किसी ऐसे कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि की, जिसकी वसूली के लिए स्थावर संपत्ति कुर्क की गई है, मांग पैदा होती है, यथास्थिति, धारा 245झ के उपबंधों के अधीन निश्चायक हो गया है या अध्याय 20 के उपबंधों के अनुसार अन्तिम हो गया है:

परंतु जहां स्थावर संपत्ति का पुनःविक्रय किया जाना, अधिकतम बोली की रकम के आरक्षित कीमत से कम होने के कारण अथवा नियम 57 या नियम 58 में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन अपेक्षित है अथवा जहां ऐसा विक्रय नियम 61 के अधीन अपास्त कर दिया जाता है वहां स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए पूर्वोक्त परिसीमाकाल एक वर्ष बढ़ जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में, वह अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी,—

(i) जिसके दौरान पूर्वोक्त कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि का उद्ग्रहण किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दिया जाता है; या

(ii) जिसके दौरान स्थावर संपत्ति की कुर्की या विक्रय की कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दी जाती हैं; या

(iii) जो कर वसूली अधिकारी द्वारा इस अनुसूची के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील पेश करने की तारीख से प्रारंभ होती है और अपील का विनिश्चय किए जाने की तारीख को समाप्त होती है:

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए परिसीमाकाल 180 दिन से कम है वहां ऐसी शेष अवधि 180 दिन तक बढ़ा दी जाएगी और पूर्वोक्त परिसीमाकाल के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तदनुसार बढ़ा दिया गया है।

(3) जहां कोई स्थावर संपत्ति, 1 जून, 1992 के पूर्व इस भाग के अधीन कुर्क की गई है और यह आदेश, जिससे किसी कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि की, जिसकी वसूली के लिए स्थावर संपत्ति कुर्क की गई है, मांग पैदा होती है, उक्त तारीख के पूर्व निश्चायक या अंतिम भी हो गया है वहां उस तारीख के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख है जिसको उक्त आदेश, यथास्थिति, निश्चायक या अन्तिम हुआ है।

(4) जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है वहां उक्त संपत्ति से संबंधित कुर्की आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय की परिसीमा की समाप्ति पर रद्द हो गया है।]

भाग 4

रिसीवर की नियुक्ति

69. कारबार के लिए रिसीवर की नियुक्ति—(1) जहां व्यतिक्रमी की संपत्ति कारबार के रूप में है, वहां कर-वसूली अधिकारी ऐसे कारबार की कुर्की कर सकेगा और उस कारबार का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी कारबार की कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी जो व्यतिक्रमी को ऐसे कारबार की किसी भी प्रकार ऐसे अन्तरित करने से प्रतिषिद्ध करता है और सब व्यक्तियों को ऐसे अंतरण या प्रभार के अधीन कोई फायदा लेने से प्रतिषिद्ध करता है तथा यह प्रज्ञापित करता है कि उस कारबार की इस नियम के अधीन कुर्की कर ली गई है। कुर्की के आदेश की एक प्रति उस व्यतिक्रमी पर तामील की जाएगी और अन्य प्रति उस परिसर के जिसमें वह कारबार चलाया जाता है, किसी सहजदृश्य भाग में तथा कर-वसूली अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी।

70. स्थावर सम्पत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति—जहां स्थावर संपत्ति की कुर्की की जाती है, वहां कर-वसूली अधिकारी, ऐसी संपत्ति का विक्रय निर्दिष्ट करने के बजाय, ऐसी संपत्ति का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

71. रिसीवर की शक्तियां—(1) जहां पूर्वगामी नियमों के अधीन किसी कारबार या अन्य संपत्ति की कुर्की की जाती है और उसका प्रबन्ध ले लिया जाता है, वहां रिसीवर को, कर-वसूली अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियां होंगी जैसी उस संपत्ति के समुचित प्रबन्ध और उसके लाभों अथवा भाटक और लाभों की वसूली के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसे कारबार या अन्य सम्पत्ति के लाभों अथवा भाटक और लाभों का, प्रबन्ध के व्ययों को चुकाने के पश्चात् बकाया के उन्मोचन के प्रति समायोजन किया जाएगा, और अतिशेष यदि कोई हो, व्यतिक्रमी को संदत्त किया जाएगा।

72. प्रबन्ध का प्रत्याहृत किया जाना—पूर्वगामी नियमों के अधीन कुर्की और प्रबन्ध को कर-वसूली अधिकारी के विवेकानुसार, या यदि बकाया का ऐसे लाभ और भाटक की प्राप्ति द्वारा उन्मोचन हो गया हो या अन्यथा संदाय कर दिया गया हो, किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा।

¹ 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 87 द्वारा (1-6-1992 से) अंतःस्थापित।

व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और उसका निरोध

73. हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना—(1) किसी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध के लिए कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कर-वसूली अधिकारी ने उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना नहीं जारी की गई है और व्यतिक्रमी पर उसकी तामील नहीं कराई है कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को उसके समक्ष उपस्थित हो और हेतुक दर्शित करे कि उसे सिविल कारागार को सुपुर्द क्यों न किया जाए, तथा जब तक कि कर-वसूली अधिकारी का, लेखन द्वारा अभिलिखित कारणों से, समाधान न हो गया हो—

(क) कि व्यतिक्रमी के इस उद्देश्य या आशय से कि प्रमाणपत्र के निष्पादन में बाधा हो, ¹[कर-वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार करने] के पश्चात् अपनी संपत्ति के किसी भाग को बेईमानी से अन्तरित किया है, छिपाया है या हटाया है, अथवा

(ख) कि व्यतिक्रमी के पास बकाया या उसके कुछ सारवान् भाग को संदत्त करने के साधन हैं या ¹[कर-वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार करने] के पश्चात् थे और हैं और वह उसे संदत्त करने से इंकार या संदत्त करने में उपेक्षा करता है या उसने इंकार या उपेक्षा की है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट कर-वसूली अधिकारी द्वारा निकाला जा सकेगा यदि कर-वसूली अधिकारी का, शपथपत्र द्वारा या अन्य प्रकार से समाधान हो गया हो कि इस बात की सम्भाव्यता है कि व्यतिक्रमी इस उद्देश्य या आशय से कि प्रमाणपत्र निष्पादन में विलम्ब हो, फरार हो जाए या कर-वसूली अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमा छोड़ दे।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन निकाली गई और तामील की गई सूचना के अनुपालन में, उपस्थिति नहीं होती है, वहां अधिकारी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा।

²[(3क) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन कर-वसूली अधिकारी द्वारा निकाला गया गिरफ्तारी का वारंट किसी ऐसे अन्य कर वसूली अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यतिक्रमी तत्समय पाया जाए।]

(4) ऐसा हर व्यक्ति जो ³[इस नियम] के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के अनुसरण में गिरफ्तार किया गया हो यावत्साध्य शीघ्र और किसी भी स्थिति में, उसकी गिरफ्तारी के चौबीस घण्टे के भीतर (यात्रा के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) ⁴[वारंट निकालने वाले] कर-वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाएगा:

परन्तु यदि व्यतिक्रमी वह रकम जो गिरफ्तारी के वारंट में देय रकम के रूप में दर्ज है, और गिरफ्तारी का खर्च उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है, तो ऐसा अधिकारी उसे तुरन्त निर्मुक्त कर देगा।

⁴[स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए जहां ऐसा व्यतिक्रमी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है वहां उसका कर्ता व्यतिक्रमी समझा जाएगा।]

74. सुनवाई—जब कोई व्यतिक्रमी हेतुक दर्शित करने के लिए दी गई सूचना के अनुपालन में कर-वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या नियम 73 के अधीन कर-वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, ⁵[तो कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को] यह हेतुक दर्शित करने का अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार को सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए।

75. सुनवाई के लम्बित रहने तक अभिरक्षा—जांच की समाप्ति के लंबित रहने तक, कर-वसूली अधिकारी स्वविवेकानुसार, व्यतिक्रमी को ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के लिए आदेश कर सकेगा, जैसा कर-वसूली अधिकारी ठीक समझे या अपेक्षा किए जाने पर उपस्थित होने के लिए उसके द्वारा कर-वसूली अधिकारी को समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देने पर, उसे निर्मुक्त कर सकेगा।

76. निरोध का आदेश—(1) जांच की समाप्ति पर, कर-वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने के लिए आदेश कर सकेगा और उस दशा में यदि वह पहले ही से गिरफ्तारी में नहीं है तो उसे गिरफ्तार कराएगा:

परन्तु व्यतिक्रमी को बकाया की पूर्ति करने पर अवसर देने की दृष्टि से कर-वसूली अधिकारी निरोध का आदेश करने के पूर्व, उसे 15 दिन से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की या किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा

¹ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

³ 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) “उपनियम (2) और (3)” प्रतिस्थापित।

⁴ 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 81 द्वारा (1-10-1975 से) अन्तःस्थापित।

⁵ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “तो कर वसूली अधिकारी, आय-कर अधिकारी की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा तथा ऐसा सब साध्य लेगा जैसा कि गिरफ्तारी द्वारा निष्पादन के समर्थन में उसके द्वारा पेश किया जाए और तब व्यतिक्रमी को” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

में छोड़ सकेगा या कर-वसूली अधिकारी को समाधानप्रद रूप में व्यतिक्रमी द्वारा यह प्रतिभूति देने पर यदि बकाया की पूर्ति इस प्रकार नहीं की गई तो वह विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर उपस्थित हो जाएगा, निर्मुक्त कर सकेगा।

(2) जब कर वसूली अधिकारी उपनियम (1) के अधीन निरोध का आदेश नहीं करता है तब यदि व्यतिक्रमी गिरफ्तार है तो वह उसकी निर्मुक्ति का निदेश देगा।

77. कारागार में निरोध और वहां से निर्मुक्त किया जाना—(1) प्रमाणपत्र के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति—

(क) जहां प्रमाणपत्र दो सौ पचास रुपए से अधिक रकम की मांग के लिए है—छह मास की कालावधि के लिए, और

(ख) किसी अन्य दशा में—छह सप्ताह की कालावधि के लिए,

ऐसे निरुद्ध किया जाएगा परन्तु उसे ऐसे निरोध से—

(i) उसके निरोध के लिए वारण्ट में वर्णित रकम के सिविल कारागार के भारसाधक को संदत्त कर दिए जाने पर, अथवा

¹[(ii) नियम 78 और नियम 79 में उल्लिखित आधारों से भिन्न किसी आधार पर कर-वसूली अधिकारी के अनुरोध पर,]

निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

2*

*

*

*

(2) इस नियम के अधीन निरोध में से निर्मुक्त कोई व्यतिक्रमी अपनी निर्मुक्ति के कारण ही, बकाया के लिए अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं कर दिया जाएगा, किन्तु वह जिस प्रमाणपत्र के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया था, उसके अधीन पुनः गिरफ्तार किए जाने का भागी नहीं होगा।

78. निर्मुक्ति—(1) कर-वसूली अधिकारी ऐसे व्यतिक्रमी को जो प्रमाणपत्र के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया है इस बात का समाधान होने पर कि उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति को प्रकट कर दिया है और उसे कर-वसूली अधिकारी के व्ययनाधीन रख दिया है और उसने कोई असद्भावपूर्ण कार्य नहीं किया है निर्मुक्त करने का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि कर-वसूली अधिकारी के पास यह विश्वास करने का आधार है कि उपनियम (1) के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा किया गया प्रकटीकरण असत्य है तो वह प्रमाण-पत्र के निष्पादन में व्यतिक्रमी की पुनः गिरफ्तारी का आदेश कर सकेगा किन्तु सिविल कारागार में उसके निरोध की कालावधि कुल मिलाकर उससे अधिक नहीं होगी जो नियम 77 द्वारा प्राधिकृत है।

79. रुग्णता के आधार पर निर्मुक्ति—(1) कर-वसूली अधिकारी, व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाले जाने के पश्चात् किसी भी समय उसकी गंभीर रुग्णता के आधार पर उस वारंट को रद्द कर सकेगा।

(2) जहां व्यतिक्रमी गिरफ्तार किया जा चुका है वहां यदि कर-वसूली अधिकारी की राय है कि उसका स्वास्थ्य इतनी ठीक दशा में नहीं है कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाए, तो कर-वसूली अधिकारी उसे निर्मुक्त कर सकेगा।

(3) जहां व्यतिक्रमी को सिविल कारागार को सुपुर्द कर दिया गया है, वहां कर-वसूली अधिकारी उसकी वहां से निर्मुक्ति किसी संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग से अस्तित्व के आधार पर या उसके किसी गंभीर रुग्णता से ग्रस्त होने के आधार पर, कर सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन निर्मुक्त व्यतिक्रमी को पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, किन्तु सिविल कारागार में उसके निरोध की कालावधि, कुल मिलाकर, उससे अधिक नहीं होगी जो नियम 77 द्वारा प्राधिकृत है।

80. निवास-गृह में प्रवेश—इस अनुसूची के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजन के लिए—

(क) किसी भी निवास-गृह में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा ;

(ख) निवास-गृह का कोई भी बाहरी दरवाजा तब तक तोड़कर न खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास-गृह या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी के अधिभोग में न हो और वह या उस गृह का अन्य अधिभोग उस तक पहुंच होने देने से मना न करता हो या पहुंच होने देना किसी भांति निवारित न करता हो, किंतु जब वारंट का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ने किसी निवास-गृह में सम्यक् रूप से पहुंच प्राप्त कर ली है तब वह किसी कमरे या कोठरी का दरवाजा तोड़ कर खोल सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यतिक्रमी का भी वहां पाया जाना संभाव्य है;

(ग) किसी ऐसे कमरे में, जो किसी ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, जो देश की रूढ़ियों के अनुसार लोक समक्ष नहीं आती है, तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी ने जो गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत है,

¹ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) उपखंड (ii) प्रतिस्थापित।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) परन्तुक का लोप किया गया।

उसे यह सूचना न दे दी हो कि वह हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए युक्तियुक्त समय और सुविधा न दे दी हो।

81. स्त्रियों या अवयस्क की गिरफ्तारी का प्रतिषेध—कर वसूली अधिकारी—

(क) किसी स्त्री को, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को जो, उसकी राय में, अवयस्क या विकृत-चित्त का है, गिरफ्तार और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा।

भाग 6

प्रकीर्ण

82. अधिकारियों का न्यायिकतः कार्य करने वाला माना जाना—हर ऐसे ¹[²मुख्य आयुक्त या आयुक्त] कर वसूली अधिकारी] या अन्य अधिकारी के बारे में जो इस अनुसूची के अधीन कार्य कर रहा हो, इस अनुसूची के अधीन कृत्यों के निर्वहन में, यह समझा जाएगा कि वह न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850 का 18) के अर्थ में न्यायिकतः कार्य कर रहा है।

83. साक्ष्य लेने की शक्ति—हर ऐसे ¹[²मुख्य आयुक्त या आयुक्त] कर वसूली अधिकारी] या अन्य अधिकारी को जो इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन कार्य कर रहा हो, साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलवाने, साक्षियों की हाजिरी प्रवृत्त कराने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

84. प्रमाणपत्र का जारी रहना—कोई भी प्रमाण-पत्र व्यतिक्रमी की मृत्यु के कारण प्रवर्तनहीन न होगा।

85. व्यतिक्रमी की मृत्यु पर प्रक्रिया—³[यदि कर-वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए प्रमाण-पत्र के पश्चात् किसी समय] व्यतिक्रमी मर जाता है, तो इस अनुसूची के अधीन (गिरफ्तारी और निरोध को छोड़ कर) कार्यवाहियां व्यतिक्रम के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी और इस अनुसूची के उपबंध जैसे ही लागू होंगे मानो विधिक प्रतिनिधि व्यतिक्रमी हो।

86. अपीलें—⁴[(1) इस अनुसूची के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित किसी मूल आदेश की जो निश्चायक आदेश नहीं है, अपील मुख्य आयुक्त या आयुक्त को होगी।]

(2) इस नियम के अधीन हर अपील, उस आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की जानी हो तीस दिन के भीतर पेश करनी होगी।

(3) किसी अपील के विनिश्चय के लम्बित रहने तक, प्रमाणपत्र के निष्पादन को रोका जा सकेगा यदि अपील प्राधिकारी ऐसा निर्दिष्ट करे किन्तु अन्यथा नहीं।

⁵[(4) उपनियम (1) में किसी बात होते हुए भी जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त उस रूप में किसी क्षेत्र के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है वहां ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पूर्व किसी कर वसूली अधिकारी द्वारा, जो उस क्षेत्र के या, उस क्षेत्र में सम्मिलित किए गए किसी क्षेत्र की बाबत उस रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है, पारित आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलें ऐसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त को होंगी।]

87. पुनर्विलोकन—इस अनुसूची के अधीन पारित किसी आदेश का अभिलेख से प्रकट किसी मूल के कारण पुनर्विलोकन, सभी हितवद्ध व्यक्तियों को सूचना देने के पश्चात् ऐसे ⁶[⁷मुख्य आयुक्त या आयुक्त] कर-वसूली अधिकारी] या अन्य अधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या उसके पद में उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा।

88. प्रतिभू से वसूली—जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय रकम के लिए इस अनुसूची के अधीन प्रतिभूत हुआ है वहां इस अनुसूची के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही ऐसे की जा सकेगी मानो वह व्यतिक्रमी है।

8*

*

*

*

90. जीवन निर्वाह भत्ता—(1) जब कोई व्यतिक्रमी गिरफ्तार किया जाता है या सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाता है जो गिरफ्तारी के समय से लेकर उसके निर्मुक्त होने तक ऐसे व्यतिक्रमी के जीवन निर्वाह के लिए संदाय राशि की पूर्ति ⁹[कर-वसूली अधिकारी] द्वारा की जाएगी।

¹ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) “कर वसूली आयुक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा (1-1-1972 से) “कर वसूली अधिकारी” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) उपनियम 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) उपनियम 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) “कर वसूली आयुक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा (1-1-1972 से) “अधिकारी” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁸ 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) नियम 89 लोप किया गया।

⁹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) ऐसी राशि सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए निर्णीत-ऋणियों के जीवन निर्वाह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत मापमान के अनुसार परिकल्पित की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन संदेय राशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे कार्यवाहियों में के खर्चे हैं:

परन्तु इस प्रकार संदेय किसी राशि के लिए व्यतिक्रमी न तो सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाएगा और न गिरफ्तार किया जाएगा।

91. प्ररूप—बोर्ड इस अनुसूची के अधीन जारी किए जाने वाले किसी आदेश, सूचना, वारंट या प्रमाण-पत्र के लिए उपयोग में लाया जाने वाला प्ररूप विहित कर सकेगा।

92. नियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड ¹[²मुख्य आयुक्त या आयुक्त,] कर वसूली अधिकारियों] और इस अनुसूची के अधीन कार्यशील अन्य अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विनियमित करने वाले ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत हों।

(2) विशिष्टतया और उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) वह क्षेत्र जिसके भीतर ¹[²मुख्य आयुक्त या आयुक्त,] कर-वसूली अधिकारी] अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेंगे;

(ख) वह रीति जिसमें इस अनुसूची के अधीन विक्रीत कोई संपत्ति परिदत्त की जा सकेगी;

(ग) कर-वसूली अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज का निष्पादन या परक्राम्य लिखत या निगम के शेयर का पृष्ठांकन जहां ऐसी परक्राम्य लिखत या शेयर का ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस अनुसूची के अधीन किसी विक्रय के अधीन उसका क्रय किया है अन्तरण करने के लिए ऐसा निष्पादन या पृष्ठांकन अपेक्षित है;

(घ) इस अनुसूची के अधीन विक्रीत किसी स्थावर संपत्ति के क्रेता को उस सम्पत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करने में, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध करने या बाधा डालने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया;

(ङ) इस अनुसूची के अधीन निकाली गई किसी आदेशिका के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) इस अनुसूची के अधीन की गई किसी अन्य कार्यवाही की बाबत वसूल किए जाने वाले प्रभारों का मापमान;

(छ) पौंडेज फीस की वसूली;

(ज) जब पशुधन या अन्य जंगम संपत्ति कुर्की के अधीन हो, तब उसका अनुरक्षण और अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण और अभिरक्षा के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसों जैसे पशुधन या संपत्ति का विक्रय, तथा ऐसे विक्रय के आगम का व्ययन;

(झ) कारवार की कुर्की का ढंग।

93. प्रभार के बारे में व्यावृत्ति—इस अनुसूची की कोई बात इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके अधीन किसी आस्ति पर कर प्रथम प्रभार होता है।

²**94. कुछ लंबित कार्यवाहियों का चालू रहना और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा इस अनुसूची के संशोधनों के प्रवर्तन में आने के ठीक पूर्व लंबित कर वसूली के लिए सभी कार्यवाहियां उस प्रक्रम से, जहां वे पहुंची हैं, उस अधिनियम द्वारा संशोधित इस अनुसूची के अधीन चालू रखी जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए, ऐसे संशोधन के पूर्व धारा 222 के अधीन आय-कर अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र, ऐसे संशोधन के पश्चात् उस धारा के अधीन कर-वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किया गया प्रमाणपत्र समझा जाएगा और यदि उक्त कार्यवाहियों को चालू रखने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड (चाहे इस अनुसूची में किसी नियम के ऐसे उपांतरण के रूप में, जिससे सार पर प्रभाव नहीं पड़ता है या अन्यथा), साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।]

तृतीय अनुसूची

³[निर्धारण अधिकारी] ⁴[या कर-वसूली अधिकारी द्वारा करस्थम् के लिए प्रक्रिया]

[धारा 226(5) देखिए]

¹ 1971 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 32 की धारा 29 की धारा (1-1-1972से) “कर वसूली अधिकारी” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 124 द्वारा (1-4-1989 से) नियम 94 अंतःस्थापित।

³ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 55 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 55 द्वारा (1-4-1989 से) अंतःस्थापित।

करस्थम् और विक्रय—जहां किसी जंगम सम्पत्ति का कोई करस्थम् और विक्रय इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी [निर्धारण अधिकारी] ²[या कर वसूली अधिकारी] द्वारा किया जाना है वहां ऐसा करस्थम् और विक्रय, यावत्शक्य उसी रीति से किया जाएगा जिसमें वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्की योग्य किसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय किया जाता है, तथा अनुसूची के वे उपबंध जो कुर्की और विक्रय से संबंधित हैं, ऐसे करस्थम् और विक्रय की बाबत यावत्शक्य लागू होंगे।

चतुर्थ अनुसूची

भाग-क

मान्यताप्राप्त भविष्य निधियां

[धाराएं 2(38), 10(12), 36(1), (iv), 80ग (2) (घ), 111, 192(4) देखिए]

1. **इस भाग का लागू होना**—यह भाग किसी ऐसी भविष्य निधि को लागू नहीं होगा जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है।

2. **परिभाषाएं**—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “नियोजक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि बनाए रखता है और जो—

(i) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का संगम है, अथवा

(ii) किसी ऐसे कारबार या वृत्ति में लगा हुआ व्यष्टि है, जिसके लाभ और अभिलाभ “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है;

(ख) “कर्मचारी” से भविष्य निधि में भाग लेने वाला कर्मचारी अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वैयक्तिक या घरेलू सेवक नहीं है;

(ग) “अभिदाय” से कोई ऐसी राशि अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उसके वेतन में से या किसी नियोजक द्वारा अपने धन में से कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में जमा की गई हो किन्तु इसके अन्तर्गत ब्याज के रूप में खाते में जमा की गई राशि नहीं आती है;

(घ) “कर्मचारी के जमाखाते में अतिशेष” से ऐसी कुल रकम अभिप्रेत है जो भविष्य निधि में किसी समय उसके खाते में जमा हो;

(ङ) कर्मचारी के जमाखाते में अतिशेष के संबंध में “वार्षिक अनुवृद्धि” से ऐसे अतिशेष में किसी वर्ष में वृद्धि अभिप्रेत है जो अभिदायों और ब्याज से उद्भूत होती है;

(च) “कर्मचारी को देय संचित अतिशेष” से उसके जमाखाते में अतिशेष या उसका ऐसा भाग अभिप्रेत है जो उस द्वारा निधि के विनियमों के अधीन उस दिन दावा किए जाने योग्य हो जिस दिन वह निधि बना रखने वाले नियोजक का कर्मचारी नहीं रहता;

(छ) “निधि के विनियम” से किसी विशिष्ट भविष्य निधि संगठन और प्रशासन को शासित करने वाले विनियमों का विशेष निकाय अभिप्रेत है; और

(ज) “वेतन” के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता भी है यदि नियोजन के निबन्धनों में वैसा उपबन्धित हो किन्तु अन्य सभी भत्ते और परिलब्धि इससे अपवर्जित हैं।

3. **मान्यता देना और वापस लेना**—(1) @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा जो उसकी राय में नियम 4 में विहित शर्तों की और बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों की पूर्ति करती है, तथा किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस ले सकेगा यदि उसकी राय में ऐसी भविष्य निधि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन करती है :

³[परंतु जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती है तो ऐसी निधि की मान्यता को, यदि ऐसी निधि 4[31 मार्च, 2014] को या उससे पूर्व उक्त खंड में उपवर्णित शर्तों और ऐसी किसी अन्य शर्त को, जो बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पूरा नहीं करती है, वापस ले लिया जाएगा :]

¹ 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 55 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित।

² 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 55 द्वारा (1-4-1988 से) अन्तःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

³ 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 56 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁴ 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[परंतु यह और कि पहले परंतुक की कोई बात किसी ऐसे स्थापन की भविष्य निधि को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है।]

(2) मान्यता देने वाला आदेश ऐसी तारीख को प्रभावी होगा जैसी @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] उन नियमों के अनुसार, जिन्हें बोर्ड इस निमित्त बनाए, नियत करे; ऐसी तारीख उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आदेश दिया जाता है, अन्तिम दिन के पश्चात् की नहीं होगी।

(3) मान्यता वापस लेने वाला आदेश उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको वह दिया जाता है।

(4) भविष्य निधि को मान्यता देने वाले आदेश पर, जब तक कि @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अन्यथा निर्दिष्ट न करे, इस तथ्य के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ऐसी निधि का किसी अन्य भविष्य निधि के साथ तत्पश्चात् समामेलन उन उपक्रमों का जिनके संबंध में वे दो निधियां बनाई गई हैं समामेलन हो जाने पर, हो जाता है कि वह तत्पश्चात् किसी ऐसी संपूर्ण भविष्य निधि या उसके भाग को आमेलित कर लेती है जो ऐसे उपक्रम की है जो प्रथम वर्णित निधि को बनाए रखने वाले नियोजक के उपक्रम को पूर्णतः या भागतः अन्तरित हो जाती है या उसमें विलीन हो जाती है।

4. मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें—इसलिए कि भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त हो सके और वह उसे कायम रख सके वह नियम 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नीचे उपवर्णित शर्तें और ऐसी कोई अन्य शर्तें जो बोर्ड, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूरी करेंगी—

(क) सब कर्मचारी भारत में नियोजित किए जाएंगे, या ऐसे नियोजक द्वारा नियोजित किए जाएंगे जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में है;

(ख) किसी वर्ष में कर्मचारी का अभिदाय उस वर्ष के लिए उसके वेतन का निश्चित अनुपात होगा, और उस वर्ष में ऐसे वेतन के हर एक नियत-कालिक संदाय पर, कर्मचारी के वेतन से उस अनुपात में नियोजक द्वारा काट लिया जाएगा तथा निधि में कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में जमा किया जाएगा;

(ग) किसी वर्ष में कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में नियोजक के अभिदाय उस वर्ष के अभिदायों की रकम से अधिक नहीं होंगे और एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में जमा किए जाएंगे;

(घ) निधि दो या अधिक न्यासियों में या शासकीय न्यासी में न्यास के अधीन निहित होगी जो सभी हिताधिकारियों की सहमति के बिना प्रतिसंहरणीय नहीं होगा;

(ङ) निधि न्यासियों द्वारा प्राप्त ऊपर विनिर्दिष्ट प्रकार के अभिदायों से उनके संचयनों से, और ऐसे अभिदायों और संचयनों की बाबत जमा ब्याज से, और उनमें क्रय की गई प्रतिभूतियों से और निधि की पूंजी आस्तियों के अन्तरण से उद्भूत किन्हीं पूंजी अभिलाभों से न कि किसी अन्य राशि से मिल कर बनेगी;

²[डक] निधि, ऐसे स्थापन की निधि होगी, जिसे कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या ऐसे स्थापन की निधि होगी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है और ऐसा स्थापन उस धारा में निर्दिष्ट किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा;]

(च) नियोजक निधि से किसी प्रकार की कोई राशि वसूल करने का हकदार, ऐसी दशाओं में के सिवाय न होगा, जिनमें कर्मचारी अवचार के कारण पदच्युत कर दिया जाता है या निधि के विनियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि की समाप्ति के पूर्व स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण या अन्य अपरिहार्य कारण से भिन्न रूप में अपना नियोजन स्वेच्छा से छोड़ देता है;

परन्तु ऐसी दशाओं में नियोजक द्वारा की गई वसूलियां, उन अभिदायों तक जो उसने कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में किए हैं और ऐसे ब्याज तक जो ऐसे अभिदायों की बाबत निधि के विनियमों के अनुसार जमा किया गया है और उसके संचयनों तक परिसीमित रहेगी;

(छ) कर्मचारी को देय संचित अतिशेष उस दिन संदेय होगा जिसको वह निधि बनाए रखने वाले नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता;

(ज) कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष का कोई भाग, खण्ड (छ) में यथा उपबन्धित के सिवाय या ऐसी शर्तों और निबन्धनों के सिवाय जिन्हें बोर्ड नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसे संदेय नहीं होगा।

¹ 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 82 द्वारा अन्तःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

² 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. शर्तों का शिथिलीकरण—(1) नियम 4 के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] यदि वह उचित समझे तो और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन जो वह मान्यता से संलग्न करना उचित समझे ऐसे नियोजक द्वारा जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में नहीं है, बना रखी गई निधि को मान्यता दे सकेगा, परन्तु तब जब कि भारत के बाहर नियोजित कर्मचारियों का अनुपात दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(2) नियम 4 के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कर्मचारी जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय सेवा में लिए जाने पर या नियोजित होने पर अपना नियोजन कायम रखता है वह, चाहे नियोजक से कोई वेतन प्राप्त करता है या नहीं, संघ के सशस्त्र बल में अपनी सेवा के दौरान या राष्ट्रीय सेवा में लिए जाने पर या नियोजित होने पर निधि में ऐसी रकम से अनधिक राशि अभिदत्त कर सकेगा जो यदि वह नियोजक की सेवा में बना रहा होता है तो अभिदत्त करता।

(3) नियम 4 के खण्ड (ड) या खण्ड (छ) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसे कर्मचारी द्वारा जो निधि बना रखने वाले नियोजक का कर्मचारी नहीं रहता है, लिखित रूप में प्रार्थना करने पर, निधि के न्यासी कर्मचारी को देय संपूर्ण संचित अतिशेष या उसका कोई भाग प्रतिधारित रखने के लिए सम्मति दे सकेंगे जो उसके द्वारा मांग पर किसी भी समय निकाला जा सकेगा;

(ख) जहां ऐसे कर्मचारी को देय संचित अतिशेष जो कर्मचारी नहीं रहा है, पूर्वगामी खण्ड के अनुसार निधि में प्रतिधारित रखा जाता है वहां उस निधि में ऐसे संचित अतिशेष की बाबत ब्याज भी हो सकेगा ;

1[(ग) निधि ऐसी रकम, और उस पर ब्याज से मिलकर भी बन सकती है जो किसी कर्मचारी के भूतपूर्व नियोजक द्वारा रखी जाने वाली मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उस कर्मचारी के वैयक्तिक खाते से अन्तरित की जाती है।]

(4) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन जिन्हें बोर्ड इस निमित्त बनाए @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी विशिष्ट निधि की बाबत नियम 4 के खण्ड (ग) के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा—

(क) जिससे ऐसे कर्मचारियों के जिनके वेतन हर दशा में प्रति मास पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होते हैं, वैयक्तिक खाते में नियोजक द्वारा अधिक बड़े अभिदायों का संदाय अनुज्ञात किया जा सके; और

(ख) जिससे नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के वैयक्तिक खातों में कालिक बोनस या आकस्मिक प्रकार के अन्य अभिदायों का जमा किया जाना अनुज्ञात किया जा सके जहां कि ऐसे बोनस या अन्य अभिदायों का परिकलन और संदाय निधि के विनियमों द्वारा निश्चित सिद्धांतों के आधार पर उपबंधित है।

(5) नियम 4 के खण्ड (ज) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि इसलिए कि कोई कर्मचारी नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन यथाधारित उसकी कुल आय पर निर्धारित कर की रकम का संदाय करने में समर्थ हो जाए, वह मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने जमा खाते में अतिशेष से वह राशि निकालने का हकदार होगा जो ऐसी रकम और उस रकम के अन्तर से अधिक नहीं है जिससे वह निर्धारित किया गया होता यदि नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्तरित अतिशेष उसकी कुल आय में सम्मिलित न किया जाता।

6. नियोजक के वार्षिक अभिदाय कब कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझे जाएंगे—मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष में किसी पूर्ववर्ष में वार्षिक अनुवृद्धि का वह भाग जिसमें—

(क) नियोजक द्वारा किए गए वे अभिदाय हैं जो कर्मचारी के वेतन के 2[बारह] प्रतिशत से ऊपर हैं; और

(ख) कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष में जमा ब्याज है, जहां तक कि वह 3*** ऐसी दर से अधिक पर अनुज्ञात किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत की जाए,

कर्मचारी द्वारा उस पूर्ववर्ष में प्राप्त किया गया समझा जाएगा और उस पूर्ववर्ष के लिए उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा और आय-कर 4*** के दायित्वाधीन होगा।

5[7. कर्मचारी के अभिदायों के लिए छूट—मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाला कर्मचारी अपनी कुल आय की संगणना में पूर्व वर्ष में निधि खाते में अपने अभिदायों की बाबत इतनी रकम की कटौती का हकदार होगा जितनी 6[धारा 80ग] के अनुसार अवधारित हो।]

8. संचित अतिशेष का कुल आय से अपवर्जन—मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय और संदेय होने वाला संचित अतिशेष उसकी कुल आय की संगणना से अपवर्जित किया जाएगा:—

¹ 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा (1-4-1974 से) उपखंड (ग) अंतःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

² 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 58 द्वारा (1-4-1998 से) प्रतिस्थापित।

³ 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 34 द्वारा (1-4-1981 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

⁴ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

⁵ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित।

⁶ 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) “धारा 87” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(i) यदि उसने अपने नियोजक के पांच वर्ष या उससे अधिक कालावधि के लिए निरन्तर सेवा की है, अथवा

(ii) यद्यपि उसने ऐसी निरन्तर सेवा नहीं की है तो भी यदि सेवा कर्मचारी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण या नियोजक के कारबार के कम हो जाने या बन्द हो जाने के कारण या कर्मचारी के नियंत्रण के परे अन्य कारणवश समाप्त की गई है, ¹[अथवा]

¹[(iii) यदि कर्मचारी अपने नियोजन के समाप्त होने पर, किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है तो, उस विस्तार तक वहां तक उसको देय और संदेय होने वाला संचित अतिशेष किसी अन्य नियोजक द्वारा रखी जाने वाली मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उसके वैयक्तिक ²[खाते में जमा किया जाता है, अथवा]

³[(iv) यदि कर्मचारी के खाते में संपूर्ण अतिशेष धारा 80गगघ में निर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में अंतरित किया जाता है।]

स्पष्टीकरण—जहां किसी कर्मचारी को, जो अपने नियोजक द्वारा रखी जाने वाली मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेता है, देय और संदेय होने वाले संचित अतिशेष में उसके भूतपूर्व नियोजक या नियोजक द्वारा रखी जाने वाली किसी अन्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या निधियों से उसके वैयक्तिक खाते में अन्तरित कोई रकम सम्मिलित है जो निरन्तर सेवा की अवधि की संगणना करने में वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित की जाएंगी जिनमें ऐसे कर्मचारी ने अपने पूर्वोक्त भूतपूर्व नियोजक या नियोजकों के अधीन निरन्तर सेवा की थी।]

9. संचित अतिशेष पर कर—(1) जहां मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष नियम 8 के उपबंधों को लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है वहां @ [निर्धारण अधिकारी] ऐसे ⁴[कर] की विभिन्न राशियों का योग परिकलित करेगा जो यदि निधि मान्यताप्राप्त निधि नहीं होती तो कर्मचारी द्वारा सम्पूक्त वर्षों में से हर एक के लिए उसकी कुल आय की बाबत संदेय होता, और वह रकम जिसमें ऐसा योग ऐसे कर्मचारी द्वारा या की ओर से ऐसे वर्षों के लिए कर के रूप में संदत्त सभी राशियों के योग से अधिक हो जाता है, कर्मचारी द्वारा किसी अन्य ऐसे ⁴[कर] के अतिरिक्त संदेय होगी जिससे कि वह उस पूर्ववर्ष के लिए दायित्वाधीन हो जिसमें उसको देय संचित अतिशेष संदेय होता है।

(2) जहां मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष, जो नियम 8 के उपबंधों के अधीन कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया है, संदेय हो जाता है वहां वार्षिक अनुवृद्धियों पर, जो यदि भारतीय आय-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का 18) 1930 के मार्च के पन्द्रहवें दिन को प्रवृत्त हो गया होता तो निर्धारण वर्ष 1932-1933 तक और उसके सहित किसी निर्धारण वर्ष के लिए भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 18) की धारा 58ड के अधीन संदेय होती, अधिकार की रकमों के योग के बराबर रकम कर्मचारी द्वारा ऐसे पूर्व वर्ष के लिए, जिसमें वह अतिशेष संदेय हो जाता है अपने द्वारा संदेय किसी अन्य कर के अतिरिक्त कर संदेय होगी।

10. संचित अतिशेष पर संदेय कर की स्रोत पर कटौती—मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में न्यासी या कोई ऐसा व्यक्ति जो निधि के विनियमों द्वारा कर्मचारियों को देय संचित अतिशेषों का संदाय करने के लिए प्राधिकृत है, उन दशाओं में जहां नियम 9 का उपनियम (1) लागू होता है, उस समय जब कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय किया जाता है उसमें से उस नियम के अधीन संदेय रकम की कटौती कर लेता और अध्याय 17ख के सभी उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो संचित अतिशेष “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय हो।

11. नई मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अतिशेष से बरतना—(1) जहां विद्यमान अतिशेषों वाली किसी भविष्य निधि को मान्यता दी जाती है वहां उस दिन के जिस दिन मान्यता प्राप्त प्रभावी होती है ठीक पूर्वगामी दिन तक का निधि का लेखा तैयार किया जाएगा जिसमें ऐसे दिन हर एक कर्मचारी के खाते में अतिशेष दर्शित होगा और ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां होंगी जैसी बोर्ड विहित करे।

(2) हर कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेषों की बाबत लेखा में उसकी वह रकम भी दर्शित की जाएगी जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उस कर्मचारी के खाते में अन्तरित की जानी है और ऐसी रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् इसका अन्तरित अतिशेष कहा गया है) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उस तारीख को जिसको निधि की मान्यता प्रभावी होती है उसके जमा खाते में अतिशेष के रूप में दर्शित की जाएगी, और इस नियम का उपनियम (4) और नियम 5 का उपनियम (5) उसको लागू होगा।

(3) विद्यमान निधि में कर्मचारी के जमा खाते में अतिशेष का कोई भाग जिसको मान्यताप्राप्त निधि में अन्तरित नहीं किया जाता है मान्यताप्राप्त निधि के लेखाओं से अपवर्जित किया जाएगा और इस अधिनियम के इस भाग से भिन्न उपबंधों के अनुसार आय-कर ^{5***} के दायित्वाधीन होगा।

¹ 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा (1-4-1975 से) अंतःस्थापित।

² 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 115 द्वारा (1-4-2017 से) प्रतिस्थापित।

³ 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 115 द्वारा (1-4-2017 से) अन्तःस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

⁴ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) “आय-कर और अतिकर” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) “और अतिकर” शब्दों का लोप किया गया।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जैसे बोर्ड इस निमित्त बनाए, @[निर्धारण अधिकारी] अन्तरित अतिशेष में समाष्टि सब राशियों के, जो आय-कर के दायित्वाधीन होती यदि निधि की संस्थापना की तारीख से यह भाग प्रवृत्त होता, योग का परिकलन किसी ऐसे कर को गणना में लिए बिना करेगा जो किसी राशि पर संदत्त किया गया हो और ऐसे योग को (यदि कोई हो) कर्मचारी द्वारा उस पूर्ववर्ष की प्राप्त की गई आय समझा जाएगा, जिसमें निधि की मान्यता प्रभावी होती है और उस पूर्ववर्ष के लिए कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा, और अन्तरित अतिशेष की बकाया को निर्धारण के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा किन्तु प्रतिदाय या किसी अन्य रूप में कोई अन्य छूट या राहत ऐसे अन्तरित अतिशेष में समाष्टि किसी राशि की बाबत अनुदत्त नहीं की जाएगी:

परन्तु गणना संबंधी गम्भीर कठिनाइयों की दशा में, @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] उक्त नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे योग का संक्षेप में परिकलन कर सकेगा।

(5) इस नियम की कोई बात उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी ऐसी भविष्य निधि का जिसे मान्यताप्राप्त न हो मान्यता दिए जाने से पूर्व प्रशासन या उससे अथवा किसी कर्मचारी विशेष के जमा खाते में अतिशेष से संबन्धित किसी रीति में कर रहे हों जो विधिपूर्ण हो।

12. मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के लेखे—(1) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के लेखा निधि के न्यासियों द्वारा रखे जाएंगे और ऐसे प्ररूप में और ऐसे कालावधियों के लिए होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी बोर्ड विहित करे।

(2) लेखा आय-कर प्राधिकारियों द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और न्यासी @[निर्धारण अधिकारी] को उसकी ऐसी संक्षिप्तियां देंगे जैसी बोर्ड विहित करे।

13. अपीलें—(1) ऐसा नियोजक जो @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] के किसी भविष्य निधि को मान्यता देने से इंकार करने वाले आदेश या उसकी मान्यता वापस लेने वाले आदेश के प्रति आक्षेप करता है, ऐसे आदेश के साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित होगी और ऐसी फीस के संदाय के अधीन होगी जैसी बोर्ड विहित करे।

14. नियोजक द्वारा न्यासी को अन्तरित निधि से बरतना—(1) जहां कोई ऐसा नियोजक जो अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि (चाहे वह मान्यताप्राप्त है या नहीं) बनाए रखता है और उसने निधि या उसके किसी भाग का अन्तरण नहीं किया है, ऐसी निधि या भाग को निधि में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए न्यासतः न्यासियों को अन्तरित करता है, वहां इस प्रकार अन्तरित रकम पूंजीगत व्यय के प्रकार की समझी जाएगी।

(2) जब ऐसी निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को वह संचित अतिशेष संदत्त किया जाता है जो उसे उसमें से देय है, तब ऐसे अतिशेष के किसी भाग के बारे में, जो न्यासियों को इस प्रकार अन्तरित की गई रकम में (ब्याज को जोड़े बिना, और कर्मचारी के अभिदायों और उन पर ब्याज का अपवर्जन करके) उसके अंश के रूप में है, उस दशा में जिसमें नियोजक ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबन्ध कर लिए हैं कि ऐसे अंश की रकम से, जब वह कर्मचारी को संदत्त किया जाए, स्रोत पर कर की कटौती कर ली जाएगी, यह समझा जाएगा कि वह धारा 37 के अर्थ में नियोजक द्वारा ऐसे पूर्ववर्ष में उपगत किया गया व्यय है जिसमें कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय किया जाता है।

15. नियमों के बारे में उपबन्ध—(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा—

(क) मान्यता के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी विहित करना;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में किसी कंपनी के ऐसे कर्मचारियों द्वारा अभिदायों को, जो कंपनी में शेयरधारक हैं, परिसीमित करना;

¹[(खख) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के धन के विनिधान या निक्षेप का विनियमन:

परन्तु इस खण्ड के अधीन बनाया गया कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूति में ऐसी निधि के धन के पचास प्रतिशत से अधिक के विनिधान की अपेक्षा नहीं करेगा;]

(ग) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अपने फायदाप्रद हित के समनुदेशन या उस पर प्रभार का सृजन करने के फलस्वरूप किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी प्रतिफल की शास्ति के रूप में निर्धारण के लिए उपबन्ध करना;

(घ) वह परिणाम जिस तक और वह रीति जिसमें ²[कर] के संदाय से छूट ऐसे अभिदायों और ब्याज की बाबत दी जा सकेगी जो किसी ऐसी भविष्य निधि में जिसकी मान्यता वापस ले ली गई है, कर्मचारियों के वैयक्तिक खातों में जमा है, अवधारित करना; और

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

¹ 1970 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 57 द्वारा (1-4-1971 से) अंतःस्थापित।

² 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ङ) साधारणतः इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना और भविष्य निधियों को मान्यता देने और मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण, जैसा वह अपेक्षणीय समझे, सुनिश्चित करना।

(2) इस भाग के अधीन बनाए गए सब नियम धारा 296 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होंगे।

भाग-ख

अनुमोदित अधिवार्षिकी निधियां

[धाराएं 2(6), 10(13), 10(25) (iii), 36(i), (iv), 1***, 192(5), 2[206] देखिए]

1. **परिभाषाएं**—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिवार्षिकी निधियों के संबंध में “नियोजक”, “कर्मचारी”, “अभिदाय” और “वेतन” का वही अर्थ है जो उन पदों को भविष्य निधियों के सम्बन्ध में भाग क के नियम 2 में दिया गया है।

2. **अनुमोदन देना और अनुमोदन वापिस लेना**—(1) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी ऐसे अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि के किसी भाग को, जो उसकी राय में नियम 3 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है अनुमोदन दे सकेगा और ऐसे अनुमोदन को किसी भी समय वापिस ले सकेगा यदि उसकी राय में उस निधि या उसके भाग की परिस्थितियां अनुमोदन का जारी रखना समर्थित नहीं करती।

(2) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अनुमोदन देने की उस तारीख को, जिसको अनुमोदन प्रभावी होता है, तथा जहां अनुमोदन शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जाता है वहां उन शर्तों के सहित, लिखित रूप में संसूचना निधि के न्यासियों को देगा।

(3) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त], अनुमोदन की वापसी की, ऐसी वापसी के कारणों के और उस तारीख के सहित जिसको वापसी प्रभावी होनी है, लिखित रूप में संसूचना निधि के न्यासियों को देगा।

(4) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि के भाग के अनुमोदन से तब तक न तो इंकार करेगा और न उसे वापस लेगा जब तक कि उसने उस निधि के न्यासियों को उस विषय में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

3. **अनुमोदन के लिए शर्तें**—इसलिए कि अधिवार्षिकी निधि को अनुमोदन प्राप्त हो जाए और वह उसे कायम रख सके वह नीचे उपवर्णित शर्तें और ऐसी कोई अन्य शर्तें, जो बोर्ड नियमों द्वारा विहित करे, पूरी करेगी—

(क) निधि ऐसी निधि होगी जो भारत में चलाए जाने वाले व्यापार या उपक्रम के संबंध में अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्थापित की गई हो और नब्बे प्रतिशत से अन्यून कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे;

(ख) निधि का एकमात्र प्रयोजन, व्यापार या उपक्रम में लगे कर्मचारियों के लिए उनके विनिर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर या ऐसे निवृत्ति के पूर्व उनके अशक्त हो जाने पर, या उन व्यक्तियों की जो ऐसे कर्मचारी हैं या रह चुके हैं मृत्यु पर, उनकी विधवाओं, सन्तानों या आश्रितों के लिए वार्षिकियों का उपबंध करना होगा;

(ग) व्यापार या उपक्रम का नियोजक निधि में अभिदायकर्ता होगा; और

(घ) निधि में से अनुदत्त सब वार्षिकियां, पेंशन और अन्य फायदे भारत में ही संदेय होंगे।

4. **अनुमोदन के लिए आवेदन**—(1) किसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि के भाग के अनुमोदन के लिए आवेदन निधि के न्यासियों द्वारा उस @[निर्धारण अधिकारी] को जिसके द्वारा नियोजक निर्धारणीय है, लिखित रूप में किया जाएगा और उसके साथ उस लिखत की एक प्रति, जिसके अधीन ऐसी निधि स्थापित की गई हो और नियमों की दो प्रतियां ³[तथा जहां निधि उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती ऐसे वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही है, जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है, वहां निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी होंगी जो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों से (जो उक्त आवेदन किए जाने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक नहीं है) संबंधित है, जिनके लिए ऐसे लेखे तैयार कर लिए गए हैं;] किन्तु @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] ऐसी अतिरिक्त जानकारी के दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी वह उचित समझे।

(2) यदि अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी समय निधि के नियमों, उसकी रचना, उद्देश्यों, या शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है, जो निधि के न्यासी उपनियम (1) में वर्णित @[निर्धारण अधिकारी] को ऐसे परिवर्तन की तुरन्त सूचना देंगे और ऐसी संसूचना के अभाव में किसी दिए गए अनुमोदन के बारे में, जब तक कि @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अन्यथा आदेश न करे, यह समझा जाएगा कि उसे उस तारीख से जिसको ऐसा परिवर्तन प्रभावी हुआ, वापस ले लिया गया है।

¹ 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 50 द्वारा (1-4-1990 से) “धारा 80ग (2) (ङ)” शब्दों का लोप। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

² 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-6-1987 से) “206(2)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

³ 1970 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 57 द्वारा (1-4-1971 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. नियोजक द्वारा अभिदाय कब नियोजक की आय समझे जाएंगे—जब किसी नियोजक द्वारा कोई अभिदाय (जिसके अन्तर्गत उन पर ब्याज, यदि कोई हो, भी है) नियोजक को प्रतिसंदत्त किए जाते हैं तब इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम के बारे में आय-कर 1*** के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह नियोजक की उस पूर्व वर्ष की आय है जिसमें उन्हें इस प्रकार प्रतिसंदत्त किया गया है।

6. कर्मचारी को प्रदत्त अभिदायों पर कर की कटौती—जहां किसी नियोजक द्वारा किए गए किन्हीं अभिदायों का, जिनके अन्तर्गत अभिदायों पर ब्याज यदि कोई हो, भी है, किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल के दौरान संदाय, 2[धारा 10 के खण्ड (13) में निर्दिष्ट परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में] किया जाता है, वहां ऐसे संदत्त रकम पर 3[कर] की कटौती 3[कर] की ऐसी औसत दर पर की जाएगी जिस पर 3[कर] के दायित्वाधीन वह कर्मचारी पूर्वर्ती तीन वर्ष के दौरान था, यदि तीन वर्ष से कम हो तो, उस अवधि के दौरान था जब वह निधि का सदस्य था और उसे न्यासियों द्वारा विहित समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसी बोर्ड निर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

7. कर्मचारी की तनख्वाह से की गई कटौती और उसकी ओर से किए गए अभिदायों का विवरणी में सम्मिलित किया जाना—जहां कोई नियोजक अनुमोदित अधिवाषिकी निधि में किसी कर्मचारी के अभिदाय उस कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों में से काटता है या उसकी ओर से संदत्त करता है, वहां ऐसी सब कटौतियों या संदायों को उस विवरणी में सम्मिलित करेगा जिसे देने के लिए वह धारा 206 4*** के अधीन अपेक्षित है।

8. अपीलें—(1) ऐसा नियोजक जो @मुख्य आयुक्त या आयुक्त के किसी अधिवाषिकी निधि को अनुमोदन देने से इंकार करने वाले आदेश या ऐसे अनुमोदन के वापस लेने वाले आदेश के प्रति आक्षेप करता है ऐसे आदेश के साठ दिन के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित होगी और ऐसी फीस के संदाय के अधीन होगी, जैसी विहित की जाए।

9. अनुमोदन की समाप्ति पर न्यासियों का दायित्व—यदि कोई निधि या निधि का भाग किसी कारण से अनुमोदित अधिवाषिकी निधि नहीं रह जाती है, तो भी उस निधि के न्यासी वापस किए गए अभिदायों मद्दे (जिनके अन्तर्गत अभिदायों पर ब्याज, यदि कोई हो, भी है) संदत्त राशि पर कर के दायित्वाधीन रहेंगे जहां तक कि इस प्रकार संदत्त राशि इस भाग के उपबंधों के अधीन उस निधि या निधि के भाग के अनुमोदित अधिवाषिकी निधि न रह जाने के पूर्व किए गए अभिदायों से संबंधित है।

10. अधिवाषिकी निधियों की बाबत दी जाने वाली विशिष्टियां—किसी अनुमोदित अधिवाषिकी निधि के न्यासी और कोई ऐसा नियोजक जो अनुमोदित अधिवाषिकी निधि में अभिदाय करता है, @निर्धारण अधिकारी से सूचना द्वारा अपेक्षित होने पर सूचना की तारीख से इक्कीस दिन से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना से विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी, विवरण, विशिष्टियां या जानकारी देंगे जैसी @निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे।

11. नियमों के बारे में उपबन्ध—(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अतिरिक्त बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा—

(क) अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी विहित करना;

(ख) ऐसी विवरणियां, विवरण, विशिष्टियां या जानकारी, जिनकी अपेक्षा @निर्धारण अधिकारी किसी अनुमोदित अधिवाषिकी निधि के न्यासियों से या नियोजक से करें विहित करना;

(ग) किसी अनुमोदित अधिवाषिकी निधि में मामूली वार्षिकी अभिदाय और नियोजक द्वारा कोई अन्य अभिदाय परिसीमित करना;

5[(गग) किसी अनुमोदित अधिवाषिकी निधि के धन के विनिधान या निक्षेप का विनियमन;

परन्तु इस खण्ड के अधीन बना कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूति में ऐसी निधि के धनों के पचास प्रतिशत से अधिक के विनिधान की अपेक्षा नहीं करेगा;]

(घ) किसी अनुमोदित अधिवाषिकी निधि में अपने फायदाप्रद हित के समनुदेशन या उस पर प्रभार का सृजन करने के फलस्वरूप किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी प्रतिफल के शास्तिक रूप में निर्धारण के लिए उपबन्ध करना;

(ङ) वह परिणाम जिस तक और वह रीति जिसमें 3[कर] के संदाय से छूट किसी ऐसे संदाय की बाबत दी जा सकेगी जो किसी ऐसी अधिवाषिकी निधि में से, जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया हो, किया गया हो, अवधारित करना;

1 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) “और अतिकर” शब्दों का लोप किया गया।

2 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) अंतःस्थापित।

3 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) “आय-कर और अतिकर” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-6-1987 से) “की उपधारा (1)” शब्दों का लोप किया गया।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

5 1970 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 57 द्वारा (1-4-1971 से) अंतःस्थापित।

(च) किसी ऐसी निधि की दशा में, जो इस भाग या तद्दीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती, अनुमोदन वापस लेने के लिए उपबंध करना; और

(छ) साधारणतः इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना और अधिवार्षिकी निधियों के अनुमोदन और अनुमोदित अधिवार्षिकी निधियों के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण, जैसा वह अपेक्षणीय समझे, सुनिश्चित करना।

(2) इस भाग के अधीन बनाए गए सब नियम धारा 296 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होंगे।

भाग ग

अनुमोदित उपदान निधियां

¹[धाराएं 2(5), 10(25) (iv), 17(1) (iii) और 36(1) (v) देखिए]

1. **परिभाषाएं**—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उपदान निधियों के संबंध में, “नियोजक”, “कर्मचारी”, “अभिदाय” और “वेतन” का वही अर्थ है जो उन पदों का भविष्य निधियों के संबंध में भाग क के नियम 2 में दिया गया है।

2. **अनुमोदन देना और अनुमोदन वापस लेना**—(1) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी ऐसी उपदान निधि को जो, उसकी राय में, नियम 3 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अनुमोदन दे सकेगा और ऐसे अनुमोदन को किसी भी समय वापस ले सकेगा, यदि उसकी राय में, उस निधि की परिस्थितियां अनुमोदन का जारी रखना समर्थित नहीं करती है।

(2) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अनुमोदन देने की, उस तारीख को जिसको अनुमोदन प्रभावी होना है तथा जहां अनुमोदन शर्तों के अध्यक्षीन दिया जाता है वहां उन शर्तों के सहित लिखित रूप में संसूचना निधि के न्यासियों को देगा।

(3) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अनुमोदन देने की वापसी की, ऐसी वापसी के कारणों के और उस तारीख के सहित जिसको वापसी प्रभावी होनी हो, लिखित रूप में संसूचना निधि के न्यासियों को देगा।

(4) @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी उपदान निधि के अनुमोदन से तब तक न तो इंकार करेगा और न उसे वापस लेगा जब तक कि उसने उस निधि के न्यासियों को उस विषय में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

3. **अनुमोदन के लिए शर्तें**—इसलिए कि उपदान निधि को अनुमोदन प्राप्त हो जाए और वह उसे कायम रख सके, वह नीचे उपवर्णित शर्तें और ऐसी कोई अन्य शर्तें जो बोर्ड नियमों द्वारा विहित करे, पूरी करेगा—

(क) निधि ऐसी निधि होगी जो भारत में चलाए जाने वाले व्यापार या उपक्रम के संबंध में अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्थापित की गई हो और नब्बे प्रतिशत से अन्यून कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे;

(ख) निधि का एकमात्र प्रयोजन व्यापार या उपक्रम में लगे कर्मचारियों के लिए उनके विनिर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर या ऐसी निवृत्ति के पूर्व उनके अशक्त हो जाने पर या निधि के नियमों में विनिर्दिष्ट सेवा की न्यूनतम कालावधि के पश्चात् उनके नियोजन के पर्यवसान पर या ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु पर उनकी विधवाओं, संतानों या आश्रितों के लिए उपदान का उपबंध करना होगा;

(ग) व्यापार या उपक्रम का नियोजक निधि में अभिदायकर्ता होगा; और

(घ) निधि द्वारा अनुदत्त सब फायदे भारत में ही संदेय होंगे।

4. **अनुमोदन के लिए आवेदन**—(1) किसी उपदान निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन निधि के न्यासियों द्वारा उस @[निर्धारण अधिकारी] को जिसके द्वारा नियोजक निर्धारणीय है, लिखित रूप में किया जाएगा और उसके साथ उस लिखत की एक प्रति, जिसके अधीन ऐसी निधि स्थापित की गई हो, और नियमों की दो प्रतियां ²[तथा जहां निधि उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती ऐसे वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही है, जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है, वहां निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी होंगी जो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों से (जो उक्त आवेदन किए जाने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक नहीं हैं) संबंधित हैं, जिनके लिए ऐसे लेखे तैयार कर लिए गए हैं;] किन्तु @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] ऐसी अतिरिक्त जानकारी के दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी वह उचित समझे।

(2) यदि अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी समय निधि के नियमों, उसी रचना, उद्देश्यों या शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निधि के न्यासी उपनियम (1) में वर्णित @[निर्धारण अधिकारी] को ऐसे परिवर्तन की तुरंत संसूचना देंगे, और ऐसी संसूचना के अभाव में, किसी दिए गए अनुमोदन के बारे में जब तक कि @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अन्यथा आदेश न करे, यह समझा जाएगा कि उसे उस तारीख से जिसको ऐसा परिवर्तन प्रभावी हुआ, वापस ले लिया गया है।

¹ 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 42 द्वारा (1-4-1973 से) प्रतिस्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

² 1970 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 57 द्वारा (1-4-1971 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. **उपदान का वेतन समझा जाना**—जहां कि कोई उपदान किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल के दौरान संदत्त किया जाता है वहां वह उपदान, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी को संदत्त वेतन माना जाएगा ।

6. **अनुमोदन की समाप्ति पर न्यासियों का दायित्व**—यदि कोई उपदान निधि किसी कारण से अनुमोदित उपदान निधि नहीं रह जाती है तो भी निधि के न्यासी किसी कर्मचारी को संदत्त किसी उपदान पर कर के दायित्वाधीन रहेंगे ।

7. **नियोजक द्वारा अभिदाय कब नियोजक की आय समझे जाएंगे**—जब किसी नियोजक द्वारा कोई अभिदाय (जिनके अंतर्गत उन पर ब्याज, यदि कोई हो, भी है) नियोजक को प्रतिसंदत्त किए जाते हैं तब इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम के बारे में आय-कर 1*** के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह नियोजक की उस पूर्ववर्ष की आय है जिसमें उन्हें इस प्रकार प्रतिसंदत्त किया गया है ।

8. **अपीलें**—(1) ऐसा नियोजक जो @ [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] के किसी उपदान निधि को अनुमोदन देने से इंकार करने वाले आदेश या ऐसे अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश के प्रति आक्षेप करता है, ऐसे आदेश के साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित होगी और ऐसी फीस के संदाय के अधीन होगी जैसी विहित की जाए ।

²[8क. **उपदान निधियों की बाबत दी जाने वाली विशिष्टियां**—अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी और कोई भी नियोजक जो अनुमोदित निधि के लिए अभिदाय करता है, @ [निर्धारण अधिकारी] द्वारा सूचना द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, और जो सूचना की तारीख से इक्कीस दिन से कम न होगी ऐसी विवरणी, विवरण, विशिष्टियां या जानकारी देगा जिसकी @ [निर्धारण अधिकारी] अपेक्षा करे ।]

9. **नियमों के बारे में उपबन्ध**—(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा—

(क) अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी विहित करना;

(ख) किसी निधि में, मामूली वार्षिकी और नियोजक के अन्य अभिदाय परिसीमित करना;

²[(खख) किसी अनुमोदित उपदान निधि के धन के विनिधान या निक्षेप का विनियमन:

परन्तु इस खण्ड के अधीन बना कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूति में ऐसी निधि के धनों के पचास प्रतिशत से अधिक के विनिधान की अपेक्षा नहीं करेगा;]

(ग) किसी अनुमोदित उपदान निधि में अपने फायदाप्रद हित के समनुदेशन या उस पर प्रभाव का सृजन करने के फलस्वरूप किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी प्रतिफल के शास्ति के रूप में निर्धारण के लिए उपबंध करना;

(घ) किसी ऐसी निधि की दशा में, जो इस भाग की या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती, अनुमोदन वापस लेने के लिए उपबंध करना;

(ङ) साधारणतः इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना और उपदान निधियों के अनुमोदन और उपदान निधियों के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण, जैसा वह अपेक्षणीय समझे, सुनिश्चित करना ।

(2) इस भाग के अधीन बनाए गए सब नियम धारा 296 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होंगे ।

³[पंचम अनुसूची

⁴[धाराएं 33(1) (ख) (आ) (i) देखिए]

वस्तुओं और चीजों की सूची

(1) लोहा और इस्पात (धातु), लोहा-मिश्रधातु और विशेष इस्पात ।

(2) एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा और जस्ता (धातुएं) ।

(3) ⁵[कोयला, लिग्नाइट, लोह अयस्क,] बॉक्साइट, मैंगनीज, अयस्क, डोलोमाइट, चुनाशम, मग्नेसाइट और खनिज तेल ।

¹ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 66 द्वारा (1-4-1965 से) “और अतिकर” शब्दों का लोप किया गया ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

² 1970 के करधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 67 द्वारा (1-4-1971 से) अन्तःस्थापित ।

³ 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 67 द्वारा (1-4-1965 से) अन्तःस्थापित ।

⁴ 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1969 से) प्रतिस्थापित ।

⁵ 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 18 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।

- (4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक "8. औद्योगिक मशीनरी" उपशीर्षक "क. विनिर्दिष्ट उद्योगों में प्रयुक्त विशिष्ट उपस्कर की प्रमुख मदें" के अधीन विनिर्दिष्ट औद्योगिक मशीनरी ।
- (5) बायलर और भाप उत्पादन संयंत्र, भाप के इंजिन और टर्बाइन और अंतरदहन इंजिन ।
- (6) ज्वालासह तथा दुर्भेद्य मोटर ।
- (7) बिजली के उत्पादन और पारेषण के लिए उपस्कर, जिसके अन्तर्गत ट्रांसफार्मर, केबल और पारेषण टावर भी हैं ।
- (8) मशीनी औजार और यथार्थमापी औजार (जिनके अन्तर्गत उनके संलग्नक और उपसाधन और काटने के औजार और छोटे औजार भी हैं) और डार्ई और जिग ।
- (9) ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने वाली मशीनरी और कृषि उपकरण ।
- (10) मोटर ट्रक और बसें ।
- (11) इस्पात के ढलाई के और पिटाई के माल तथा आघातवर्धनीय लोहे के और इस्पात के ढलाई के माल ।
- (12) सीमेंट और उच्चतापसह-द्रव्य ।
- (13) उर्वरक अर्थात् अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट (दोहरे लवण), अमोनियम नाईट्रेट, कैल्सीयम अमोनियम नाईट्रेट (नाइट्रोलाइम स्टोन), अमोनियम क्लोराइट, सुपर फासफेट, यूरिया और संश्लिष्ट उद्गम के समिश्रित उर्वरक जिनमें नाईट्रोजन और फासफोरस दोनों हों जैसे अमोनियम फासफेट, अमोनियम सल्फेट फासफेट और अमोनियम नाइट्रोफासफेट ।
- (14) सोडाक्षार ।
- (15) नाशकजीवमार ।
- (16) कागज और लुगदी । [जिसके अन्तर्गत अखबारी कागज भी है ।]
- (17) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर जैसे राडार उपस्कर, परिकलनयंत्र, हिसाब लगाने वाली और कारबार की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, संचार संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण उपकरण और आधार घटक जैसे वाल्व, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर संधारित्र कुंडलियां, चुम्बकीय पदार्थ और सूक्ष्मतरंगघटक ।
- (18) पेट्रोलियम रसायन जिनके अंतर्गत अन्य आधारी कच्ची सामग्रियां जैसे कैल्शियम कारबाइड, एथिल एलकोहल या अन्य स्रोतों से हाइड्रोकारबन से तत्संबंधी विनिर्मित उत्पाद भी हैं ।
- (19) पोत ।
- (20) मोटर गाड़ी के अनुषंगी सामान ।
- (21) बिना जोड़ वाली ट्यूब ।
- (22) गियर ।
- (23) बाल, रोलर और गोपुच्छाकार बियरिंग ।
- (24) मद सं० (4), (5), (7) और 9 में वर्णित वस्तुओं के संघटक भाग अर्थात् वे भाग जो पूर्वोक्त मदों में निर्दिष्ट मशीनरी के कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें उस प्रयोजन के लिए कोई ऐसा विशेष आकार या क्वालिटी दी गई हो जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनका उपयोग करने के लिए आवश्यक न हो तथा जो पूर्णतया परिष्कृत रूप में और फिट करने के लिए तैयार है ।
- (25) बिनौले का तेल ।
- ²[(26) चाय ।
- (27) मुद्रण मशीनरी ।]
- ³[(28) प्रसंस्कृत बीज ।
- (29) ढोर के लिए सारकृत चारे और कुक्कुट खाद्य जो प्रसंस्कृत हो ।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 37 द्वारा (1-4-1966 से) अंतःस्थापित । इस अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन उन मशीनरियों और प्लान्ट के लिए लागू होगी जो 31 मार्च, 1966 के बाद स्थापित की गई हों ।

² 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 37 द्वारा (1-4-1966 से) अंतःस्थापित ।

³ 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1969 से) अंतःस्थापित ।

(30) प्रसंस्कृत (जिसके अन्तर्गत हिमरक्षित भी है) मीन और मीन उत्पाद ।

(31) विनौलों से भिन्न बीजों से विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित वनस्पति तेल और खली ।]

¹[(32) टेक्सटाइल (जिनके अंतर्गत रंग, छपे या अन्यथा प्रसंस्कृत टेक्सटाइल भी है) जो पूर्णतः या मुख्यतः सूत के बने हों, जिनके अंतर्गत सूती धागा, हौजरी और रस्सी भी है ।

(33) टेक्सटाइल (जिनके अन्तर्गत रंग, छपे या अन्यथा प्रसंस्कृत टेक्सटाइल भी है) जो पूर्णतः या मुख्यतः जूट के बने हों, जिनके अन्तर्गत जूट की सुतली और जूट की रस्सी भी है ।]]

²*

*

*

*

³[सप्तम अनुसूची

(धाराएं 35ड देखिए)

भाग क - खनिज

1. ऐलुमिनियम अयस्क ।
2. एपाटाइट और फास्फेटिक अयस्क ।
3. वेदर्य ।
4. क्रोम अयस्क ।
5. कोयला और लिग्नाइट ।
6. कोलम्बाइट, समास्काइट तथा “दुर्लभ मृदा” समूह के अन्य खनिज ।
7. तांबा ।
8. सोना ।
9. जिप्सम ।
10. लोह अयस्क ।
11. सीसा ।
12. मैंगनीज अयस्क ।
13. मौलिब्डेनाम ।
14. निकल अयस्क ।
15. प्लैटिनम और अन्य बहूमूल्य धातुएं तथा उनके अयस्क ।
16. पिचब्लेन्ड और अन्य यूरेनियम अयस्क ।
17. रत्न ।
18. रुटाइल ।
19. चांदी ।
20. गंधक और उसके अयस्क ।
21. रांगा ।
22. टंगस्टेन अयस्क ।
23. यूरेनीफेरस एलैनाइट, मोनेजाइट और अन्य थोरियम खनिज ।
24. तांबा और सोना, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्क निकालने के पश्चात् अयस्कों में का यूरेनियम युक्त अवशिष्ट ।

¹ 1969 के अधिनियम सं० 14 की धारा 23 द्वारा (1-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

² 1968 के अधिनियम सं० 19 (तृतीय अनुसूची) द्वारा (1-4-1969 से) अंतःस्थापित । षष्ठम अनुसूची का 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 43 द्वारा (1-4-1973 से) लोप किया गया ।

³ 1970 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 42 की धारा 58 सप्तम अनुसूची द्वारा (1-4-1971 से) अंतःस्थापित ।

25. वैनेडियम अयस्क ।
26. जस्ता ।
27. जरकान ।

भाग ख – सहचारी खनिजों के समूह

1. एपाटाइट, वेदूर्य, कैसिटेराइट, कोलम्बाइट, पन्ना, फैल्सपार, लेपिडोलाइट, अभ्रक, पिचब्लेंड, स्फटिक, समास्काईट, शीलाइट, पुखराज, टैटेलार्डिन, तुरमली ।
2. लोहा, मैंगनीज टाइटेनियम, वैनेडियम और निकल खनिज ।
3. सीसा, जस्ता, तांबा, कैटमियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम और यूरेनियम खनिज तथा सोना और चांदी, आर्सेनोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट, पाइराइट, पाइफ्लोटाइट, पेंटेलनडाइट ।
4. क्रोमियम, आस्मिरीडियम, प्लैटिनम और निकल खनिज ।
5. कायनाइट, सिलीमैनाइट, कुरंडम, ड्यूमरटाइराइट और पुखराज ।
6. सोना, चांदी, टेल्यूरियम, सिलीनियम और पाइराइट ।
7. बैराइटीज, फ्लोराइट, कैल्कोसाइट, सिलीनियम और जस्ता, सीसा और चांदी के खनिज ।
8. रांगा और टंगस्टेन खनिज ।
9. चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट ।
10. इल्मेनाइट, मोनेसाइट, जरकान, रुटाइल, गार्नेट और सिलिमैनाइट ।
11. तांबा और लोहे के सल्फाइड ।
12. कोयला, अग्निसह मिट्टी और शेल ।
13. मैग्नेसाइट और एपाटाइट ।
14. मैग्नेसाइट और क्रोमाइट ।
15. टैल्क (सेलखड़ी और स्टिएटाइट) और डोलोमाइट ।
16. बैक्साइट, लेटेराइट, ऐलुमिनस मिट्टी, लियोमार्ज, टाइटेनियम, बेनाडियम, गैनियम और कोलम्बियम खनिज ।]

¹[अष्टम अनुसूची

[धारा 80 झक (2)(iv)(ख) देखिए]

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची

- (1) अरुणाचल प्रदेश
- (2) असम
- (3) गोवा
- (4) हिमाचल प्रदेश
- (5) जम्मू-कश्मीर
- (6) मणिपुर
- (7) मेघालय
- (8) मिजोरम
- (9) नागालैंड
- (10) सिक्किम

¹ 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 37 द्वारा (1-4-1994 से) अंतःस्थापित । इससे पूर्व 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 30 द्वारा (1-4-1984 से) "अष्टम अनुसूची" का लोप किया गया ।

- (11) त्रिपुरा
 (12) अंदमान और निकोबार द्वीप
 (13) दादरा और नागर हवेली
 (14) दमण और दीव
 (15) लक्षद्वीप
 (16) पांडिचेरी।

1*	*	*	*
2*	*	*	*

³[ग्यारहवीं अनुसूची

⁴[धारा 32क,] ⁵[धारा 32 कख], धारा 80गग (3)(क) (i), धारा 80झ (2), ⁶[धारा 80ञ (4) और धारा 88क (3)(क)(i) देखिए]

वस्तुओं या चीजों की सूची

- बीयर, वाइन और अन्य एल्कोहलयुक्त स्परिट।
- तम्बाकू और तम्बाकू की निर्मितियां जैसे सिगार और चुरुट, सिगरेट, बीड़ी, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, खाने का तम्बाकू और नसवार।
- सौंदर्य और प्रसाधन सामग्रियां।
- टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाऊडर और साबुन।
- वातित जल जिनके विनिर्माण में सम्मिश्रित सुरुचिक सांद्र उपयोग में लाए जाते हैं।

⁷[स्पष्टीकरण—“सम्मिश्रित सुरुचिक सांद्र” में किसी भी रूप में संश्लिष्ट सत्त सम्मिलित है और यह समझा जाएगा कि ये सदैव से सम्मिलित है।

- कन्फैक्शनरी और चाकलेट।
- ग्रामोफोन, उसके अन्तर्गत रिकार्डप्लेयर भी है, और ग्रामोफोन रिकार्ड।

8*	*	*	*
----	---	---	---

⁹[9. प्रोजेक्टर।]

- फोटो उपस्कर और माल।

8*	*	*	*
----	---	---	---

- कार्यालय मशीन और साधित्र जैसे टाइपराइटर, कैलकुलेटिंग मशीन, कैश रजिस्ट्रिंग मशीन, चैक लेखन मशीन, इन्टरकाम मशीन और दूर मुद्रक।

स्पष्टीकरण—“कार्यालय मशीन और साधित्र” पद के अन्तर्गत वे सभी मशीनें और साधित्र हैं जिनका उपयोग कार्यालय, दुकानों कारखानों, कर्मशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, रेलवे स्टेशनों, होटलों और रेस्तराओं में कार्यालय का काम करने के लिए ¹⁰[और डाटा संसाधन के लिए (जो धारा 32कख के अर्थ में संगणक नहीं है) किया जाता है।]

- स्टील फर्नीचर चाहे भागत: स्टील से बना हो या पूर्णतः।

¹ 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 31 द्वारा (1-4-1988 से) नवम् अनुसूची लोप किया गया।

² 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 89 द्वारा लोप किया गया।

³ 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 28 द्वारा (1-4-1978 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 24 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित।

⁵ 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 39 द्वारा (1-4-1987 से) अंतःस्थापित। ये संशोधन परिणामिक प्रकृति का है।

⁶ 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 50 द्वारा (1-4-1990 से) “और धारा 80ज (4)” के स्थान पर प्रतिस्थापित। ये संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

⁷ 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 73 द्वारा (1-4-1988 से) अंतःस्थापित।

⁸ 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 24 (1-4-1988 से) मद 8 और 11 से 21 (दोनों सम्मिलित) लोप किए गए।

⁹ 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 53 द्वारा (1-4-1989 से) “सिनेमा फिल्म और प्रोजेक्टर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹⁰ 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 73 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित।

24. तिजोरियां, स्ट्रॉंग बॉक्स, कैश बाक्स और दस्तावेज बाक्स और स्ट्रॉंग रूम के दरवाजे ।

25. लेटेक्स फोम स्पंज और पोली युरिथेन फोम ।

1* * *

27. क्राउन कार्क या कार्क रबड़ पोलीएथिलीन या किसी अन्य सामग्री की अन्य फिटिंगें ।

28. पैकिंग के लिए चोर रक्षक टोपियां या कार्क, रबड़ पोलीएथिलीन या किसी अन्य सामग्री की अन्य फिटिंगें ।

1* * *

2[बारहवीं अनुसूची

[धारा 80जजग (2)(ख) (ii) देखिए]

प्रसंस्कृत खनिज और अयस्क

- (i) चूर्णित या सूक्ष्मचूर्णित-बैराइट, कैलसाइट, स्टीएटाइट, पाइरीफाइलाइट, बोलैस्टोनाइट, जरकान, बेन्टोनाइट, लाल या पीला आक्साइट, लाल या पीला गैरिक, टैल्क, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, सिलिका चूर्ण, गार्नेट, सिलीमिनाइट, अग्नसह मिट्टी, बाल मृत्तिका, मैंगनीज डाइआक्साइड अयस्क;
- (ii) प्रसंस्कृत या सक्रियकृत बेन्टोनाइट, डायटोमियस मृत्तिका, मुलतानी मिट्टी;
- (iii) प्रसंस्कृत-कैओलिन (चीनी मिट्टी), खडिया चूर्ण, कैल्सियम कार्बोनेट;
- (iv) उपकृतकृत-क्रोमाट, फ्लोरस्पार, ग्रेफाइट, वर्मिक्यूलाइट, इल्मिनाइट, कथई इल्मिनाइट (लैकोजीन) रुटाइल, मोनाजाइट और अन्य खनिज सान्द्र ।
- (v) अभ्रक ब्लाक, अभ्रक विपार्ट, अभ्रक संधारित्र फिल्में, अभ्रक चूर्ण, माइकेनाइट, रजतित अभ्रक, छिद्रित अभ्रक, अभ्रक कागज, अभ्रक टेप, अभ्रक पत्र ।
- (vi) अपशल्कित-वर्णिक्यूलाइट, निस्तापित कायनाइट, मैग्नेसाइट, निस्तापित मैग्नेसाइट, निस्तापित ऐलुमिना ।
- (vii) यांत्रिक छानन द्वारा या शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से कुटाई और छानन द्वारा या यांत्रिक कुटाई, छानन, धुलाई और नम प्रक्रिया के माध्यम से वर्गीकरण द्वारा प्रसंस्कृत साइज किया गया लौह अयस्क ।
- (viii) कुटाई, पिसाई या चुंबकीय पृथक्करण के माध्यम से प्रसंस्कृत लौह अयस्क सांद्र ।
- (ix) संपिंडित लौह अयस्क ।
- (x) काटे गए और पालिश किए गए खनिज और शैल जिनके अन्तर्गत काटा गया और पालिश किया ग्रेनाइट है ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, किसी खनिज या अयस्क के संबंध में, “प्रसंस्कृत” से अभिप्रेत है,—

- (क) गैंग और अवांछित हानिकारक पदार्थ को दूर करने के पश्चात् सांद्र प्राप्त करने के लिए यांत्रिक साधनों के माध्यम से अथवा अन्य माध्यमों से, खनिजीय पहचान में कोई परिवर्तन किए बिना, ड्रेसिंग;
- (ख) संक्षोदन, निस्तापन या सूक्ष्मचूर्णीकरण;
- (ग) सूक्ष्मकों से संपीडन;
- (घ) कुटाई और पालिश;
- (ङ) धुलाई और आंद्रप्रेषण;
- (च) शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से यांत्रिक कुटाई और छानन द्वारा उपकृतिकरण;
- (छ) नम प्रक्रिया के माध्यम से कुटाई, छानन, धुलाई और वर्गीकरण द्वारा साइजिंग;
- (ज) अन्य श्रेणी सुधारक तकनीक, जैसे, रासायनिक अभिक्रियान्यवन के माध्यम से अपद्रव्यों को दूर करना, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा शोधन, विरंजन, प्लवन या फिल्टरन ।]

¹ 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 24 द्वारा (1-4-1982 से) मद 26 और 29 का लोप किया गया ।

² 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 71 द्वारा (1-4-1991 से) अंतःस्थापित । इसके पूर्व 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 38 द्वारा (1-4-1987 से) लोप किया गया था ।

¹[तेरहवीं अनुसूची

²[धारा 80अख(4) और धारा 80अग(2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों की सूची

भाग क

सिक्किम राज्य के लिए

क्रम सं०	वस्तु या चीज
1.	तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद (जिसमें सिगरेट, सिगार और गुटका आदि हैं)।
2.	वातित ब्रांडयुक्त सुपेय।
3.	प्रदूषण करने वाला कागज और कागज उत्पाद।

भाग ख

हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए

क्रम सं०	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज	उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी.) 1998 के अधीन उपवर्ग
1	2	3	4
1.	तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद, जिसमें सिगरेट और पान मसाला है	24.01 से 24.04 और 21.06	1600
2.	तापीय विद्युत संयंत्र (कोयला/तेल आधारित)		40102 या 40103
3.	कोयला धोवनसाला/शुष्क कोयला प्रसंस्करण		
4.	अकार्बनिक रसायन जिसमें ओषधीय श्रेणी की आक्सीजन (2804.11), ओषधीय श्रेणी हाइड्रोजन पौरोक्साइड (2847.11), संपीडित वायु (2851.30) सम्मिलित नहीं हैं	अध्याय 28	
5.	कार्बनिक रसायन जिसमें प्रोविटामिन/विटामिन, हार्मोन (29.36), ग्लुकोसाइड (29.39), चीनी ³ (29.40) सम्मिलित नहीं हैं	अध्याय 29	24117
6.	चर्मसंस्करण और रंजक निष्कर्ष, टेनिन और उनके व्युत्पन्न, रंजक, रंग पेंट और वार्निश; पुटी, भरक और अन्य मस्टिक; स्याहियां	अध्याय 32	24113 या 24114
7.	मार्बल और खनिज पदार्थ, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं	25.04 25.05	14106 या 141007
8.	फ्लोर मिल/राइस मिल	11.01	15311
9.	गलाईशाला जिसमें कोयले का प्रयोग होता है		
10.	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पादन; बिटुमनी पदार्थ: खनिज मोम	अध्याय 27	
11.	संश्लिष्ट रबड़ उत्पाद	40.02	24131

¹ 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 99 द्वारा अनुसूची 13 और 14 अंतःस्थापित।

² 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 64 द्वारा (1-4-2005 से) प्रतिस्थापित।

³ क्रम संख्या 5: संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादन अनुज्ञात नहीं है जैसा चीनी के लिए अनुप्रवाह उद्योगों में भी है।

1	2	3	4
12.	सीमेंट क्लिकर और कच्चा ऐस्बेस्टास जिसके अंतर्गत फाइबर भी है	2502.10 2503.00	
13.	विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटर और फ्यूज़, आतिशबाजी, दियासलाई, नोदक चूर्ण आदि भी हैं)	36.01 से 36.06	24292
14.	खनिज या रासायनिक उर्वरक	31.02 से 31.05	2412
15.	कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और नाशक जीवमार (आधारिक विनिर्माण और निर्मित)	3808.10	24211 या 24219
16.	रेशाकांच और उसकी वस्तुएं	70.14	26102
17.	लुगदी, काष्ठ लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें विघटन लुगदी भी है)	47.01	21011
18.	ब्रांडयुक्त वातित जल/मृदु पेय (गैर-फल आधारित)	2201.20 2202.20	15541 या 15542
¹ [19.	लुगदी, काष्ठ-लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें लुगदी का विघटन भी है), अखबारी कागज, रोलों में या शीटों में शिक्षा संबंधी पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए लेखन या मुद्रण कागज कागज या पेपर बोर्ड, जिसके विनिर्माण में,— (क) लुगदी को फुलाने की मुख्य प्रक्रिया हाथ से की जाती है; और (ख) यदि विद्युत चालित शीट बनाने के उपक्रम का प्रयोग किया जाता है तो बेलन संच वाट 40 इंच से अधिक न हो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई मांग सूची के संबंध में ब्रेल प्रेस को प्रदाय किया गया मेपलिथो कागज अन्य शौच या आनन टिशू स्टॉक, तौलिया या नैपकीन स्टॉक और घरेलू या स्वच्छता के लिए प्रयुक्त उसी प्रकार का समान कागज, सेलुलोज वैडिंग और सेलुलोज फाइबर के जाल, चाहे क्रेपिक, व्याकुंचित समुद्भूत, छिद्रित, पृष्ठरंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित हों या नहीं 36 सेंमी. से अधिक की चौड़ाई वाले रोलों में या 36 सेंमी. से अधिक कम से कम एक साइड वाली आयताकार शीटों में (जिसके अंतर्गत वर्ग भी है) फोल्ड न की गई दशा में।	4701.00 4801.00 4802.10 4802.20 4802.30 4802.90 4803.00	

¹ 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
	मांग राष्ट्रीय दृष्टि विक्लांग संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई सूची के संबंध में ब्रेल प्रेस को प्रदाय किया गया क्राफ्ट कागज	4804.10	
	उद्यान कृषि उत्पाद की पैकिंग के लिए डिब्बों के विनिर्माण में प्रयुक्त क्राफ्ट कागज और पेपर बोर्ड	4804.20	
	अन्य	4804.90	
	अन्य अविलेपित कागज और पेपर बोर्ड, रोलों में या शीटों में, इस अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट से भिन्न अतिरिक्त कर्मित या प्रसंस्कृत	4805.00	
	चिकनाई रोधी कागज	4806.10	
	ग्लैसीन और अन्य चमक कारक पारदर्शी या अल्प पारदर्शी कागज	4806.20	
	अन्य	4806.90	
	पुआल बोर्ड, जिसके विनिर्माण में सूर्य शुष्कन प्रक्रिया अपनाई गई है।	4807.91	
	पुआल कागज और अन्य पुआल बोर्ड, चाहे पुआल कागज से भिन्न कागज द्वारा ढका गया हो या नहीं	4807.92	
	अन्य	4807.99	
	कार्बन या बैसे ही प्रतिलिपन कागज	4809.10	
	स्वतः प्रतिलिपि कागज	4809.20	
	अन्य	4809.90	
	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किस्म का कागज और पेपरबोर्ड लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किस्म के क्राफ्ट कागज और पेपरबोर्ड से भिन्न क्राफ्ट कागज और पेपरबोर्ड	4810.10	
	अन्य कागज और पेपरबोर्ड	4810.90	
	टारयुक्त, बिटुमनित या एल्सफाल्टित कागज और पेपरबोर्ड	4811.10	
	गोंदित या आसंजक कागज और पेपरबोर्ड प्लास्टिक (आसंजक से भिन्न) विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज और पेपर बोर्ड	4811.20	
	प्लास्टिक से विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज या पेपर बोर्ड वाले उत्पाद (जिसके अंतर्गत उसके थर्मोसेट रेजिन या मिश्रण या मेलाइन, फिनोल, यूरिया फॉर्मलिडहाइड वाली विरचनाएं भी हैं, संसाधन अभिकरणों या उत्प्रेरकों सहित) एक या अधिक विचारणों में एक साथ संपीडित; उत्पादों को वाणिज्यिक रूप से सज्जित, पटलों के रूप में जाना जाता है	4811.31	

1	2	3	4
	अन्य	4811.39	
	मोम, पैराफिन मोम, वाष्पन, तेल या ग्लाइकोल से विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज और पेपरबोर्ड	4811.40	
	अन्य	4811.90	
	सिगरेट का कागज, चाहे बुकलेट आकार में या रूप में या ट्यूबों में काटा गया हो या नहीं	4813.00]	

¹[भाग ग

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए

क्रम सं०	वस्तु या चीज
1.	तंबाकू के सिगरेट/सिगार, विनिर्मित तंबाकू और उसके अनुकल्प
2.	आसवित/निक्वाथित एल्कोहाली पेय
3.	वातित ब्रांडयुक्त सुपेय और उनके सान्द्र ।]

चौदहवीं अनुसूची

[धारा 80अग (2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों या संक्रियाओं की सूची

भाग क

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

- निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग--
 - डिब्बाबंद या बोटलबंद उत्पाद;
 - अपूतिक पैकेज उत्पाद;
 - हिमशीतित उत्पाद;
 - गैर जलीकृत उत्पाद;
 - ओलियोरेजिन ।
- निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले मांस और कुक्कुट उत्पाद उद्योग--
 - मांस उत्पाद (भैंस, भेड़, बकरी और सूअर);
 - कुक्कुट उत्पाद;
 - अंडा चूर्ण संयंत्र ।
- निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले अनाज आधारित उत्पाद उद्योग--
 - मक्का पेषण जिसमें स्टार्च और उसके व्युत्पन्न भी हैं;
 - ब्रेड, बिस्कुट, जलपान अनाज ।
- निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले खाद्य और पेय उद्योग--
 - स्नैक;
 - गैर एल्कोहाली सुपेय;

¹ 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 64 द्वारा (1-4-2005 से) अंतःस्थापित ।

- (iii) मिष्ठान जिसमें चाकलेट भी हैं;
- (iv) पास्ता उत्पाद;
- (v) प्रसंस्कृत मसाले आदि;
- (vi) प्रसंस्कृत दालें;
- (vii) टैपियोका उत्पाद ।

5. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले दुग्ध और दुग्ध आधारित उत्पाद उद्योग—

- (i) दुग्ध चूर्ण;
- (ii) चीज;
- (iii) मक्खन/घी;
- (iv) शिशु आहार;
- (v) दूध-छुड़ाई आहार;
- (vi) माल्टित दुग्ध आहार ।

6. खाद्य पैकेजिंग उद्योग ।

7. कागज उत्पाद उद्योग ।

8. जूट और मैस्टा उत्पाद उद्योग ।

9. पशु या कुक्कुट या मछली खाद्य उत्पाद उद्योग ।

10. खाद्य तेल प्रसंस्करण या वनस्पति उद्योग ।

11. आवश्यक तेलों का प्रसंस्करण और सुगंध उद्योग ।

12. पौध रोपण फसलों, चाय, रबड़, काफी, नारियल आदि का प्रसंस्करण और संवर्धन ।

13. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले गैस आधारित मध्यवर्ती उत्पाद उद्योग,—

- (i) गैस खोज और उत्पादन;
- (ii) गैस वितरण और बोटलबंदी;
- (iii) विद्युत उत्पादन;
- (iv) प्लास्टिक;
- (v) सूत की कच्ची सामग्री;
- (vi) उर्वरक;
- (vii) मेथनॉल;
- (viii) फारमलडिहाइड और एफआर रेजिन मेलामाइन और एमएफ रेजिन;
- (ix) मिथाइलेमिन, हैक्सामिथाइलिन, टेट्रामिन, अमोनियम बाईकार्बोनेट;
- (x) नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट;
- (xi) कार्बन ब्लैक;
- (xii) पालिमेर चिप्स ।

14. कृषि वनोत्पाद आधारित उद्योग ।

15. उद्यान कृषि उद्योग ।

16. खनिज आधारित उद्योग ।

17. पुष्पकृषि उद्योग ।

18. कृषि आधारित उद्योग ।

भाग ख

सिक्किम राज्य के लिए

क्रम सं०	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया
1.	पारिस्थितिक पर्यटन, जिसमें होटल, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क और रज्जु मार्ग भी हैं।
2.	हस्तशिल्प और हथकरघा।
3.	ऊन और रेशम रीलिंग, बुनाई और प्रसंस्करण, छपाई आदि।
4.	पुष्पकृषि।
5.	यथार्थता इंजीनियरी, जिसमें घड़ी निर्माण भी है।
6.	इलेक्ट्रानिकी जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी (सू. प्रौ.) संबंधित उद्योग भी हैं।
7.	खाद्य प्रसंस्करण जिसमें कृषि आधारित उद्योग, फलों और वनस्पतियों का प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग भी है (जिसमें पारंपरिक संदलन/निष्कर्षण यूनिट नहीं है)।
8.	ओषधीय और ऐरोमेटिक शाक-रोपण और प्रसंस्करण।
9.	बागान फसलें जैसे चाय, नारंगी और इलायची का संवर्धन और प्रसंस्करण।
10.	खनिज आधारित उद्योग।
11.	भेषजीय उत्पाद।
12.	शहद।
13.	जैव प्रौद्योगिकी।

भाग ग

हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए

क्रम सं०	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया	4/6 अंक उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	1998 को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) वर्गीकरण के अधीन उपवर्ग	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 4/6 अंक
1.	पुष्पकृषि	-	-	0603 या 060120 या 06029020 या 06024000
2.	ओषधीय शाक और ऐरोमेटिक शाक आदि, प्रसंस्करण	-	-	
3.	शहद	-	-	040900
4.	कृषि उद्यान और कृषि आधारित उद्योग जैसे—			
	(क) सासेज, केचप आदि	21.03	15135 से 15137 और 15139	
	(ख) फल रस और फल लुगदी	2202.40		
	(ग) जैम, जेली, वनस्पति रस, प्यूरी, अचार आदि	20.01		
	(घ) परिरक्षित फल और वनस्पतियां			

क्रम सं०	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया	4/6 अंक उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	1998 को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) वर्गीकरण के अधीन उपवर्ग	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 4/6 अंक
	(ड) ताजे फलों और वनस्पतियों का प्रसंस्करण जिसमें पैकेजिंग भी है			
	(च) छत्रकों का प्रसंस्करण, परिरक्षण, पैकेजिंग			
5.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें तेरहवीं अनुसूची में सम्मिलित उद्योग नहीं हैं	19.01 से 19.04		
6.	चीनी और उसके उपोत्पाद	-	-	17019100
7.	रेशम और रेशम उत्पाद	50.04 50.05	17116	
8.	ऊन और ऊन उत्पाद	51.01 से 51.12	17117	
9.	व्युत्पन्न फैब्रिक (उत्पाद-शुल्क्य परिधान)	-	-	6101 से 6117
10.	साधारण शारीरिक व्यायाम के लिए खेलकूद का सामान, वस्तुएं तथा उपस्कर और साहसिक खेलकूद/क्रियाकलापों, पर्यटन के लिए उपस्कर (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं)	9506.00		
11.	कागज और कागज उत्पाद जिसमें वे उत्पाद सम्मिलित नहीं हैं जो तेरहवीं अनुसूची में हैं (उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण के अनुसार)			
12.	भेषजीय उत्पाद	30.03 से 30.05		
13.	सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, कंप्यूटर हार्डवेयर, काल सेंटर	84.71	30006/7	
14.	खनिज जल की बोतलबंदी	2201		
15.	पारिस्थितिक पर्यटन जिसके अंतर्गत होटल, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क और रज्जू मार्ग भी हैं	-	55101	
16.	औद्योगिक गैसें (वातावरणीय भिन्न पर आधारित)			
17.	हस्तशिल्प			
18.	गैर-इमारती वन उत्पाद आधारित उद्योग ।]			